लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

3rd

LOK SABHA DEBATES

[पन्द्रहवां सत्र]

Fifteenth Session

Preservation
18-6-97
Fumigated
On 30-12-83
B
Parliament Library

[खंड 57 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. LVII contains Nos. 1—10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

1169(ai)LS—A.

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 5—शुक्रवार, 29 जुलाई, 1966/7 श्रावण, 1888 (शक)

No. 5—Friday, July 29 1966/Sravana 7, 1888 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ORAL ANSWERS TO QUEST

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
121..	पाकिस्तान के साथ व्यापार Trade with Pakistan . . .	1—4
122.	अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य Prices of Essential Commodities .	4
123.	सेलम इस्पात कारखाना Salem Steel Plant	10–14
124.	दिल्ली में अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य Prices of Essential Commodities in Delhi	5—10
125.	सीमेंट पर से नियंत्रण हटाना Decontrol of Cement	14—18
126.	लुग्दी, कागज तथा अखबारी कागज के कारखाने Pulp, Paper and Newsprint Plants . .	18

प्रश्नों के लिखित उत्तर WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

127.	एल्यूमीनियम का उत्पादन Production of Aluminium	19
128.	पांचवां इस्पात कारखाना Fifth Steel Plant . . .	19–20
129.	चौथी योजना के लिये इस्पात उत्पादन का व्यय Steel Outlay for Fourth Plan . .	20
130.	बोकारो इस्पात संयंत्र की लागत Cost of Bokaro Steel Plant	20–21
131.	दक्षिण वियतनाम को ट्रकों का निर्यात Export of Trucks to South Vietnam .	22
132.	स्वामीनाथन समिति Swaminathan Committee. .	22–23
133.	अलौह धातुओं का निर्बाध खनन तथा परिष्करण Free Mining and Processing of Non-Ferrous Metals	23
134.	जूतों के मूल्य Prices of Footwear.	23–24
135.	उद्योग स्थापित करने के लिये लाइसेंस Licences for setting up Industries .	24

*किसी नाम पर अंकित यह +चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign+marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
136.	खाद्य तेलों तथा वनस्पति वायदे के सौदे (फारवर्ड ट्रेडिंग)	Forward Trading in Edible Oils and Vanaspati	24–25
137.	दुर्गापुर इस्पात कारखाने का विस्तार	Expantion of Durgapur Steel Plant	25–26
138.	रेलगाडियों में शायिकाओं (स्लीपिंग बर्थस) का नियतन	Allotment of Sleeping Berths on Railway Trains	26
139.	राज्य व्यापार निगम	State Trading Corporation . . .	26–27
140.	कोन्नागर में गार्ड के साथ मारपीट (पुर्व रेलवें)	Manhandling of Guard at Konnagar (Eastern Railway)	27
141.	दिल्ली के चारों ओर सर्कुलर रेलवे	Circular Railway around Delhi	27–28
142.	पटसन मिलों का एक साथ बन्द किया जाना	Block Closure of Jute Mills . . .	28
143.	लन्दन में राष्ट्रमण्डलीय वाणिज्य मंत्रियों की बैठक	Meeting of Commerce Ministers of Commonwealth at London . . .	28–29
144.	कल्याण स्टशन पर रेलगाड़ी का रोका जाना	Detension of Train at Kalyan Station .	29
145.	बेलडंगा स्टेशन (पुर्व रेलवे) पर एक रेलगाड़ी पर आक्रमण	Attack of a Train at Beldanga Station (E. Railway)	29–30
146.	न्यू गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल फैक्ट्री, बंगलौर	New Government Electrical Factory, Banglore	30
147.	उपभोक्ता वस्तु निगम	Consumer Commodity Corporation .	31
148.	कच्चे माल का नियतन	Allocation of Raw Materials . .	31
149.	रेलवे में भोजन व्यवस्था	Catering on Railways .	32
150.	रेलवे मंत्री द्वारा अमरीका की यात्रा	Visit of Railway Minister to U.S.A. .	32

अतारांकित प्रश्न संख्या

		U. S. Q. Nos.	
622.	गदरा रोड और मुनाबाव के बीच रेलगाडी सेवायें	Train Service between Gadra Road and Munabao	32–33
623.	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर एक मालगाडी का दो भागों में बंट जाना	Splitting of a Goods Train on N.F. Rly.	33

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
624.	दक्षिण-पूर्व रेलवे पर रेलगाडियों का रोका जाना	Detention of Trains on S.E. Railway	33–34
625.	सिलीगुड़ी में महामारी	Epidemic in Siliguri	34
626.	सोमसुन्दर मिल कोयम्बटूर	Somasundara Mills, Coimbatore	?4–35
627..	लाइसेंसप्राप्त कुली	Licensed Porters	35
628.	दिल्ली-किशनगज स्टेशन पर साइकिल स्टेंड	Cycle stand at Delhi-Kishnaganj Station .	35–36
629.	ओलावाकोट डिवीजन में में रेलवे फाटक तथा ऊपरी पुल	Level crossings and over bridges in Olavakkot Division	36
630.	मद्रास मंगलौर डाकगाटी में वातानुकूलित डिब्बा	A.C. Coach in Madras-Mangalore Mails .	36
631.	दफतर जाने वाले यात्रियों द्वारा रेलगाडियों का रोका जाना	Stoppage of train by Office goers .	36–37
632.	भारतीय व्यापार सेवा का बनाया जाना	Formation of Indian Trade Service . .	37
633.	पारसनाथ हिल (बिहार) के निकट तांबे का भंडार	Copper Deposits near Parasnath Hill (Bihar)	37–38
634.	रासायनिक उर्वरकों का आयात	Import of Chemical Fertilisers . .	38
635.	अफ्रीकी देशों को किये जाने वाले निर्यात में कमी	Decline in Exports to African Countries .	38–39
636.	छोटी कारों का निर्माण	Manufacture of Small Cars .	39–40
637.	निजामुद्दीन (नई दिल्ली) की रेलव कालोनी में अग्निकांड	Fire in Railway Colony Nizamuddin (New Delhi)	40
638.	पश्चिम बंगाल को राज्य व्यापार निगम द्वारा विदेश-कारों का विक्रय	Sale of Foreign Cars by S.T.C. to West Bengal	40–41
639.	भपटियाही और निर्मली के बीच रेलवे यातायात	Railway Traffic between Bhaptiahi and Nirmali	41
640.	पटियाला बिस्कुट मैन्यूफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड	Patiala Biscuit Manufacturers Private Ltd.	41–42

U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
641.	गोल्डन राक (दक्षिण रेलवे) के आर० सी० सी० डिपो को अन्य स्थान पर ले जाना	Shifting of R.C.C. Depot, Golden Rock (S. Rly)	42
642.	भुसावल गुड्स यार्ड में विस्फोट	Fxplosion in Bhusaval Goods Yard	42–43
643.	कच्चे पटसन का निर्यात	Export of Raw Jute	43
644.	तांबे का पकड़ा जाना	Seizure of Copper	43–44
645.	पाकिस्तान से जूट का आयात	Import of Jute from Pakistan	44
646.	गुजरात मेल गाड़ी की दुर्घटना	Gujarat Mail Accident	44–45
647.	रेलवे सेवा आचरण नियम	Railway Service Conduct Rules	45
648.	विशाखापत्तनम में पिघलने का संयंत्र (स्मेल्टर प्लांट)	Smelter Plant at Visakhapatnam	45
649.	सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के उद्योग	Private and Public Sector Industries	46
650.	विदेशों में भारतीय उद्योग	Indian Industries Abroad	46–47
651.	स्कूटरों का नियतन	Allotment of Scooters	47
652.	रेलगाड़ियों का देर से चलना	Late Running of Trains	47–48
653.	मद्रास व्यापार मेला (ट्रेड फयर)	Madras Trade Fair	48
654.	मुगलसराय से आगे रेलवे का विद्युतीकरण (इलेक्ट्रिफिकेशन)	Electrification Beyond Moghalsarai	48–49
657.	आत्म-निर्भरता अभियान	Drive Towards Self reliance	49
658.	घटिया कोयला	Low Grade Coal	49
659.	उत्तर रेलवे के कर्मचारियों के सम्मान में युद्ध स्मारक	War Memorials in honour of Northern Railway Workers	49
660.	कृषि औजार निर्माण कारखाने	Agricultural Implements Producing Factories	50
661.	निर्यात संवर्द्धन	Export Promotion	50
662.	टेलिविजन सेटों का आयात	Import of T.V. Sets	51
663.	छोटी लाइन (मीटर गेज) के स्थान पर बड़ी लाइन (ब्राडगेज) बिछाना	Conversion of Metre Guage into Broad Guage	51
664.	आफिसर्ज कैरेज और सैलून	Officers' Carriages and Saloons	52
665.	गैर-सरकारी रेलों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Private Railways	52–53

U. S. Q.Nos. विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
666. दूसरे दर्जे के शयन डिब्बे	Second Class Sleeper Coaches. . .	53
667. झांसी में रेल दुर्घटना	Railway Accident at Jhansi . . .	53
668. छपाई और कृषि सम्बन्धी मशीनों के संयंत्र	Printing and Agricultural Machinery Plants	53-54
669. दक्षिण रेलवे का विद्युतीकरण	Electrification on Southern Railway .	54
670. हथकरघा से बने माल का अमरीका को निर्यात	Export of Handloom Goods to U.S.A. .	54
671. राज्य व्यापार निगम	State Trading Corporation .	55
672. जापान में लघु उद्योग प्रशासन पाठ्यक्रम	Small Industries Administration Course in Japan	55-56
673. इलेक्ट्रानिक से चलने वाले सिगनल	Electronic Controlled Signals . .	56
674. झांसी रेलवे वर्कशाप में आग लगने की घटना	Fire in Jhansi Railway Workshop .	56
676. 3 अप आसाम डाकगाड़ी का पटरी से उतर जाना	Derailment of 3 UP Assam Mail .	56-57
677. बजरंगपुर के निकट माल-गाड़ी का पटरी से उतर जाना	Derailment of a Goods Train Near Bajarangpura	57
678. खाना जंक्शन पर दुर्घटना	Accident at Khana Junction . . .	57-58
679. मई, 1966 में पूर्वी रेलवे पर पुलिस की चावल के तस्कर व्यापारियों से मुठभेड़	Clash between Rice Smugglers and Police in the Eastern Railway during May, 1966.	58
680. जस्ते की चादरों की कमी	Shortage of Zinc Sheets . .	58-59
681. टीन की प्लेटों की कमी	Shortage of Tin Plates . .	59
682. नागालैंड का भूतत्वीय सर्वेक्षण	Geological Survey of Nagaland . .	59-60
683. कीर्ति नगर स्टेशन	Kirti Nagar Station	60
684. कालका हावड़ा डाकगाड़ी में पंखे	Fans in Kalka Howrah-Mail . . .	60
85. केरल में हार्ड बोर्ड का कारखाना	Hard Board Factory in Kerala . .	61
686. तिरूर ऊपरी पुल	Tirur Overbridge	61
687. निर्यात	Exports	61-62
688. रेशम के धागे का आयात	Import of Silk Yarn	62

U. S. Q. Nos. विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
689. लौह निक्षेप वाले क्षेत्रों में कारखाने	Factories in Iron bearing Areas . .	62
690. स्कूटरों के दाम	Price of Scooters	62–63
691. चरखे के सूत तथा खादी का जमा हो जाना	Accumulation of Charkha Yarn and Khadi	63
692. राजस्थान में छोटे पैमाने के उद्योग	Small Scale Industries in Rajasthan .	63–64
693. कपड़ा समझौते का क्षेत्र बढ़ाना	Extension of Textile Agreement . .	64
694. उत्तर प्रदेश में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का कारखाना	H.M.T. Unit in U.P.	64–65
695. खेत्री तांबा परियोजना	Khetri Copper Project	65
696. नंगल में अखबारी कागज का कारखाना	Newsprint Factory at Nangal . . .	65
697. सिलिका रेत के निक्षेप	Deposits of Silica Sand	65–66
698. तांबा और जस्ता	Copper and Zinc	66
699. रोपड़—नंगल बांध पर फ्लैग स्टेशन	Flag Station at Rupar Nangal Dam . .	66
700. राजपुरा में ऊपरी पुल	Over-bridge at Rajpura	66–67
701. बालासौर स्टेशन पर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी	Class IV Staff at Balasore Station . .	67
702. भूमिगत सम-पार (अंडर-ग्राउन्ड लेवल क्रासिंग)	Underground Level Crossing . . .	67
703. चाय उद्योग के कर्मचारियों का प्रशिक्षण	Training of Tea Industry Personnel .	68
704. नारियल जटा की चटाइयों का निर्यात	Export of Coir Matting	68
705. नारियल जटा की वस्तुओं के विक्रय सम्बन्धी सर्वेक्षण	Market Survey for Coir Goods . .	69
706. रेशम उत्पादों के मूल्य	Prices of Sericulture Products . . .	69–70
707. चश्मे का शीशा बनाने का कारखाना	Opthalmic Glass Factory . . .	70
708. कच्चे माल का आयात	Import of Raw Materials . . .	71

U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
709.	बिलेटों का उत्पादन और वितरण	Production and Distributions of Billets	71
710.	कलकत्ता में रेल सेवायें	Train Services in Calcutta	72
711.	कलकत्ता में उपनगरीय रेल गाड़ियों का देर से चलना	Late Running of Suburban Trains in Calcutta	72–73
712.	जलपाईगुडी स्टेशन के निकट दुर्घटना	Accident near Jalpaiguri Station	73
713.	बिस्कुट बनाना	Manufacture of Biscuits	73–74
714.	बेंटोनाइट के निक्षेप	Deposits of Bentionite	74
715.	समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर पर टिकट कलैक्टर	Ticket Collector at Samastipur Railway Station	74
716.	अहमदाबाद दिल्ली एक्सप्रैस रेलगाड़ी में दुर्घटना	Accident in Ahmedabad Delhi Express	75
717.	चलते फिरते (मोबाइल) क्रेनों का निर्माण	Manufacture of Mobile Cranes	75
718.	सुमरेडी स्टेशन पर रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाना	Derailment at Sumrari Station.	75–76
719.	पश्चिमी घाट एक्सप्रैस की समय-सूची में परिवर्तन	Change of Timings of the West Coast Express	76
720.	दुर्गापुर इस्पात कारखाने में उत्पादन	Production in Durgapur Steel Plant	76–77
721.	कारों और स्कूटरों के पुर्जे	Spare parts of Cars and Scooters	77
722.	खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग	Khadi and Village Industries Commission	77–78
723.	बरेली में रेलवे स्लीपर तथा कोच यार्ड में अग्निकांड	Fire in Rly. Sleepers and Coach Yard at Bareilly	78
724.	माल डिब्बे	Goods Wagons	78–79
725.	निर्यात	Exports	79–80
726.	राष्ट्रीय लघु उद्योग विनियोजन संस्था	National Small Industries Investing House	80
727.	"ब्लीडिंग मद्रास" कपड़े का निर्यात	Export of "Bleeding Madras" Fabric	80
728.	चाय का निर्यात	Export of Tea	81

अता० प्र० सं०

U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
729.	जबलपुर डिवीजन में सेवाओं के लिये लोगों का चयन	Selections in the Jabalpur Division . .	81
730.	स्टेशनों पर पीने का पानी	Drinking water at Stations . . .	81–82
731.	डीजल रेल कार	Diesel Rail Cars	82
732.	आसाम रेल सम्पर्क का समाप्त हो जाना	Snapping of Assam Rail Link . .	82
733.	प्रैस संवाददाताओं को रियायती कूपन	Concession Coupons to Press Correspondents	83
734.	बाराबांकी-गोंडा-गोरखपुर मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलना	Conversion of Barabanki-Gonda-Gorakhpur M.G. into B.G. Line	83
735.	रंगों को पक्के बनाये रखना	Maintenance of Colour Fastness . .	83–84
736.	कलकत्ता में रेलवे के महा-प्रबन्धक के कार्यालय के सामने प्रदर्शन	Demonstration in front of G.M.'s Office, E. Rly., Calcutta	84
737.	नैमित्तिक (कैजुअल) श्रमिक	Casual Labour	84–85
738.	पुस्तकों का आयात करने के लिये विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange for Import of Books .	85
739.	चौथी पंचवर्षीय योजना काल में शक्ति चालित करघे (पावरलूम)	Powerlooms in Fourth Plan . .	85–86
740.	कोलम्बो में साड़ियों के मूल्य	Prices of Saris in Colombo . .	86
741.	औद्योगिक प्रबन्धकीय कर्मचारियों का प्रशिक्षण	Training of Industrial Managerial Staff .	86
742.	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे लाइनों के साथ-साथ भूमिहीन व्यक्तियों का बसाया जाना	Settlement of Landless People along Railway Track on N.F. Railway . . .	86
744.	केरल में कताई मिलें	Spinning Mills in Kerala . . .	86
745.	मनीपुर में उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries in Manipur .	87
746.	मनीपुर को लोहे की चादरों का सम्भरण	Supply of Iron Sheets to Manipur . .	87–88
747.	उत्तर रेलवे के जन सम्पर्क अधिकारी का कार्यालय	Office of the Public Relations Officer, N. Railway	88–89

U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
748.	'ग' श्रेणी के गार्ड	'C' Class Guards	89
749.	दक्षिण कोरिया के साथ व्यापार	Trade with South Korea	90
750.	अमरीकी फर्मों द्वारा भारत में उद्योगों की स्थापना	Industries in India by U.S. Firms	90
751.	इस्पात कारखानों में आसाम के कोयले का प्रयोग	Use of Assam Coal in Steel Plants	90
752.	भारत का आयात और निर्यात व्यापार	Import and Export Trade of India	91
753.	गैर-सरकारी कोयला खानें	Private Colliaries	91–92
754.	सूरजमुखी के बीज के तेल का आयात	Import of Sunflower seed Oil	92
755.	धातुओं का आयात	Import of Metals	92–93
756.	गोला-गरी (कोप्रा) का आयात	Import of Copra	93
757.	डी० बी० के० रेलवे परियोजना	D.B.K. Railway Project	93–94
758.	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में भूमि स्खलन (लैंड स्लिप्स)	Landslips on the N.F. Railway	94
759.	रायचूर-पूना रेलगाड़ी का लूटा जाना	Ransacking of Raichur-Poona Train	94–95
760.	भिलाखेड़ी स्टेशन यार्ड	Bhilakhedi Station Yard	95–96
761.	उपभोक्ता उद्योग	Consumer Industries	96
762.	नेपाल के साथ व्यापार	Trade with Nepal	96
763.	नागपुर में रेल डिब्बे	Rolling stock at Nagpur	96
764.	क्रालर ट्रैक्टर	Crawler Tractors	96–97
765.	तीन शायिका वाले तीसरी श्रेणी के शयन डिब्बे	3-Tier Third Class Sleeper Coaches	97
766.	कोयला खान मालिकों की समस्यायें	Problems of Colliery Owners	97
767.	ढके हुए मालगाड़ी के डिब्बे (वाक्स बैगन)	Box Wagons	98
768.	ताशों का आयात	Import of playing cards	98
769.	आन्ध्र प्रदेश में तांबे के निक्षेप	Copper deposits in Andhra Pradesh	98–99

U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
770	रेलगाड़ियों में स्कूल (स्कूल्स आन व्हील्स) सम्बन्धी प्रस्ताव	Schools on Wheels Proposal	99
771	आयात की जाने वाली वस्तुओं का देश में उत्पादन (इम्पोर्ट सब्स्टीच्यूशन)	Import Substitution	99
772	कुर्ला जाने वाली गाड़ी	Kurla-bound Train	99
773	रेलवे यात्रियों के लिये बीमा योजना	Insurance Scheme for Railway Passengers	100
774	प्राथमिकता वाले उद्योगों के लिये आयात	Import Licences for Priority Industry	100
775	निवेली में नाइट्रो-फास्फेट का उत्पादन	Production of Nitrophosphate at Neyveli	100
776	कपड़े, रासायनिक पदार्थों तथा औषधियों का निर्यात	Export of Textiles, Chemicals and Drugs	100–101
778	काफी विकास निधि	Coffee Development Fund	101
779	मैसूर में रेशम-कीट पालन उद्योग	Sericulture industry in Mysore	101
780	रेशम-कीट पालन उद्योग को प्रशुल्क सम्बन्धी संरक्षण	Tariff Protection for Sericulture	102
781	निजामुद्दीन स्टेशन पर एक व्यक्ति का रेल के नीचे आ जाना	Man Run over by Train at Nizamuddin Station	102
782	लखनऊ रेलवे स्टेशन पर दुर्घटना	Accident at Lucknow Railway Station	102
783	इन्दौर-बिलासपुर एक्सप्रैस से यात्री का गिर जाना	Falling of Passenger from Indore-Bilaspur Express	103
784	पेटेंट (एकम्व)	Patents	103
785	भारतीय रेलवे के मैकेनिकल विभाग में राजपत्रित पद	Gazetted posts in Mechanical Department of Indian Railways	103
786	प्रशासनिक और गैर-प्रशासनिक राजपत्रित पदों का अनुपात	Administrative and Non-Administrative Gazetted Posts	104
787	"हाइड्रालिक टार्क कन्वर्टर" का पेटेंट	Patent for Hydraulic Torque Convertor	104–105
788	रेलवे कर्मचारियों को रियायतें	Concession to Railway Employees	105

U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
789	सहारनपुर रेलवे स्टेशन के निकट शास्त्री फार्म	Shastri Farm near Saharanpur Railway Station	105
790	मैसूर राज्य में रेलवे लाइने	Railway lines in Mysore State	106
791	उत्तर रेलवे द्वारा सामान की खरीद	Purchase of Stores by Northern Railway	106–107
792	रेलवे के सामान की खरीद	Purchase of Railway Stores	107
793	घाटकोपर स्टेशन पर घटना	Incident at Ghatkopr Station	107–108
794	दिल्ली कालका रेलगाड़ी का का सोनीपत स्टेशन पर रोका जाना	Detention of Delhi-Kalka Train at Sonepat	108
795	ब्लाक रेक्स	Block Rakes	109
796	ईटों के भट्टों और साफ्ट-कोक के डिपुओं के लिये लाइसस	Licences for Brick kilns and Soft Coke Depots	109
97	दण्डकारण्य रेलवे लाइन	Dandakaranya Railway Line	109–110
798	तिरुनेलवेल्ली-कन्याकुमारी त्रिवेन्द्रम रेलवे लाइन	Tirunelvely-Kanyakumari-Trivandrum Railway Line	110
799	अवमूल्यन के बाद चाय और पटसन के निर्यात में वृद्धि	Increase in Export of Tea and Jute after Devaluation	110
800	पूंजीगत वस्तुओं का आयात	Import of Capital Goods	111
801	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कारखाने की कलाई घड़ियां	H.M.T. Wrist Watches	111
802	ऊनी होजरी तैयार करने वाले कारखाने	Woollen Hosiery Producing Units	111
803	पंजीकृत लोहा और इस्पात व्यापारी	Registered Iron and Steel Dealers	112
804	रेशम कीट पालन उद्योग का विकास	Development of Sericulture	112
805	रूरके ला उत्पादों की बिक्री	Sale of Rourkela Products	112–113
806	रोलर फ्लोर मिल	Roller Flour Mills	113
807	महाराष्ट्र को इस्तात का सम्भरण	Supply of Steel to Maharashtra	113
808	काफी का निर्यात	Export of Coffee	114

तारा० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
809.	खुले वैगनों में गेहूं का भेजा जाना	Loading of Wheat in open wagons . .	114
810.	उत्तर रेलवे में अध्यापक और प्राध्यापक	Teachers and Lecturers on Railway . .	114
811.	होजरी उद्योग	Hosiery Industry	114-115
812.	आयातित कारों की बिक्री	Sale of Imported Cars	115-116
813.	डाली-राजहारा-दांतवाड़ा रेलवे लाइन	Dhalli-Rajhara–Dantewara Rail Line .	117
814.	मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड को कोयले का संभरण	Supply of Coal to Madhya Pradesh Electricity Board	117
815.	मध्य प्रदेश में कटनी में कच्चे लोहे का कारखाना	Pig Iron Plant at Katni in Madhya Pradesh	117-118
816.	कारों की बुकिंग	Booking of Cars	118
817.	बायलरों की मांग	Demand for Boilers	118
	स्थगन प्रस्ताव के बारे में (प्रश्न)	Re-Motion for Adjournment (Query) .	119
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table . .	120-123
	राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha . .	123
	सभा का कार्य	Business of the House . . .	123-125
	समिति के लिये निर्वाचन	Election to Committee	125
	सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	Committee on Public Undertakings .	126
	बिजली (सम्भरण) संशोधन विधेयक	Electricity (Supply) Amendment Bill .	126–140
	विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
	खंड 2 से 24 तथा 1	Clauses 2 to 24 and 1 . .	126–140
	संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass, as amended	
	डा० कु० ल० राव	Dr. K. L. Rao	140
	श्री रंगा	Shri Ranga	140
	श्री के० दे० मालवीय	Shri K. D. Malaviya . . .	140
	डा० मा० श्री अणे	Dr. M.S. Aney	140
	श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra	141
	कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि विधेयक	Coal Mines Labour Welfare Fund Bill .	142-43
	विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	143
	श्री शाहनवाज़ खां	Shri Shahnawaz Khan	

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos. विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members Bills and Resolutions	143
नब्बेवां प्रतिवेदन	Nineteenth Report . .	143
विधेयक पुर:स्थापित	Bills Introduced—	
(1) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 37, 45 और 47 का संशोधन)	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of articles 37, 45 and 47)	143-44
(श्री मधु लिमये का)	(by Shri Madhu Limaye) . .	
(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा 107 और 109 का हटाया जाना)	Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill (Omission of sections 107 and 109 .	144
(श्री मधु लिमये का)	by Shri Madhu Limaye . .	
(3) दण्ड विधि संशोधन (निरसन) विधेयक	Criminal Law Amendment (Repeal) Bill	
(श्री मधु लिमये का)	by Shri Madhu Limaye . .	144-45
(4) कार्मिक संघ मान्यता विधेयक	Recognition of Trade Unions Bill	
(श्री मधु लिमये का)	by Shri Madhu Limaye . .	144-45
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 1 और 393 का संशोधन) वापस लिया गया	Constitution (Amendment) Bill—*Withdrawn* (Amendment of articles 1 and 393)	
(श्री कृष्ण देव त्रिपाठी का)	by Shri Krishna Deo Tripathi .	145-48
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
डा० रानेन सेन	Dr. Ranen Sen	145
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	145-56
श्री बड़े	Shri Bade	146
श्री प्रिय गुप्त	Shri PriGupt. . .	146-47
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla . . .	147
श्री कृष्ण देव त्रिपाठी	Shri Krishna Deo Tripathi . . .	147-48
अखिल भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा परिषद् विधेयक	All India Ayurvedic Medical Council Bill	148-52
(श्री अ० त्रि० शर्मा का)	by Shri A.T. Sarma . . .	148-50
परिचालित करने का प्रस्ताव	Motion to circulate	
श्री अ० त्रि० शर्मा	Shri A.T. Sarma	148-50

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
	श्री सरजू पाण्डेय	Shri Sarjoo Pandey . .	150
	श्री गोकुलानन्द महन्ती	Shri Gokulananda Mohanty .	150
	श्री राम सेवक यादव	Shri Ram Sewak Yadav . . .	150
	डा० मेलकोटे	Dr. Melkote	150
	श्री बड़े	Shri Bade . . .	151
	श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा	Shri Narendra Singh Mahida . .	151
	श्री गौरी शंकर कक्कड़	Shri Gauri Shankar Kakkar . .	151
	श्री राधे लाल व्यास	Shri Radhelal Vyas . .	151–52
	डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी	Dr. L.M. Singhvi	152
	श्री रामचन्द्र मलिक	Shri Rama Chandra Mallick . .	152
	श्री यशपाल सिंह	Shri Yashpal Singh	152
	श्री मोहन नायक	Shri Mohan Nayak	152
	श्रीलंका में राष्ट्रिकताहीन श्रमिकों की मतदाता सूचियों के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour Discussion *Re:* Electoral Rolls of Stateless workers in Ceylon .	153–55
	श्री उमानाथ	Shri Umanath	153–54
	श्री दिनेश सिंह	Shri Dinesh Singh . . .	154–55

लोक सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, 29 जुलाई, 1966/7 श्रावण, 1888 (शक)

Friday, July 29, 1966/Sravana 7, 1888 (Saka)

[लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।]

[*The Lok Sabha met at Eleven of the Clock*]

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

पाकिस्तान के साथ व्यापार

+

†121. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री किन्दर लाल :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री यशपाल सिंह :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री राम सेवक यादव :
श्री बागड़ी :
श्री किशन पटनायक :
श्री मधु लिमये :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री कपूर सिंह :
श्री बूटा सिंह :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तान के साथ व्यापार पर लगाया गया प्रतिबन्ध एक-पक्षीय रूप से हटा लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ होने वाले व्यापार पर लगाया गया प्रतिबन्ध अभी तक नहीं हटाया है।

Shri Vishwa Nath Pandey : I would like to know that when Pakistan has violated the Tashkent Pact and does not abide by it, why have we decided of doing away with the restrictions unilaterally.

Shri Manubhai Shah : We have decided to work with the spirit of Tashkent Agreement and therefore, we are on our part removing all the problems relating to two countries.

Shri Vishwa Nath Pandey : I would like to know the amount of loss caused to the Indian Government by the restrictions imposed on Trade since the flaring up of Indo-Pakistan Conflict to the present day.

Shri Manubhai Shah : There has been no loss. Our trade stopped after Indo-Pakistan hostilities. But side by side our trades increased with other countries.

Shri Yashpal Singh : How much of our goods are detained by them at present and what is the loss we have incurred after devaluation from business point of view?

Shri Manubhai Shah : This question does not cover our properties or goods confiscated by Pakistan. This question pertains to the trade between the two countries. Formerly our trade was to the tune of Rs. 42 crores, imports approximated to Rs. 21 crores and exports also to Rs. 21 crores, all that has stopped now.

Shri M.L. Dvivedi : I would like to know whether the Government consulted and asked Pakistan to lift the ban before this government lifted its own ban. If not, what was the reason for not consulting them and when Pakistan accorded permission to supply fruits to India from Afghanistan through her territory, what is the reason for not permitting general trade.

Shri Manubhai Shah : We lifted the trade ban in order to bring about normalisation between the two countries in keeping wih the sprit of Tashkent Agreement. I had talks with their Minister for Trade, Shri Farrukh and two other Ministers in Rawalpindi. Recently we had talks in London regarding our policy. Gradually Pakistan Government will also try to start trading.

श्री कपूर सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कुछ दिन पूर्व पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान से सूखे फलों को स्थल मार्ग से भारत पहुंचाने की सुविधा देने के प्रश्न को पाकिस्तान के साथ उठाया है?

श्री मनुभाई शाह : हां, इस पर भी बातचीत हो रही है।

श्री कपूर सिंह : क्या परिणाम रहे ?

श्री मनुभाई शाह : अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या भारत-पाकिस्तान व्यापार प्रतिबन्ध हटाये जाने के परिणामस्वरूप पूर्वी पाकिस्तान और आसाम में स्थानीय व्यापार शुरू हो गया है ? यदि हां, तो यह व्यापार कैसे नियमित किया जा रहा है तथा सामान की तस्करी को रोकने, तोड़फोड़ की कार्यवाही करने वालों को भारत में आने से रोकने तथा विद्रोही तत्वों को सैनिक प्रशिक्षण लेने के लिए पाकिस्तान जाने से रोकने की दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं?

श्री मनुभाई शाह : जहां तक दोनों पक्ष आपसी सम्बन्ध नहीं सुधारते, एकतरफा प्रतिबन्ध हटाने स्वभावतः व्यापार के विस्तार में अधिक सहायक नहीं होगा। इसीलिये हम अनुरोध कर रहे हैं कि दोनों ओर से प्रतिबन्ध हटाये जाने चाहियें और सामान्य व्यापार सम्बन्ध फिर से स्थापित होने चाहियें तथा यदि आवश्यक हो तो दोनों देशों में दीर्घ सूत्री व्यापार समझौते के लिये एक उप-सन्धि पर हस्ताक्षर किये जाने चाहियें।

Shri Sidheshwar Prasad : Recently the Indian Government has devalued its rupee but the Pakistan Government did not devalue its currency. What will be its effect on Indo-Pakistan trade ?

Shri Manubhai Shah : Devaluation is related with foreign currency. It will not cause any difference in Indo-Pakistan trade. Same procedure will be applicable to all the countries.

Shri Bade : Pakistan has not lifted its ban so far. May I know whether the Government had any talks with Pakistan Government with regard to jute and other raw materials which we import from Pakistan and can we purchase jute from them ?

Shri Manubhai Shah : What goods we can get through third countries from Pakistan, all that can be had and the same condition is applicable in respect of jute also. But we want to bring about normalisation of relations between the two countries and we want to create a new atmosphere so that friendship is established between the two countries and trade is resumed as early as possible. We hope the situation will take this turn.

Shri Tyagi : He has stated that unilateral trade is going on and the ban has been lifted. I would like to understand it because trading cannot be unilateral. Two parties have to go together essentially. Is trade started by us for purchasing their goods or for selling our goods to them also ? In case of unilateral ban and when Pakistan is not cooperating, what is the procedure for payments etc.

Shri Manubhai Shah : Our efforts go both the ways. So far direct trade has not been started between India and Pakistan. Payments are dealt with in terms of sterling & Dollars. The goods they sell reach us through third countries and what we sell reaches them through third countries.

डा० रानेन सेन : भारत पाकिस्तान संघर्ष से पूर्व पश्चिमी बंगाल, आसाम और पूर्वी पाकिस्तान में लगातार व्यापार होता था और यह दोनों देशों के हित में था। क्या सरकार ने यह जानने के लिये कोई विशेष प्रयत्न किया है कि भारत के इन दो राज्यों और पूर्वी पाकिस्तान में नियमित व्यापार जल्दी से जल्दी शुरू किया जा सके।

श्री मनुभाई शाह : जिस क्षेत्र का जिक्र माननीय सदस्य ने किया है वह दोनों देशों के बीच हुये बड़े समझौते के अन्तर्गत आ जाता है। हमने पाकिस्तान और भारत में होने वाले व्यापार से प्रतिबन्ध

हटा दिया है। पश्चिमी बंगाल तथा आसाम दोनों इस समझौते के अन्तर्गत आ जाते हैं और जब दो-तरफा व्यापार सम्बन्ध स्थापित होंगे, हमें आशा है स्थिति और सुधरेगी।

अध्यक्ष महोदय : दूसरा प्रश्न।

श्री म० ला० द्विवेदी : श्रीमान मेरा निवेदन है कि प्रश्न नं० 124 को भी प्रश्न नं० 122 के साथ ही लिया जाय।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को कोई आपत्ति है?

श्री मनु भाई शाह : नहीं श्रीमान, मैं 122 और 124 को एक साथ लेने को तैयार हूं।

अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य

+

*122. **श्री हेम बरुआ** :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री गुलशन :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री नाथ पाई :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री किशन पटनायक :
श्री राम सेवक यादव :
श्री मधु लिमये :
श्री रा० बरुआ :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री रिशांग किशिंग :
श्री गोकुलानन्द महन्ती :
श्री अचल सिंह :
डा० रानेन सेन :
श्री विभूति मिश्र :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्री बासप्पा :
श्री शिवमूर्ति स्वामी :
श्री बृजराज सिंह :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री कु० चं० पन्त :
श्री हेम राज :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों को स्थिर रखने के लिये हाल में कुछ ठोस उपाय किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपाय कि गये तथा उनका क्या परिणाम निकला?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सदन की मेज़ पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6560/66]**

दिल्ली में अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य

*124. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने हाल ही में 35 अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य के अध्ययन के आधार पर दिल्ली और नई दिल्ली में मूल्य-ढांचे का सर्वेक्षण किया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले, और

(ग) मूल्य स्थिर रखने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) दिल्ली प्रशासन ने 18 अत्यावश्यक वस्तुओं का अध्ययन किया है ।

(ख) तथा (ग). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 6561/66]**

श्री हेम बरुआ : यह ध्यान में रखते हुये कि इस देश में आवश्यक वस्तुओं के मूल्य निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं तथा सरकार मूल्य बढ़ोत्तरी को रोकने में सफल नहीं हुई, क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने मल्य वृद्धि के विरुद्ध कुछ कठोर कदम उठाये हैं ?

श्री मनुभाई शाह : मैंने इन दो वक्तव्यों में कई कार्यवाहियों का जिक्र किया है तथा यदि माननीय सदस्य उनको पढ़ें तो वह यह देखने में नहीं चूकेंगे कि कई कदम उठाये गये हैं । फिर भी मैं उनसे सहमत हूं कि स्थिति का मुकाबला करने के लिये ये कदम पर्याप्त नहीं हैं। प्रथम तो यह है कि हमने एक नियंत्रण कक्ष शुरु किया है तथा एक सिविल सप्लाइज आयुक्त की नियुक्ति की है। मैं पिछले तीन सप्ताहों के अन्दर अन्दर आयुक्त कार्य सम्बन्धी प्रतिवेदन परिचालित करूंगा। उन्होंने बहुत से राज्य तथा क्षेत्रों का यह देखने के लिये दौरा किया है कि उपभोक्ताओं के पास आवश्यक वस्तुयें उचित मूल्य पर पहुंचें। यहां हमारा अधिकांश सम्बन्ध दिल्ली प्रशासन से है क्योंकि यह सीधे केन्द्राधीन हैं । मैं पूरे देश का सिंहावलोकन कर रहा हूं मैं किसी प्रश्न को नहीं छोड़ रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली प्रशासन के प्रश्न को यहां कुछ बढ़ा चढ़ा कर रखा गया है । इसी प्रकार राज्यों में भी नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जा रहे हैं । हमने बड़े निर्माताओं, कारखानों तथा उद्योगों के साथ भी अभाव-ग्रस्त क्षेत्रों को सामान भेजने की व्यवस्था की है। कुछ मामलो में उद्योग और ब्यापार में स्वेच्छा मूल्य-निर्धारण व्यवस्था है, ये भी आरम्भ हो गये हैं । कई तरह के उपभोक्ता सहकारी भण्डार, उचित मूल्य की दुकानें, वैभागिक भण्डार आदि से हमारा सम्बन्ध है । इन सभी का कालान्तर में सन्तोषजनक परिणाम निकलेगा ।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच नहीं है कि सरकार द्वारा रुपये के अवमूल्यन के निर्णय से देश में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ीं हैं तथा सरकार ने भी विज्ञापन की दरों को 10 प्रतिशत बढ़ाने की सहमति से मूल्य वृद्धि में योग दिया है ।

श्री मनुभाई शाह : मूल्य वृद्धि स्थिति के अनुसार होती है उसे साधारण घटना के साथ नहीं रखा जाना चाहिये । पिछले कई सालों से इस देश में बढ़ते हुये अर्थतन्त्र के कारण मुद्रास्फीती हुई है और अभी भी मुद्रास्फीती की स्थिति कायम है। इसलिये मूल्यों में वृद्धि अवश्यम्भावी है। जहां तक मैं समझ पाया माननीय सदस्य ने जो बढ़ते हुये मल्यों की ओर संकेत दिया है वह उचित नहीं है। हम इसे नियंत्रित करने का प्रयत्न कर रहे हैं तथा खुदरे व्यापार के सम्बन्ध में कुछ गलतियां हुई हैं ।

श्री हेम बरुआ : सब मूल्य वृद्धि अनुचित है। मेरा प्रश्न था कि क्या सरकार द्वारा रुपये के अवमूल्यन के निर्णय से देश में कीमतें बढ़ीं हैं तथा क्या सरकार ने विज्ञापनों की 10 प्रतिशत दर बढ़ाने को सहमत होने से मूल्य वृद्धि में स्वयं योग दिया है ?

श्री मनुभाई शाह : दर असल मैंने यह मानने से इन्कार किया है कि विज्ञापन दर में 10 प्रतिशत वृद्धि तथा साधारण मूल्य ढांचे में कोई सम्बन्ध है। यहां जो वक्तव्य मैंने प्रश्न संख्या 124 के उत्तर में सभा-पटल पर रखा है, यह दिल्ली प्रशासन की मूल्य वृद्धि के विस्तृत आंकड़े प्रस्तुत करता है तथा यही साधारणतया सम्पूर्ण देश की तस्वीर भी प्रस्तुत करता है। यदि माननीय सदस्य इसी का जिक्र करते हैं तो, वह मुझ से, किसी वस्तु विशेष की ओर संकेत करते हुये जिससे उन्हें असहमति हो, पूछ सकते हैं।

श्री प्र० चं० बरुआ : मूल्य स्तर बनाये रखने के रूप में दिल्ली में जमा खोरों का पर्दाफाश करने तथा सजा देने के लिये छापे मारे जा रहे हैं। किन्तु आज के समाचार-पत्रों में मैंने पढ़ा है कि ये सब कार्यवाहियां बन्द कर दी गई हैं। छापे मारना बन्द करने का क्या कारण है ?

श्री मनुभाई शाह : जहां तक थोकस्तर पर जमा खोरों का सम्बन्ध है, कई जमाखोरी-विरोधी कदम अब ही नहीं पहिले भी उठाये गये हैं। दर असल यहां हमारा सम्बन्ध इस बात से है कि क्या उपभोक्ता मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान उन आवश्यक वस्तुओं की ओर दिलाना चाहता हूं जो लगभग 28 हैं और दूसरे 47 भी इनके साथ हैं तथा जिन्हें हमने सूचिबद्ध कर रखा है। यदि माननीय सदस्य अपने अनुभव या दूसरों के अनुभव के अनुसार किसी वस्तु विशेष की अत्यधिक मूल्य वृद्धि की ओर संकेत करते हैं तो मैं उसकी जांच करूंगा और उसे ठीक करने का प्रयत्न करूंगा।

श्री प्र० चं० बरुआ : समाचार मिला है कि छापा मारने की कार्यवाही अब बन्द कर दी गई है।

श्री मनुभाई शाह : बन्द नहीं की गई है, किन्तु हम उन्हें विवेकहीनता से भी जारी नहीं रखना चाहते। विवेक हीन छापे नहीं डाले जा सकते किन्तु छापे मारने अब बन्द नहीं हुये।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या मंत्री महोदय इस बात से भी इन्कार करने की स्थिति में हैं कि ये सारे कदम उठाने के बावजूद भी अवमूल्यन के बाद आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में 15 से 30 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

श्री मनुभाई शाह : मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं क्योंकि नियंत्रण कक्ष से जो आंकड़े मेरे पास आए हैं ..... (व्यवधान) .....

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

श्री मनुभाई शाह : मैं सभा के सामने हूं ..... (व्यवधान)

श्री भागवत झा आजाद : सही स्थिति क्या है ?

श्री मनुभाई शाह : तथ्य रिकार्ड में हैं। यदि कोई विरोधाभास हो तो मैं आगे जांच करने से पहले कुछ नहीं कहना चाहता। मैं सभा से तथा माननीय सदस्यों से सहयोग का अनुरोध करता हूं कि वे मुझे अपने या दूसरों के अनुभव के अनुसार जहां कहीं भी खाद्यानों के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि होती है सूचित करें।

श्री म० ला० द्विवेदी : क्या मंत्री महोदय मूल्य वृद्धि की जानकारी रखते हैं ? उनके वक्तव्य से मालूम होता है कि वह आवश्यक खाद्यान्नों के मूल्यों से अपना सम्पर्क नहीं रखते ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास कोई सूचना है ? वह कहते हैं कि सदस्यों को उन्हें सूचित करना चाहिये । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास इस मामले में कोई सूचना है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने वह सूचना वक्तव्य में दे दी ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मैं श्रीमान का इस मामले में हस्तक्षेप या आश्रय चाहता हूं । आप ही प्रश्न को देखें, यह पूछा गया था कि क्या कदम उठाये गये तथा क्या परिणाम निकले ? (व्यवधान) प्रश्न का सम्बन्ध केवल उठाये गये कदमों से ही नहीं है अपितु उनके परिणामों से भी है । लम्बे वक्तव्य में उन्होंने परिणाम नहीं बताये ।

श्री मनुभाई शाह : विस्तृत वक्तव्य जो मैंने सभा पटल पर रखा है उसमें अवमूल्यन से पहले याने 30 मई, 1966 और उसके बाद के 15 जुलाई तथा 22 जुलाई तक के मूल्य उसमें दिखाये गये हैं ताकि माननीय सदस्यों को हमारी कार्यवाहियों तथा उनके परिणामों की जानकारी मिल सके ।

अध्यक्ष महोदय : वक्तव्य में जो कुछ है उसे दुहराने की आवश्यकता नहीं है ।

श्रीमती सावित्री निगम : मंत्री महोदय ने ग्रामीण क्षेत्रों में मूल्य स्थिर रखने के लिए क्या कदम उठाये हैं ? मैं जानना चाहती हूं कि उनको यह जानकारी है कि नहीं कि ग्राम्य क्षेत्रों में दो तीन चीजों जैसे सीमेण्ट, खाद्यान्न, खाने के तेलों, तथा सूती कपड़ों के मूल्य 10 से 15 प्रतिशत बढ़े हैं ?

श्री मनुभाई शाह : पिछले महीने हमने सभी राज्यों के सिविल सप्लाइज़ आयुक्तों की एक बैठक बुलाई थी ।जहर जिले में जिलाधीशों को आवश्यक वस्तु अध्यादेश अधिनियम के अन्तर्गत अधिकार दिये गये हैं कि अभाव की सूचना यहां केन्द्रीय आयुक्त को दें । मैं सभा को विश्वास दिला सकता हूं कि चाहे सीमेण्ट हो या कपड़ा हो या तेल, हमको यदि कोई भी सूचना मिलती है, हम फौरन सामान भेजने की व्यवस्था करते हैं । दूसरे प्रतिवेदन में मैंने बताया है कि कितना सामान भेजा गया है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The rates of essential Commodities are being daily broadcasted by the All India Radio. But when we go to the market to purchase those Commodities at those rates we are told that at those rates you can get these only from the All India Radio. Are Government aware that the rate of mustered oil has risen to Rs. 5.25 per Kilo? What steps have been taken by Government to arrest the rising prices? How many persons have been arrested and punished as a result of Governments' announcement take stringent action against the defaulters?

Shri Manubhai Shah : On an average 80-100 letters are being dauly received by the Radio Department, containing appreciation that due to these broadcast the ordinary citizen in the country comes to know as to what are the correct prices and they are getting articles on those rates. There are cases where they are not getting at those rates and in such cases we take action. We launch raids and also arrest people and we rush the commodities to the deficit areas. This is done for the proper distribution of the articles. It is a matter of co-operation and Government alone can not do much. I appeal to the hon. Members to extend their cooperation. I am not taking any defence, but we want the co-operation of the hon. Members and the public. Whereever they have any difficulty, they should report to us and we shall try to remove that .

Shri Madhu Limaye : You want to escape your responsibility.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : How many persons have been arrested and how many punished?

Shri Manubhai Shah : It takes some time to establish the guilt of the offenders and we can not punish them immediately.

Shri Madhu limaye : You are arresting the small fly and not the big guns.

Mr. Speaker : If he goes on speaking like this nothing will be recorded.

Shri Bagri : Sir, I rise on a point of order under rule 376. Despite our giving notice of the question we are not given chance to speak and it is so with me particularly.

Mr. Speaker. The hon. Member has come just now and he has started complaining. I wanted to call him in the previous question, but he was not present.

Shri Bagri: But in this question I am present. Unless we catch your eye we will not get a chance, so there is no use giving our names.

Mr. Speaker: If there are many names appended to a question, I cannot give opportunity to all the hon. Members.

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : विभिन्न अत्यावश्यक वस्तुओं के वर्तमान मूल्यों पर सुपर बाज़ार का कहां तक प्रभाव पड़ा है, इसके द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण किस हद तक हो सकेगा और इस सुपर बाजार संगठन का प्रशासनिक ढांचा क्या है?

श्री मनुभाई शाह : सुपर बाजार योजना के अन्तर्गत पहले स्टोर की ओर मैं सभा का ध्यान दिलाना चाहता हूं, जिसे दिल्ली में खोला गया है। उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे स्वयं वहां जा कर देखें और मुझे बतायें कि मेरी बात सही है या गलत।

Shri Onkar Lal Berwa : Sir, the people are dying of starvation and the hon. Minister is laughing. For how long the prices fixed by the Government will last and for how long there can be the possibility of fluctuation in prices ?

श्री मनुभाई शाह : आप पहले से यह अनुमान लगाते हैं कि मैंने वक्तव्य में जो कुछ कहा है मूल्य उससे ऊंचे हैं। हम प्रति दिन इसकी निगरानी रखते हैं।

Shri Onkar Lal Berwa : For how long these prices fixed will last ?

अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार का प्रस्ताव मूल्यों में और वृद्धि करने का है।

श्री मनुभाई शाह : जी नहीं, बिल्कुल नहीं।

Shri Jagdev Singh Siddhanti: Sir, my name is also there and I should also be given the opportunity.

Mr. Speaker: If there are 50 names appended to a question, how can I call all the hon. Members at a time ?

Shri Bagri: Call them serially.

Mr. Speaker: If I am directed to call serially I have no objection to that.

Shri Ram Sewak Yadav: The factual position in regard to prices in the cities and villages is quite different from what is stated here and in that care the questions here have no meaning. Will the hon. Minister go personally to the villages and see for himself the factual position of the prices or he will continue to depend upon the false and misleading information given by the bureaucrats ?

Shri Manubhai Shah: The hon. Members' estimate may be different, but the fact is that we have gone to the villages from where the information comes. In every State there are control rooms where all such information is collected. If any hon. Member feels that the price stated by us is not correct, he may draw our attention to that.

Shri Ram Sewak Yadav: The prices prevailing are higher.

Mr. Speaker: What can I do for that ?

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपको ध्यान होगा मेरे माननीय साथी श्री द्विवेदी ने सारे देश में मूल्यों में वृद्धि के बारे में प्रश्न किया और मंत्री महोदय ने यह कह कर कि एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है, प्रश्न के पूरे उत्तर को सरलता से टालने की कोशिश की। विवरण केवल दिल्ली के सम्बन्ध में है जबकि प्रश्न सारे देश के बारे में है, क्योंकि जनता सारे देश में दुखी है। अत: मैं जानना चाहता हूं कि स्थिति क्या है और क्या यह सच है कि अवमूल्यन के बाद, जब प्रधान मंत्री लोगों से स्वदेशी माल खरीदने की अपील कर रही थीं, तो स्वदेशी फल और सब्जियों की कीमतें काफी ऊंची चढ़ गई हैं और यहां तक कि स्वदेशी अशोक होटल ने भी अपनी दरें बढ़ा दी हैं और यदि हां, तो स्वदेशी जमाखोरों, चोरबाजारों और मुनाफाखोरों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है।

श्री मनुभाई शाह : यदि उनका निर्देश प्रश्न संख्या 122 से है तो यह अवमूल्यन के बाद मूल्यों पर नियन्त्रण रखने और यह सुनिश्चित करने कि उपभोक्ताओं को वस्तुएं उचित मूल्यों पर मिलें, सरकार द्वारा किये गये विभिन्न उपायों के बारे में है। मैं ने.....

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : जी नहीं।

श्री मनुभाई शाह : दिल्ली बिल्कुल पृथक है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : जी नहीं, उसी प्रश्न के अन्तिम पैरे में यह पूछा गया था "यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपाय किये गये हैं और उनका क्या परिणाम निकला"।

श्री मनुभाई शाह : सांख्यिकीय परिणामों की आवश्यकता नहीं है। मैं ने गुणात्मक दृष्टि से एक बात कह दी है। मैं 10,000 वस्तुओं को यहां नहीं रख सकता हूं। मैं ने विस्तृत विवरण में बताया है कि लगभग देश के प्रत्येक भाग में, ग्रामीण क्षेत्रों सहित प्रत्येक राज्य में अनुचित मूल्य वृद्धि कहीं भी नहीं हुई है....

(अन्तर्बाधा)

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति। अब सभा क्या चाहती है?

श्री हरि विष्णु कामत : एक चर्चा।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां। एक चर्चा।

अध्यक्ष महोदय : क्या मंत्री महोदय उससे सहमत हैं?

श्री मनुभाई शाह : मैं चर्चा के लिये तैयार हूं।

अध्यक्ष महोदय : इसकी सूचना दे दी जाये। मैं चर्चा की अनुमति दे दूंगा।

सेलम इस्पात कारखाना

+

123. **श्री सेझियान** :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री बागड़ी :
श्री मधु लिमये :
श्री काजरोलकर :
श्री बूटा सिंह :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री नम्बियार :
श्री मौर्य :
श्री किशन पटनायक :
श्री राम सेवक यादव :
डा० श्रीनिवासन :
श्री कपूर सिंह :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री मुथिया :

क्या लोहा और इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेवल लिग्नाइट तथा सेलम लौह अयस्क के आधार पर एक इस्पात कारखाने की स्थापना के बारे में जापानी विशेषज्ञों तथा मैसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी ने अपने प्रतिवेदन पेश कर दिये, हैं और यदि हां, तो क्या उन पर कोई निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) क्या सेलम इस्पात कारखाना चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो इसके लि ये योजना में कितनी राशिपनियत की गई है ?

लोहा और इस्पात मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग) जापानी परामर्श-संस्थान तथा मैसर्स एम० एन० दस्तूर एण्ड कम्पनी प्राइवेट लि० ने नेवेली लिग्नाइट तथा सेलम लौह अयस्क के आधार पर एक इस्पात कारखाना लगाने के बारे में अपने प्रतिवेदन दे दिये हैं परन्तु चौथी पंचवर्षीय योजना में कारखाने के स्थापन के बारे में निर्णय अभी नहीं किया गया है।

श्री सेझियान : यह प्रश्न कई वर्षों से अनिर्णीत है। तत्कालीन इस्पात और भारी उद्योग

मंत्री श्री चि० सुब्रह्मण्यम ने 15 अप्रैल, 1963 को अनुदानों की मांगों का उत्तर देते हुए यह आश्वासन दिया था :

"परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है और इस वर्ष के अन्त तक वह उपलब्ध हो जायेगा। मैं आश्वासन दे सकता हूं कि सेलम में इस परियोजना की शीघ्र क्रियान्विति के लिये सभी संभव कदम उठाये जायेंगे।"

उस आश्वासन को क्रियान्वित करने में इतनी देर क्यों लगाई गई है। ?

श्री प्र० चं० सेठी : परियोजना प्रतिवेदन दस्तूर एण्ड कम्पनी से प्राप्त हो गया है। इस पर विचार किया गया था। बाद में जापानी परामर्शदातृ संस्थान ने अपनी सेवाओं की पेशकश की और वह भी ली गई थी। उसने देश का दौरा किया था। उसने प्रतिवेदन भी दिया है। वह प्रतिवेदन हमें 23 मार्च, 1966 को मिला था। अब वह विचाराधीन है। अन्तिम निर्णय योजना आयोग के परामर्श से किया जायेगा जिसमें इस उद्योग के अन्तिम आवंटन का निश्चय किया जायेगा।

श्री सेझियान : मंत्री महोदय ने वह आश्वासन 15 अप्रैल, 1963 को दिया था। और अब 3 वर्ष से भी अधिक समय बीत गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार निर्णय करने में इतनी ढील बर्त रही है।

श्री प्र० चं० सेठी : यह सच है कि इस परियोजना को तृतीय योजना में रखा गया था परन्तु विभिन्न कठिनाइयों के कारण और हाल के प्रतिवेदन को देखते हुए ..... **(अन्तर्बाधा)**

श्री सेझियान : शीघ्र निर्णय करने में क्या कठिनाइयां हैं ?

श्री प्र० चं० सेठी : सभी कठिनाइयों का उल्लेख करना सम्भव नहीं है, परन्तु आरम्भ में इस पर एक नर्म इस्पात संयंत्र के रूप में विचार किया गया था और अब इस पर एक निम्न मिश्र इस्पात संयंत्र के रूप में विचार किया जा रहा है। जापानी परामर्शदातृ संस्थान का प्रतिवेदन विचाराधीन है। योजना आयोग ने अभी यह नहीं बताया है कि इसके लिये अन्तिम रूप से कितनी राशि आवंटित की जायेगी। जहां तक इस मंत्रालय का सम्बन्ध है, इस संयंत्र के अधिष्ठापन के लिये हमने कुछ करोड़ रुपये का सुझाव दिया है, परन्तु निर्णय योजना आयोग सलाह से ही करना होगा।

श्री नम्बियार : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह प्रश्न एक लम्बे अरसे से अनिश्चित पड़ा है और भाग (ख) में एक विशिष्ट प्रश्न पूछा गया है कि क्या सेलम इस्पात संयंत्र को चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जायेगा, मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसको चतुर्थ योजना में शामिल किया जा सकता है; यदि नहीं, तो इसमें क्या अड़चन है और क्या योजना आयोग इसके विरुद्ध है या कोई अन्य क्षेत्रीय विचार इसके मार्ग का रोड़ा है।

श्री प्र० चं० सेठी : स्थानीय विचार बिल्कुल कोई नहीं है। योजना आयोग को हमने बता दिया है कि निवेली-सेलम इस्पात परियोजना के लिये 35 करोड़ रु० की राशि दी जाये, परन्तु जैसा कि मैंने बताया अभी योजना आयोग को इस पर निर्णय करना है।

श्री नम्बियार : क्या इसे चतुर्थ योजना में शामिल किया जायेगा? इसका कोई उत्तर नहीं है।

श्री प्र० चं० सेठी : चतुर्थ योजना में इसको रखने का सुझाव है।

Shri Vishwanath Pandey: Apart from M/s Dastur and Company and the Japanese Consultancy Institute, with what other Foreign Companies Consultancy has been negotiated ?

Shri P. C. Sethi: Except M/s Dastur and Company and Japanese Consultancy Institute none else has been consulted.

Shri Madhu Limaye: In view of the much talked of import substitution these days, may I know whether it is a fact that the progressive use of indigenous articles is resulting in higher cost of production in our country ?

Shri P. C. Sethi: That the use of indigenous articles is constantly increasing is evident from the fact that 60 per cent content of the Bokaro Steel Plant is indigenous. It is a fact the prices of some raw materials and machinery have gone high and due to that the cost of production of some of the indigenous manufactures has increased.

Shri Madhu Limaye: He has not understood my question.

Mr. Speaker: He says that the more the use of indigenous articles, the more the overall expenditure on production.

Shri Madhu Limaye: I want to know whether they are trying to bring down the cost of production of the indigenous manufacture by increasing their efficiency.

The Minister of Heavy Engineering and Industry in the Ministry of Industry and Supply (Shri T. N. Singh): It is not fair to make such general statement that the rates of indigenous commodities continue to increase. Very good work has been done in various directions and in certain cases cost has also increased, both these things are there.

श्री रामनाथन चेट्टियार : मद्रास सरकार ने अपने स्वयं के साधनों से रुपया संसाधनों का पता लगा कर सेलम इस्पात संयंत्र स्थापित करने की पेशकश की है। उसे केवल 30 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा चाहिए। इस योजना को मंजूर करने में योजना आयोग के मार्ग में क्या रुकावट है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : योजना के समूचे आकार और क्षेत्रीय योजनाओं के आकार के बारे में भी हमने योजना आयोग से कई बार बातचीत की है। योजना के समूचे आकार पर अन्तिम निर्णय करने के बाद, क्षेत्रीय योजनाओं पर बातचीत चल रही है। कल योजना आयोग के सम्बन्धित सदस्य से मेरी बातचीत हुई थी और उन्होंने मुझे बताया कि वह निश्चित रूप से नहीं बता सकते कि इस्पात संयंत्र के लिये कितनी राशि आवंटित की जायेगी। कल सुबह तक यह स्थिति थी। मैं नहीं जानता कि दोपहर को क्या हुआ।

श्री मुथिया : क्या सेलम संयंत्र की संभाव्यता, आर्थिक दृष्टि से उसके लाभप्रद होने और उसके लिये जापानी सहयोग के बारे में जापानी दल ने कोई सफारिशें दी हैं ?

श्री प्र० चं० सेठी : जापानी दल ने दो विकल्प हमारे सामने रखें हैं। एक विकल्प तो निम्न मिश्र इस्पात पैदा करने वाले 2,50,000 टन के संयंत्र का है और दूसरा विकल्प 5 लाख टन के संयंत्र का है। जिसमें 2,50,000 टन निम्न मिश्र इस्पात संयंत्र होगा और 2,50,000 टन नर्म इस्पात। दोनों विकल्प विचाराधीन हैं।

श्री मुथिया : जापानी सहयोग के बारे में क्या कहा ?

श्री प्र० चं० सेठी : जी हां; उसने कहा कि यह संभाव्य और लाभप्रद है।

डा० श्रीनिवासन : यदि इस संयंत्र को गैर-सरकारी क्षेत्र में रखना संभव है तो क्या माननीय मंत्री ऐसा करने देंगे ?

श्री प्रि० ना० सिंह : जी, नहीं। हमारी औद्योगिक नीति निश्चित है। सेलम संयंत्र को चतुर्थ योजना में रखने के लिये हम योजना आयोग को पहले ही सिफारिश कर चुके हैं। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कर सकता।

Shri Bhagwat Jha Azad : Is it not a fact that our steel production has exceeded our requirement. In view of this are Government reconsidering its decision regarding Salem and such other plants ?

Shri T. N. Singh : It is not correct that we are producing all kinds of steel in sufficient quantities. In the case of some of the kinds it is in excess to our requirement while in the case of others it short of our requirement, e.g., we are short of alloy steel and we want more production of this. Therefore the decision very much depends upon the nature of product in the plants to be put up.

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : क्या यह विश्वास किया जा सकता है कि विभिन्न देशों के तथाकथित तकनीकी विशेषज्ञों और तकनीकी फर्मों की रायें सरकार द्वारा संभवतः इस उद्देश्य से मांगी गई हैं कि सरकार इस इस्पात संयंत्र के महत्व को कम करना चाहती है और कुछ अन्य इस्पात संयंत्रों के महत्व को बढ़ाना चाहती है ? उदाहरणार्थ, ब्रिटिश और अमरीकी तकनीकी समिति ने सुझाव दिया कि गोआ की अपेक्षा विशाखापटनम् अच्छा रहेगा क्योंकि गोआ में छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना होगा। क्या इस मामले में भी ऐसी बात हुई है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : सहयोग के लिये किसी विशिष्ट पक्ष की ऐसी कोई इच्छा नहीं है। वास्तव में मद्रास सरकार ने जापानी सहयोगियों को बुलाया था; मंत्री जी वहां गये थे। इस मामले में किसी तकनीकी विशेषज्ञ की सलाह लेने पर हमें कोई आपत्ति नहीं है।

Shri P. C. Sethi : Mr. Speaker, Sir, this question relates to the Salem, Steel Plant which is an alloy steel plant. So far as Madhya Pradesh is concerned, it might be seen when the question of fifth-sixth steel plant would arise.

Shri Sheo Narain : It has been reported in the press that the Government propose to set up steel plants throughout the country. May I know whether any plant is going to be set up in the eastern part of North India ?

Shri Raghunath Singh : It will be set up in Basti.

श्री श्यामलाल सर्राफ : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पिछले एक वर्ष से यह आलोचना की जा रही है कि बड़ी बड़ी परियोजनाओं पर इतनी अधिक राशि विशेषकर विदेशी मुद्रा का खर्च किया जाना कोई बुद्धिमानी नहीं है और इस मामले पर पुनर्विचार करने के पश्चात् सरकार अब छोटी उपभोक्ता वस्तुओं तथा ऐसे अन्य उद्योगों में लगाना चाहती है जिनमें बहुत अधिक देर की बजाय जल्दी लाभ हो, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या ऐसी बड़ी बड़ी परियोज-

नाओं के बारे में, जिन पर खरबों रुपये लगाये जा रहे हैं, भी यही विचार धारा अपनाई जा रही है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : सभी आर्थिक कार्यक्रमों में दीर्घकालीन क्रियान्विति-परियोजनाओं का चित हिस्सा होना चाहिए और उस में केवल अल्पकालीन-क्रियान्विति-परियोजनायें ही नहीं होनी चाहिये। हम यथासम्भव अधिक अल्पकालीन क्रियान्विति परियोजनाओं को कार्यक्रम में शामिल करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तथापि कुछ मूल उद्योग ऐसे हैं जिनसे उत्पादन लम्बे समय के पश्चात् होना आरम्भ होता है अतः हम इस बात की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं।

सीमेंट पर से नियंत्रण हटाना

+

*125. **श्री लिंग रेड्डी :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री बागड़ी :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमेंट के मूल्यों में वृद्धि पर सीमेंट पर से नियंत्रण हटाने का क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या नियंत्रण हटाये जाने के बाद सीमेंट का उत्पादन बढ़ गया है, और यदि हां, तो कितना; और

(ग) सरकारी एजेंसियों तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों को उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में सीमेंट का वितरण करने के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) से (ग) एक विवरण सदन की मेज पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया—देखिये संख्या एल० टी० 6562/66]**

श्री लिंग रेड्डी : क्या यह सच है कि सीमेंट के वितरण के बारे में जो समझौता किया गया था वह बिल्कुल भंग हो गया है और सीमेंट की काफी कमी हो गई है तथा मूल्य बहुत बढ़ गये हैं और सीमेंट चोर बाजार में बिक रहा है ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : यह सच नहीं है कि वितरण-समझौता भंग हो गया है। मेरे पास एक विवरण है जिस से पता चलेगा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के पिछले पांच महीनों में कुछ राज्यों को अधिक सीमेंट दिया गया है। परन्तु वितरण में कुछ कठिनाइयां थी क्योंकि बन्द माल डिब्बे उपलब्ध नहीं हो सके; कुछ कारखानों में हड़ताल रही ; कुछ राज्यों में बिजली की उपलब्ध की जाने वाली मात्रा में कमी; इन सभी बातों के कारण पिछले तीन महीनों में उत्पादन में कुछ हद तक कमी हुई है यद्यपि, जैसा कि विवरण से स्पष्ट है, पिछले वर्ष के 6 वर्षों की तुलना में इस वर्ष के पिछले 6 महीनों में अधिक उत्पादन हुआ है।

श्री भागवत झा आजाद : यह श्री सोमानी का वक्तव्य है कि सीमेंट का मूल्य नहीं बढ़ा है। यह उपभोक्ताओं का वक्तव्य नहीं है।

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : पश्चिमी बंगाल से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं **(अन्तर्बाधाए)**

अध्यक्ष महोदय : शान्ति शान्ति। श्री लिंग रेड्डी अपना दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री लिंग रेड्डी : चूंकि इस समय निर्माताओं द्वारा किया गया वितरण सम्बन्धी प्रबन्ध संतोषजनक नहीं है, क्या सरकार राज्य व्यापार निगम द्वारा सीमेंट के वितरण करने का जो पहले प्रबन्ध था उसे पुनःस्थापित करना चाहती है ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : अब उद्योग द्वारा वितरण प्रणाली अपनायी जा रहा है जो विनियंत्रण से पूर्व राज्य व्यापार निगम द्वारा अपनाई जाती थी।

श्री भागवत झा आजाद : क्या वह सरकारी तथा गैर-सरकारी उद्योग में कोई अन्तर नहीं समझते ?

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : बाजार में सीमेंट की कमी के संदर्भ में और इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार धन की कमी के कारण और सरकारी उपक्रम स्थापित नहीं कर सकती है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार अपनी नीति पर पुनर्विचार करना चाहती है और इस प्रश्न पर विचार करने हेतु एक समिति नियुक्त करना चाहती है ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : वास्तव में कमी दो प्रकार की है। पहली यह कि देश में सामान्यता सीमेंट की कमी है क्योंकि उत्पादन की तुलना में मांग अधिक है। दूसरी प्रकार की कमी इस कारण हो सकती है कि स्टाक रखने वाले इसे जमा कर लें और फिर इससे चोर बाजार में बेंचें और इस के फलस्वरूप कृत्रिम कमी उत्पन्न कर दें। जहां तक सरकारी उपक्रमों को स्थापित करने की बात है यहां केवल भारतीय सीमेंट निगम ही नहीं है परन्तु विभिन्न राज्य सरकारें भी कारखाने लगा रही हैं। कुछ सीमेंट के कारखाने चालू भी हो गये हैं और कुछ राज्य सरकारों ने कारखाने स्थापित करने के लिये प्रार्थना की है इस प्रकार प्रत्येक राज्य सरकार इस क्षेत्र में सरकारी आधार पर कारखाने स्थापित करने जा रही है।

मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं कि यहां कमी है क्योंकि मांग उत्पादन से अधिक है मैं इस बात से भी इन्कार नहीं करता हूं कि सीमेंट चोर बाजार में नहीं बिक रहा है क्योंकि हमें ऐसे समाचार मिले हैं कि कुछ स्थानों पर इसे चोर बाजार में बेंचा गया है। इस मामले को केवल उद्योग द्वारा परन्तु स्वयं सम्बद्ध विभाग द्वारा भी छानबीन की गई है। कुछ शिकायतें झूठी थीं परन्तु कुछ सच्ची भी थीं। उद्योग को चेतावनी दे दी गई है। सम्बन्धित व्यापारियों को यह कारोबार करने से मनाही कर दी गई है। शिकायतों पर विचार करने तथा वितरण के लिये आवश्यक प्रबन्ध करने के लिये अब उद्योग प्रत्येक राज्य तथा दिल्ली में एक एक विशेष अधिकारी नियुक्त करना चाहता है।

श्री भागवत झा आजाद : उत्तर बहुत विचित्र है। कुछ सची हैं; कुछ झूठी हैं, कुछ काली हैं कुछ सफेद हैं।

Shri Prakash Vir Shastri : From the statement it appears that despite the increase in production the price of cement is constantly rising although immediately after it was decontrolled a considerable decline was registered in its price. The present price level of cement

is gradually drawing near to the black markets prices before its decontrolling. Government had issued instructions for giving priority to agricultural purposes, but not such priority has been given to the farmers and for their personal works they are facing the same difficulties as before.

In view of all these things do Government propose to call a meeting of the mill-owners and industrialists to evolve measures so that the people can get cement without any difficulty ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : राज्य सरकारों को सूचित कर दिया गया है कि कृषकों की किन्हीं विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये वे इस संगठन से बातचीत कर सकते हैं और अपनी जरूरत का सीमेंट ले सकते हैं। मुझे बताया गया है कि हाल ही में राजस्थान के मुख्य मंत्री को सीमेंट में सामान्य आवंटन के अतिरिक्त केवल कृषकों के लिये ही 10,000 टन सीमेंट मिलता है। अत: माननीय सदस्य का कहना गलत है कि किसानों को सीमेंट मिलने में कठिनाइयां हैं। हां यह संभव है कि मांग अधिक हो और सारी की सारी मांग पूरी न की जा सकती हो, परन्तु यह कहना सही नहीं है कि कृषकों को कुछ भी नहीं मिल रहा है।

श्री त्यागी : निस्सन्देह नहीं।

Shri Onkar Lal Berwa : Cement is not available in Rajasthan.

Shri Rameshwaranand : It is not available in Punjab. Tell us where it is available ?

Shri Bhagwat Jha Azad : It is available in Orissa.

Shri Rameshwaranand : * *

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Are Government seeing to it carefully that the present Governor of Punjab, Shri Dharamvir has taken stringent action against the traders of cement and such other Commodities as a result of which their prices have come down. The Government should issue instructions to the Governors of other states to deal in a similar way with the traders.

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : यह एक अच्छा सुझाव है। हम निश्चय ही इस पर विचार करेंगे। ऐसी नहीं है कि राज्य सरकारें इस मामले में उदासीन हैं, राज्य सरकारें भी चोरबाजारी को रोकने के लिये बहुत उत्सुक हैं और वे इस मामले में कदम उठा रही हैं।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: In Madhya Pradesh there is the monoply of Cement agents and in that regard I have sent a representation to the hon. Minister. Are Government taking any action on that ?

Mr. Speaker : That representation will be considered.

Shri Raghu Nath Singh : The evil of decontrolling the cement is that it has Completely disappeared from the market. Are Government taking any steps to make it available to the poor also ?

**सभा के कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

** Not recorded.

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : जनवरी से मार्च, 1966 की अवधि में शहरी क्षेत्रों के लिये 6,60,744 टन और ग्रामीण क्षेत्रों के लिये 2,81,888 टन सीमेंट आवंटित किया गया था ।

श्री त्यागी : जी नहीं ।

Shri Madhu Limaye : In the statement he has mentioned :

"The industry has accepted a form of self-regulating Control in the matter of prices."

May I know whether after the decontrollig of cement the cement mill owners have formed their own Distribution Companies and these Companies have started .taking advance several times note than what was used to be taken previously as a result of which more while on the one side they are getting big sums free of interest on the others side due to this extra burden on the retailers the exploitation of consumers has started? What happend to this self regulatorly control?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : सीमेंट उद्योग ने सीमेंट आवंटन तथा समन्वय के संगठन के नाम का एक निकाय बनाया है जिसने सारे देश में सीमेंट के वितरनण का काम अपने हाथ में ले लिया है जो काम पहले राज्य व्यापार निगम द्वारा किया जाता था, और जहां तक पेशगी लेने का यह सवाल है राज्य व्यापार निगम ने भी इसी तरीके को अपना रखा था; और यह कहा गया है कि जब भी पेशागी ली जाती है चार से छः सप्ताह के भीतर सीमेंट दे दी जानी चाहिये । यदि किसी कारण से इसमें विलम्ब किया जाता है तो 8 प्रतिशत ब्याज देना होगा ।

Shri K.D. Malaviya : Earlier the hon. Minister had given an assurance during the debate regarding cement that if the prices of cement rise after decontrol, the Government will take urgent steps to check that. Now that the prices of cement have gone high, are Government prepared to fulfil that assurence?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : उद्योग के साथ यह करार किया गया था कि सरकार के परामर्श और अनुमोदिन के बिना मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की जायेगी इस प्रश्न का सम्बन्ध चोर बाजारी से है न कि सीमेंट के मूल्य में वृद्धि से **(अन्तर्बाधा)**

अध्यक्ष महोदय : अब एक नई चीज नमूदार हो गई है कि प्रश्न काल में कई सदस्य बिना बुलाये एक साथ खड़ें होकर बोलना आरम्भ कर देते हैं और यही कारण कि उत्तर संक्षिप्त और सही सही नहीं आते हैं । यदि माननीय सदस्य शांत रहें तो अधिक प्रश्न पूछें जा सकते हैं । यदि केवल एक ही सदस्य खड़ा हो तो प्रश्न को समझ सकता है और सही उत्तर भी दिलवा सकता हूं । कल भी मैंने सभा को बताया था कि एक राजनयिक से यह सुन कर मुझें लज्जा आई कि उन्होंने संसद संसद में सदस्यों को कभी भी एक साथ बोलते नहीं देखा है, परन्तु यहां सदस्य एक साथ बोलते हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : उन्होंने कौन सी संसद देखी है । हमने भी इटली, फ्रांस और अन्य देशों की संसद देखी है । सदस्य बीच में बोलते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : वहां पर सदस्य एक साथ नहीं बोलते हैं । मैंने भी अन्य संसद देखी हैं ।

श्री शिवाजीराव श० देशमुख : तो क्या इसका यह अर्थ है कि सदस्य मत्रियों की गलत ब्यानी को स्वीकार करें .

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य अनुशासन बनाये रखेंगें तो मंत्री का स्पष्टीकरण मांगूंगा और फिर मैं उसको सभा के समक्ष रखूंगा और सभा अन्य कार्यवाही कर सकती है।

Pulp, Paper and Newsprint Plants.

*126 **Shri Lahtan Chaudhry :**
Shri Vishwa Nath Pandey
Shri Bagri :
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Kishen Pattnayak :
Shri Madhu Limaye :
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Balgovind Verma :
Shri Mohammed Koya :

Will the Minister of **Industry** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1027 on the 25th February, 1966 and state :

(a) Whether the report of the team of experts from Messrs. Simon Engineers of Britain and Messrs. Cia Industrial de San Cristobal of Maxico, who visited India for examining the feasibility for the setting up of pulp, paper and newsprint plants in India has been received; and

(b) if so, the main points contained therein and the action being taken in regard thereto ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) :

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri Lahtan Chaudhry : May I know for how long this team has been going round this country and whether the Government have laid any time limit by which this report is to be presented ? Is this team visiting the places at random or according to any schedule, if any, given by the Government?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : आशा है कि दो या तीन महीने में प्रतिवेदन मिल जायेगा।

श्री हेम बरुआ : श्रीमन, विदेशी राजनयिक ने संसद सदस्यों के आचरण पर जो बात कही है उसके बारे में मेरा निवेदन है कि जब कोई विदेशी इस संसद के बारे में बुरा टिप्पण दे तो आपको उसका विरोध करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : श्री हेम बरुआ को समझना चाहिये कि यदि कोई व्यक्ति अनौपचारिक तरीके से कोई बात कहता है और मैं देखता हूं कि यह बात सच भी है तो मुझे क्या करना चाहिये।

Shri Madhu Limaye : That should not be mentioned here.

अध्यक्ष महोदय : संसद में पहला सिद्धान्त यह होना चाहिए कि एक ही सदस्य एक बार में बोले इसी लिये मैं यहां पर इस बात पर लगातार जोर दे रहा हूं जिससे काम ठीक प्रकार से चले।

श्री हेम बरुआ : मैं उन विदेशियों को भी जानता हूं जिन्होंने इस सभा की और विशेष रूप से आपकी बड़ी तारीफ की है इसलिये हमें दूसरे व्यक्तियों के द्वारा हमारे बारे में कही गई सुन्दर बातों पर चलना चाहिये न कि बुरी बातों पर जो उन्होंने कहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे माननीय सदस्यों को बुरी बातों की सूचना देनी चाहिये ताकि हमारे पास अधिक सुन्दर बातें हो सकें।

एल्यूमीनियम का उत्पादन

*127. श्री किशन पटनायक :
श्री मधु लिमये :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में एल्यूमीनियम के उत्पादन के लिये उद्योग मंत्रालय ने योजना आयोग को क्या प्रस्ताव भेजे हैं ;

(ख) इन प्रस्तावों के अनुसार कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी ; और

(ग) योजना आयोग ने कौन-कौन सी योजनायें मंजूर की हैं ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे): (क) से (ग) सरकारी तथा निजी क्षेत्र दोनों में एल्यूमीनियम के उत्पादन का सम्बन्ध खान तथा धातु मंत्रालय से है न कि उद्योग मंत्रालय से। विस्तार का एक विवरण सदन के सामने रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6563/66]**

पांचवां इस्पात कारखाना

*128. श्री कोल्ला वेंकैया :
श्रीमती विमला देवी :
श्री बागड़ी :
श्री किशन पटनायक :
श्री राम सेवक यादव :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री बासप्पा :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री मौर्य :
श्री मधु लिमये :
श्री काजरोलकर :
श्री दलजीत सिंह :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री शिवमूर्ति स्वामी :

क्या लोहा और इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवें इस्पात कारखाने के स्थान के बारे में जिसकी सिफारिश स्टील कंसौरटियम ने विशाखापतनम में स्थापित करने के बारे में की है, तथा छटें इस्पात कारखाने के स्थान के बारे में सरकार ने कोई निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है :

(ग) क्या जनता तथा संगठनों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए और यदि हां तो उन पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नहीं में हो, तो इसमें देरी होने के क्या कारण हैं?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी हां, इस बारे में सरकारी तथा दूसरे संगठनों से बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिन पर विचार किया जा रहा है ।

(घ) लोहे और इस्पात की चौथी पंचवर्षीय योजना को, जिसके संदर्भ में पांचवें और छटें इस्पात कारखाने के स्थापन के बारे में निर्णय किया जाएगा, अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

चौथी योजना के लिये इस्पात उत्पादन का व्यय

*129. **श्री बागड़ी :**
श्री विभूति मिश्र :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री दशरथ देव :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में इस्पात उत्पादन के व्यय के बारे में कोई निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस्पात उत्पादन के कुल व्यय को पूरा करने हेतु विभिन्न इस्पात कारखानों के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में इस्पात उत्पादन सम्बन्धी प्राक्कलनों में वृद्धि करने के बारे में भी विचार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) से (घ) ऐसी संभावना है कि चौथी योजना अवधि में इस्पात के लक्ष्य और परिव्यय के बारे में निर्णय शीघ्र ही किया जाएगा। सही कीमत का अनुमान लगाते समय सभी सम्बन्धित बातों पर विचार किया जाएगा।

बोकारो इस्पात संयंत्र की लागत

*130. **श्री मधु लिमये :**
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री राम सेवक यादव :
श्री हेम बरुआ :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री प्र० चं० बरुआ :

श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री अल्वारेस :
श्री फाजरोलकर :
श्री द्वारकादास मंत्री :
श्री रामपुरे :
श्री किशन पटनायक :
श्री बागड़ी :
श्रीसुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री नाथ पाई :
श्री सेझियान :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री प० ह० भील :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूसी तकनीशियनों द्वारा दियेगये प्रतिवेदन के आधार पर बोकारो इस्पात कारखाने की कुल अनुमानित लागत कितनी है ;

(ख) इस कारखाने के लिये आवश्यक मशीनों तथा पुर्जों के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी ;

(ग) क्या भारतीय इंजीनियरों और परामर्शदाताओं से देशीय कार्यों तथा उपकरणों के बारे में रूसी प्रतिवेदन की जांच करने के लिये कहा गया है ; और

(घ) रूसी तकनीशियनों द्वारा भारतीय परामर्शदाताओं की सिफारिशें स्वीकार कर लिये जाने पर कितनी बचत हो जाने की संभावना है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह): (क) से (घ) सोवियत संघ के विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन में अदल-बदल करने के पश्चात् उसे जिस रूप में स्वीकार किया गया था उसके अनुसार बोकारो के प्रथम चरण पर 6,124 मिलियन रुपये खर्च आने का अनुमान था। बाद में अवमूल्यन के परिणाम को ध्यान में रखते हुए इसको बढ़ा कर 6,800 मिलियन रुपये कर दिया गया।

2. प्रथम चरण के लिये संयंत्र तथा खानों के लिये लगभग 1,814 मिलियन रुपयों की विदेशी मद्रा की आवश्यकता होगी ।

3. एक तकनीकी समिति ने सोवियत प्रायोजना प्रतिवेदन की जांच की थी। देश में उपलब्ध होने वाले साज सामान के बारे में बोकारो स्टील लि० के इंजीनियरों, तकनीकी विकास के महा-निदेशक मैसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी तथा हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के प्रतिनिधियों ने विचार किया था। भारत तथा सोवियत संघ से प्राप्त किये जाने वाले सामान की सूचियों को अन्तिम रूप देते समय और भी बहुत से निर्माताओं के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था।

4. लागत में कमी करने के बारे में मैसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी द्वारा दिये गये कुछ सुझावों पर अभी तक सोवियत प्राधिकारी विचार कर रहे हैं।

दक्षिण वियतनाम को ट्रकों का निर्यात

131. **श्री हो० ना० मुकर्जी :**
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री दशरथ देब :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को टेल्को द्वारा निर्मित ट्रकों के दक्षिण वियतनाम को निर्यात किये जाने के बारे में पता है ;

(ख) क्या सरकार को यह भी मालूम है कि दक्षिण वियतनाम सरकार द्वारा भारत में निर्मित इन ट्रकों का प्रयोग सैनिक कार्यों के लिए किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो दक्षिण वियतनाम को ट्रकों का निर्यात रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां । मैसर्स टेल्को दक्षिण वियतनाम को वाणिज्यिक ट्रकों तथा बसों के ढांचे निर्यात कर रहा है ।

(ख) जी, नहीं । इस सम्बन्ध में हमें कोई सूचनाएं नहीं मिली हैं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

स्वामीनाथन समिति

132. **श्री बागड़ी :**
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री मधु लिमये :
श्री राम सेवक यादव :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री उटिया :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री श्यामलाल सर्राफ :
श्री रा० बरुआ :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री बड़े :
श्री काशी राम गुप्त :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वामीनाथन समिति ने यह सिफारिश की है कि ऐसे सूती वस्त्र उद्योग को जो कि मशीनों अथवा रूई का आयात नहीं करता है उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम अन्तर्गत लाइसेंस लेने सम्बन्धी उपबंध से छूट दी जाये ; और

(ख) क्या समिति ने यह भी सिफारिश की है कि चीनी उद्योग के सहकारी क्षेत्र को भी लाइसेंस लेने सम्बन्धी उपबन्धों से छूट दी जाये; और

(ग) इस समिति की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) इन सिफारिशों की सरकार द्वारा जांच की गई थी किन्तु सोचा यह गया था कि सहकारी क्षेत्र में चीनी उद्योग को फिलहाल उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के लाइसेंस देने वाले उपबन्धों से मुक्त करना लोक हित में नहीं होगा ।

जहां तक वस्त्र उद्योग का सम्बन्ध है, इस प्रश्न पर अभी विचार किया जा रहा है ।

अलौह धातुओं का निर्बाध खनन तथा परिष्करण

*133. **श्री राम सेवक यादव :**
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री किशन पटनायक :
श्री मधु लिमये :
श्री महेश्वर नायक :
श्री यशपाल सिंह :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
डा० रानेन सेन :
श्री कपूर सिंह :
श्री बूटा सिंह :

क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने छोटे निक्षेपों वाले क्षेत्रों में गैर-सरकारी क्षेत्र को अलौह धातु के खनन तथा परिष्करण की अनुमति दे कर इस उद्योग में सरकारी क्षेत्र के एकाधिकार को समाप्त करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रौद्योगिक नीति संकल्प के प्रतिकूल कार्यवाही करने के क्या कारण हैं और क्या इससे कुछ व्यक्तियों के हाथ में शक्ति चले जाने की संभावना है ; और

(ग) यदि हां, तो अब तक किन राज्यों में ऐसे क्षेत्र गैर-सरकारी क्षेत्र को दिये गये हैं और उसके बारे में ब्यौरा क्या है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे): (क) और (ख)औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के अनुसार अलौह धातुओं जैसे तांबा, सिक्का, जस्ता और टीन के खनिज तथा विधायन का पूर्ण उत्तरदायित्व राज्य का है परन्तु छोटे पैमाने पर खनन की आज्ञा निजी क्षेत्र को भी दी हुई है । इसी नीति के अनुसार निर्णय किया गया है कि अलौह धातुओं जैसे तांबा, सिक्का और जस्ता उपादन करने वाले छोटे क्षेत्रों को निजी क्षेत्र में विदोहन के लिये दे दिया जाये । इस प्रकार औद्योगित नीति संकल्प में कोई अंतर नहीं हुआ है ।

(ग) किसी भी निजी पक्ष को हाल ही में दिए गए क्षेत्रों में तांबा, सीसा और जस्ता के लिये कोई खनिज रियायत अभी तक नहीं दी गई है ।

जूतों के मूल्य

134. **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री बागड़ी :
श्री किशन पटनायक :
श्री मधु लिमये :
श्री कपूर सिंह :
श्री बूटा सिंह :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

श्री राम सेवक यादव : **श्री रघनाथ सिंह :**
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कच्चे माल के मूल्यों में हुई वृद्धि को देखते हुए, आगरा के जूता-निर्माताओं ने, जो राज्य व्यापार निगम के माध्यम से रूस को जूतों का निर्यात करते हैं, सरकार से जूतों के मूल्यों को बढ़ाने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांग पर क्या निर्णय किया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख) इस आशय के अभ्यावेदन मिले थे कि चूंकि कच्चे माल की कीमतें बढ़ गई हैं अतः अधिप्राप्ति की कीमतें पुनरीक्षित की जायें। निर्माताओं एवं राज्य व्यापार निगम के मध्य एक करार किया गया है, जिसमें वर्ष के उत्तरार्द्ध में किये गये संभरण के सम्बन्ध में जूतों को प्राप्त करने की कीमत में प्रति जोड़ा 2 रुपये की वृद्धि की व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त राज्य व्यापार निगम, निर्माताओं को उचित कीमत पर कुछ कच्चे माल के संभरण करने के लिये भी प्रबंध कर रहा है।

उद्योग स्थापित करने के लिये लाइसेंस

135. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग स्थापित करने के लिये लाइसेंस देने में होने वाली देरी को कम करने के लिये उपाय सुझाने के हेतु सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं ; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क), (ख) और (ग) उद्योग विकास कार्यविधि समिति ने जिसका पुनर्गठन अगस्त, 1965 में किया गया था, 28-1-1966 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था। सरकार द्वारा 7 जुलाई, 1966 को जारी किये गये संकल्प की एक प्रति अंग्रेजी में नत्थी है जिसमें समिति की प्रमुख सिफारिशें और उन पर सरकार द्वारा किये गये निर्णय बताये गये हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6534/66]**

खाद्य तेलों तथा वनस्पति वायदे के सौदे (फारवर्ड ट्रेडिंग)

136. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य तेलों तथा वनस्पति के मूल्यों में उतार-चढ़ाव को देखते हुए क्या इन वस्तुओं के वायदे के सौदों पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख) निम्न सीमाओं को छोड़ कर वनस्पति तथा अन्य प्रमुख खाद्य तेलों के वायदा व्यापार पर प्रतिबंध लगा हुआ है ।

(1) इन वस्तुओं में से किसी के भी अहस्तान्तरणीय विशिष्ट सुपुर्दगी संविदाओं पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है, तो भी इस प्रकार की संविदाएं मूंगफली के तेल में केवल मान्यता प्राप्त संस्थाओं के सदस्यों के बीच अथवा किसी एसे सदस्य के साथ या उसके द्वारा किये जा सकते हैं ।

(2) यद्यपि मूंगफली के तेल में वायदा व्यापार के सौदों पर कानूनी प्रतिबंध नहीं है, तो भी देश में किसी संस्था को इस प्रकार के व्यापार की अनुमति नहीं दी गई है ।

(3) गोले के तेल में वायदा व्यापार के सौदों पर कोई प्रपिबन्ध नहीं लगा हुआ है । फिर भी इस प्रकार के संविदाएं केवल मान्यता प्राप्त संस्थाओं के सदस्यों के बीच अथवा किसी एसे सदस्य के साथ या उसके द्वारा किये जा सकते हैं ।

अहस्तांन्तरणीय विशिष्ट सुपुर्दगी संविदा वास्तविक सुपुर्दगी संविदा हैं और इनकी आवश्यकता व्यापार द्वारा वस्तुओं के पदाथीर्य विपणन के लिये होती है । अलेप्पी तथा कोचीन में दो मान्यता प्राप्त संस्थाओं के तत्वावधान में गोले के तेल में वायदा व्यापार संतोषजनक रूप से चल रहा है और इसलिये इस प्रकार के व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकगा नहीं है ।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने का विस्तार

*137. **श्री दी० चं० शर्मा :**
डा० म० मो० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री बसुमतारी :
श्री राम हरख यादव :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री दे० द० पुरी :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या ब्रिटिश मिशन ने जो दुर्गापुर इस्पात कारखाने के विस्तार के बारे में बातचीत करने के लिये भारत आया था अपने प्रस्ताव पेश कर दिये हैं ;

(ख) क्या इन प्रस्तावों पर विचार कर लिया गया है और ब्रिटिश स्टील कन्सोर्टियम के साथ एक करार पर हस्ताक्षर हो गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) से (ग) हिंदुस्तान स्टील ने दुर्गापुर इस्पात कारखाने की क्षमता को 1·6 मिलियन टन पिण्डक से 3·4 मिलियन टन पिण्डक तक बढ़ाने के बारे में ब्रिटेन की अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग देने वाली फर्मों--ब्रिसेल से बातचीत की थी

जिसके परिणामस्वरूप हिन्दुस्तान स्टील लि० और ब्रिसेल ने 9 जून, 1966 को कुछ मुख्य मुख्य बातों के बारे में एक करार पर हस्ताक्षर किये थे। इनके अनुसार हस्ताक्षर होने की तारीख से चार महीनों के अन्दर अन्दर ठेकेदार हिन्दुस्तान स्टील लि० को एक टण्डर देंगे जो साधारणतया प्रायोजना प्रतिवेदन के अनुरूप होगा। इसके बाद विस्तार कार्य के बारे में एक समझौता किया जायेगा। परन्तु यह समझौता ब्रिटिश सरकार के साथ ऋण के बारे में करार हो जाने पश्चात् ही किया जाएगा।

Allotment of Sleeping Berths on Railway Trains

*138 **Shri M.L. Dwivedi :**
Shri Subodh Hansda :
Shri S.C. Samanta.
Shri Bhagwat Jha Azad :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether any scheme for the eradication of corruption in the allotment of sleeping berths in two and three tier coaches is under consideration;

(b) whether some action is being taken for the removal of difficulties faced by public and officers for getting seats reserved in first class compartments and also against the gratification offered by public therefor ; and

(c) the reasons for the non-availability of berths in the first class compartments or sleeping berths in sleeper coaches in normal course, whereas they are available if some extra money is paid as a bribe?

Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Arrangements are in existence for conducting checks of bookings and reservations made on 2-tier and 3-tier coaches attached to important trains. Preventive checks are also being exercised at sensitive spots by the Vigilance and Commercial organizations of the Railway, either on their own or on occasions in collaboration with Central Bureau of Investigation. In addition, whenever any specific complaints are received, the same are looked into and appropriate action is taken in each case.

(b) Yes, Sir, Action is being taken as mentioned in (a) above.

c) The question is of a general nature. A statement indicating the steps taken to prevent malpractices and to remove difficulties experienced by public in obtaining reservation is laid on the table of the Sabha. **(Placed in the Library** *see* **No. L.T.—6565/66)**

राज्य व्यापार निगम

*139. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम का विचार भी निर्माण क्षेत्र में प्रवेश करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका मुख्य विवरण क्या है और इस प्रयास का औचित्य क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख) एक विवरण सदन की मेज पर रखा जाता है ।

विवरण

राज्य व्यापार निगम मनष्य के बालों से कृत्रिम बालों के छोटे बड़े टोप बनाने के लिए मद्रास में एक कारखाना स्थापित कर रहा है और यह वर्ष समाप्त होने से पूर्व इसमें उत्पादन होने लगने की आशा है। अब तक मनुष्य के बाल कच्चे अथवा अर्द्ध-परिष्कृत रूप में ही निर्यात किये जाते थे। निर्यात करने से पूर्व बालों को कृत्रिम बालों के छोटे बड़े टोप बनाने से प्राप्त होने वाले एकक मूल्य में कई गुना वृद्धि होगी और सम्भरण की किस्म और नियमितता सुनिश्चित की जा सकेगी। दूसरा क्षेत्र जूते बनाने का है जिसमें एक कारखाना स्थापित करने की सम्भावना की जांच राज्य व्यापार निगम द्वारा की जा रही है। जूतों के निर्यात के लिए बड़े संविदा कर लिये गये हैं। विदेशों में मुख्यत: मशीन से बने जूतों की मांग है और इनके लिये देश में पहले ही स्थापित क्षमता निर्यात-सम्भाव्यता के लिये पर्याप्त नहीं है, अत: मख्यत: निर्यात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक कारखाने की स्थापना पर विचार किया जा रहा है।

Manhandling of Guard at Konnagar (Eastern Railway)

***140. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Rameshwaranand
Shri Raghunath Singh :
Shri C. K. Bhattacharyya :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some 'goondas' stopped a train at Konnagar Station (Eastern Railway) and manhandled the Guard on the 30th April, 1966;

(b) whether the Guard had to be taken to the hospital in an injured condition;

(c) whether the trains were held up for some time due to this incident;

(d) whether it is also a fact that Railway officials along with the smugglers are involved in this incident ; and

(e) if so, the steps taken against the concerned Railway officials to check the recurrence of such incidents?

Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :

(a), (b) & (c) Yes Sir.

(d) No. Sir.

(e) Does not arise.

दिल्ली के चारों ओर सर्कुलर रेलवे

***141. श्री नवल प्रभाकर :** **श्री रा० बरुआ :**
श्री प्र० चं० बरुआ : **श्री द्वारका दास मंत्री :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या दिल्ली के चारों ओर सर्कुलर रेलवे लाइन बिछाने का कार्य पूरा हो गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख) दिल्ली के चारों ओर सर्कुलर रेलवे लाइन बिछाने के लिए कोई प्रायोजना मंजूर नहीं हुई है। शायद, माननीय सदस्यों का आशय "दिल्ली परिहार लाइनें" और सम्बद्ध यातायात सुविधाएं प्रायोजना से है। इस प्रायोजना पर काम जारी है और आशा है कि लगभग 2 वर्षों में यह प्रायोजना पूरी हो जायेगी।

पटसन मिलों का एक साथ बन्द किया जाना

*142. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**
डा० रानेन सेन :
श्री बालगोविन्द वर्मा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन जूट मिल्स एसोशियेशन ने हाल में पश्चिम बंगाल में पटसन मिलों को एक साथ बन्द करवाया है और यदि हां, तो कितने मिल बन्द किये गये हैं और इस के कारण कितने कर्मचारियों पर प्रतिकल प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या मजदूरों को उनकी पूरी मजदूरी दे दी गई है; और

(ग) क्या सरकार ने मिलों के एक साथ बन्द करने की अनुमति दी थी और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) (क) जी, हां, 23 से 28 मई, 1966 तक लगभग 1,57,000 मजदूरों पर प्रभाव पड़ा है।

(ख) प्रभावित मजदूरों को क्षतिपूर्ति दी गयी जैसी कि औद्योगिक विवाद अधिनियम में व्यवस्था है अर्थात् बन्द रहने की अवधि में मूल वेतन का 50 प्रतिशत, महंगाई भत्तें का 50 प्रतिशत और वेंतन का 50 प्रतिशत।

(ग) सामूहिक रूप में मिल बन्द करने के कारणों की विस्तृत व्याख्या, अल्पकालिक प्रश्न संख्या 31 दि० 31 मई, 1966 के उत्तर के विवरण में की गयी है। प० बंगाल सरकार और केन्द्रीय सरकार ने सामूहिक रूप में मिल बन्द करने की सहमति दी थी।

लन्दन में राष्ट्रमंडलीय वाणिज्य मंत्रियों की बैठक

*143. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० च० सामन्त :
श्रीमती रेणुका राय :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री रामसहाय पाण्डेय :
श्री राम हरख यादव :
श्री विश्व नाथ पाण्डेय :
श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री प्र० चं० बरुआ :
डा० महादेव प्रसाद :
श्री रा० बरुआ :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या गत जून में लन्दन में राष्ट्रमंडलीय वाणिज्य मंत्रियों की बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या निर्णय किये गये ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सदन की मेज पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये सख्या एल० टी० 6566/66]**

कल्याण स्टेशन पर रेलगाड़ी का रोका जाना

*144. **श्री उटिया :**
श्री मधु लिमये :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पूर्व मध्य रेलवे के कल्याण स्टेशन पर एक रेलगाड़ी को रोक लिया गया था, ताकि महाराष्ट्र के एक उपमंत्री अपना नाश्ता कर सकें ;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे नियमों के अन्तर्गत ऐसा किया जा सकता है;

(ग) क्या उपमंत्री के इस व्यवहार के कारण रेलवे प्रशासन ने अधीनस्थ कर्मचारियों को दंड दिया है; और

(घ) क्या उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री को लिखा है कि वह अपने मंत्रियों से कहें कि व उचित व्यवहार करें और जनता को असुविधा न पहुंचाएं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) जी नहीं, लेकिन 9-4-1966 को महाराष्ट्र के नगर विकास मंत्री डा० रफीक ज़करिया के लिये भोजनालय से नाश्ते की व्यवस्था करने के उद्देश्य से बम्बई-पूना दकन एक्सप्रेस गाड़ी कल्याण स्टेशन पर रुकी रही।

(ख) किसी व्यक्ति की निजी सुविधा के लिये गाड़ियां रोकने के बारे में रेलवे नियमों में कोई अनुमति नहीं दी गई है, यद्यपि यात्रियों की वास्तविक ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए गाड़ियां रोकी जा सकती हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी नहीं।

Attack on a Train at Beldanga Station (E. Rly.)

*145. **Shri Sidheswer Prasad :**
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Raghu Nath Singh :
Shri Bibhuti Mishra :
Shri K.N. Tiwary :
Shri Kajrolkar :
Shri Shree Narayan Dass :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some armed persons attacked a passenger train near the Beldanga Railway Station of the Eastern Railway on the 23rd May, 1966 and looted the passengers;

(b) if so, the particulars of the incidents ; and

(c) the steps taken for the safety of the passengers in such situations?

Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh (a) Yes Sir .

(b) Statement giving the required information is placed on the Table of the Sabha.

(c) Prevention and detection of crime and prosecution of offenders in respect of crime in passenger trains and within Railway premises is the responsibility of the State Police. A case U/Ss 149/333/379/225 I.P.C. and 108/127/IRA is under police investigation. 61 persons have been arrested.

STATEMENT

On 23-5-66, some miscreants travelling by 370 Dn. (Lalgola Passenger) in a III Class compartment stopped the train by pulling the alarm chain very soon after it had left Beldanga station. One of the two G.R.P. Constable escorting the train arrested the miscreants. Immediately after, a gang of miscreants numbering 70/75 assaulted the G.R.P. Constable and snatched away the arrested persons from his custody and also took away his musket. They also threw brickbats and assaulted 3 of the passengers and took away a suitcase belonging to one of them. Some rice bags and "Chira" were also taken away from the train. The passengers raised a hue and cry and the train was backed to Beldanga Station. The incident was immediately reported to the Officer-in-charge Beldanga Police Station.

न्यू गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल फैक्ट्री बंगलौर

*146. **श्री वारियर :** **श्री मधुलिमये :**
श्री बागड़ी : **श्री राम सेवक यादव :**
डा० राम मनोहर लोहिया : **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**
श्री किशन पटनायक : **श्री रिशांग किशिंग :**
श्री हुकम चन्द कछवाय : **श्री विश्वनाथ पाण्डे :**

क्या **उद्योग** मंत्री 6 मई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1530 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या एक सरकारी फर्म न्यू गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल फैक्टरी, बैंगलौर का प्रबन्ध पश्चिमी जर्मनी की एक फर्म को सौंप देने के बारे में मैसूर सरकार के प्रस्ताव पर इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख) प्रस्ताव अभी विचाराधीन है।

उपभोक्ता वस्तु निगम

*147. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री श्रीनारायण दास :
श्रीमती जयाबेन शाह :
श्री यशपाल सिंह :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री उमानाथ :
श्री काजरोलकर :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र में एक उपभोक्ता वस्तु निगम स्थापित करने का है जो उपभोक्ता वस्तुओं के निर्यात में विशेष योग्यता प्राप्त करेगा;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख). राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात की जिन वस्तुओं का पहले से ही व्यापार किया जा रहा है, उनमें अधिक संख्या में उपभोग की वस्तुएं हैं जैसे जूते, पहनने योग्य वस्त्र आदि। इसके अतिरिक्त भारतीय दस्तकारी एवं हथकरघा निर्यात संवर्धन निगम, लि० नामक राज्य व्यापार निगम का एक अनुषंगी संगठन दस्तकारी और हथकरघा उद्योगों द्वारा उत्पादित उपभोग की वस्तुओं के महत्वपूर्ण वर्ग का निर्यात करता है। इस बात पर विचार किया जा रहा है कि इन दोनों संगठनों के कार्यों का कुछ पुनः समंजन करके उपभोग की समस्त वस्तुओं का निर्यात उन में से किसी एक संगठन में केन्द्रित कर दिया जाये और शेष वस्तुओं का व्यापार दूसरे संगठन को सौंप दिया जाये। इस प्रकार की सम्भावना की जांच अभी शुरू की गयी है और एक पृथक उपभोक्ता वस्तु निगम स्थापित करने के बारे में किसी प्रकार का अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व ब्योरा तैयार किया जाना है।

कच्चे माल का नियतन

*148. श्रीमती सावित्री निगम :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **संभरण, तकनीकी विकास तथा सामग्री आयोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कच्चे माल के नियतन के लिये सिद्धांत, प्राथमिकता और प्रक्रिया निर्धारित करने के बारे में अनेक उद्योगपतियों से बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संभरण, तकनीकी विकास तथा सामग्री आयोजन मंत्री (श्री के० रघुरामैय्या) : (क) और (ख). जी नहीं। व्यक्तिगत मामलों में बर्धित विनिधान के लिये कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन पर उन के गुण दोषों के आधार पर कार्यवाही की जाती है।

रेलवे में भोजन व्यवस्था

*149. **श्री हरिविष्णु कामत :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार के अनुसार उन्होंने हाल में भारतीय रेलवें के भोजन प्रबन्धकों (केटरर्स) के सम्मेलन में कहा कि "मुझे रेलवे की भोजन व्यवस्था पर सन्तोष नहीं है" और रेलवे में यात्रियों को दिया जाने वाला भोजन अस्वच्छ तथा अपौष्टिक होता है;

(ख) क्या उनके द्वारा व्यक्त किये गये विचार रेलवे के विभागीय तथा गैर-सरकारी दोनों की भोजन व्यवस्था के सम्बन्ध में है; और

(ग) यदि हां, तो रेल यात्रियों के लिये स्वच्छ तथा पौष्टिक भोजन की व्यवस्था करने के लिये क्या उपाय किये हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) प्रेस रिपोर्ट सही नहीं है।

(ख) और (ग). सवाल नहीं उठता।

रेलवे मंत्री द्वारा अमरीका की यात्रा

*150. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री बासप्पा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह विश्व बैंक द्वारा दिये जाने वाले उस ऋण को अन्तिम रूप देने के लिये हाल ही में अमरीका गये थे जिसे कि 1966–67 में रेलवे की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकता को पूरा करने के लिये विश्व बैंक ने देने का वचन दिया था; और

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक अधिकारियों के साथ हुई बातचीत का क्या परिणाम निकला ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख). रेल मंत्री ने अमरीका यात्रा के दौरान विश्व बैंक के अधिकारियों से भेंट की थी और रेलवे की आवश्यकताओं के लिये ऋण की सम्भावनाओं पर विचार-विमर्श किया था जैसा कि मालूम है, विश्व बैंक से सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा 6 करोड़ 80 लाख अमेरिकी डालर के बराबर ऋण मंजूर किया गया है।

गदरा रोड और मुनाबाव के बीच रेलगाड़ी सेवायें

622. **श्री राम हरख यादव :**
श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत सितम्बर में भारत-पाकिस्तान संघर्ष के कारण गदरा रोड

और मुनाबाव स्टेशनों (उत्तर रेलवे) के बीच नियमित रेलगाड़ी सेवायें बन्द कर दी गई थीं;

(ख) क्या इस बीच उक्त रेलवे पर इन दो स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी सेवायें फिर से आरम्भ कर दी गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो फिर से आरम्भ की गई सेवाओं का ब्योरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). 6-9-1965 से पहले गदरा रोड और मुनाबाव के बीच जो एक जोड़ी मिली-जुली गाड़ी चलती थी, उसे 28-5-66 से फिर चालू कर दिया गया है।

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर एक मालगाड़ी का दो भागों में बट जाना

623. **श्री ब्रजबिहारी मेहरोत्रा :**
श्री राम हरख यादव :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 27 मई, 1966 को पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के सिलिगुड़ी-कटिहार सैक्शन पर कटिहार से जाने वाली एक मालगाड़ी के मालडिब्बों के अलग हो जाने के कारण अचानक दो भागों में बट गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना का ब्योरा क्या है; और

(ग) इसमें जीवन तथा सम्पत्ति की कितनी हानि हुई ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख). 26-5-66 को जब 904 डाउन धू मालगाड़ी पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के नयाटोला और कटिहार स्टशनों के बीच जा रही थी, तो कि० मी० 618 पर उसके डिब्बे अलग हो गये।

(ग) किसी की मृत्यु नहीं हुई। रेल सम्पत्ति को नाम मात्र की क्षति हुई है।

दक्षिण-पूर्व रेलवे पर रेलगाड़ियों का रोका जाना

624. **श्री राम हरख यादव :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांसकुरा-हावड़ा लोकल गाड़ी के देरी से चलने के कारण यात्रियों ने 27 मई, 1966 को दक्षिण-पूर्व रेलवे पर हावड़ा-खड़गपुर सेक्शन पर बहुत दूर जाने वाली गाड़ियों तथा उपनगरीय (सबर्बन) गाड़ियों को रोक लिया था;

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्योरा क्या है; और

(ग) उस क्षेत्र में गाड़ियों के सामान्य रूप से चलने में हुई गड़बड़ी का ब्योरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). गाड़ी के रेक के देर से पहुंचने के कारण 27-5-66 को एस 28 डाउन पांसकुड़ा-हावड़ा लोकल गाड़ी पांसकुड़ा से 18 मिनट देर से रवाना हुई। भोगपुर स्टेशन

पर गाड़ी की प्रतीक्षा करने वाले यात्रियों ने रेल-पथ पर पटारयां और स्लीपर रखकर इस गाड़ी और अन्य गाड़ियों के आने जाने में रुकावट डाली और इस प्रकार अप और डाउन दोनों लाइनों पर गाड़ियों का आना-जाना रुक गया। चूंकि यह गाड़ी भोगपुर स्टेशन में प्रवेश नहीं कर सकी इसलिये गाड़ी में यात्रा करने वाले यात्रियों ने गाडी को पांकुड़ा स्टेशन वापस ले जाने के लिये ड्राइवर और गार्ड को मजबूर किया। इसके कारण 8 सवारी गाड़ियां 20 से 155 मिनट तक रुकी रहीं।

सिलीगुड़ी में महामारी

625. **श्री राम हरख यादव :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिलीगुड़ी (आसाम) रेलवे कालोनी में हेपेटाइटिस (यकृत शोथ) ने एक भयानक महामारी का रूप धारण कर लिया है, जिसके कारण इस बस्ती के लगभग एक हजार व्यक्ति बीमार हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस महामारी की रोक थाम के लिये आसाम सरकार द्वारा किये गये उपायों के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां। सिलीगुड़ी रेलवे कालोनी के लगभग 650 निवासी बीमार हो गये थे।

(ख) महामारी को दूर करने के लिये नीचे लिखे उपाय किये गये :—

(i) जिन-जिन कारणों से पीने के पानी के दूषित होने की आशंका थी उन्हें समाप्त कर दिया गया।

(ii) पीने के पानी को छानने और अति क्लोरीन मिलाने के लिये पर्याप्त प्रबन्ध किया गया।

(iii) रेलवे बस्तियों के सभी कर्मचारियों को हिदायत जारी की गयी कि वे पानी उबाल कर पियें।

सोमसुन्दर मिल कोयम्बटूर

626. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोमसुन्दर मिल कोयम्बटूर में तालाबन्दी (लोक-आउट) हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) इस तालाबन्दी की अवधि में उत्पादन को कुल कितनी हानि पहुंची और कितने कार्य दिवस बेकार गये; और

(घ) इस मिल को फिर चालू करवाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) तथा (ख). सोमसुन्दरम मिल्स कोयम्बटूर के प्रबन्धकों ने, हानिकर कार्य चालन के कारण 1 मार्च 1966 से पहिली पाली बन्द करने का निर्णय किया। इस पर मिल मजदूरों ने 2 मार्च 1966 को 'अन्दर रहो-हड़ताल' की। प्रबन्धकों ने 4 मार्च से 15 मार्च तक तालाबन्दी की घोषणा की। तालाबन्दी 16 मार्च 1966 को समाप्त की गयी।

(ग) तालाबन्दी 12 दिन तक रही जिसमें से दो छुट्टियां थीं। तालाबन्दी के दौरान काम करने के 10 दिनों में उत्पादन की हानि 1,88,760 मीटर कपड़ा और 45,000 किलोग्राम सूत कूती गयी है।

(घ) मिल 16 मार्च, 1966 को को फिर खुल गया है।

Licensed Porters

627. Shri Utiya :
Shri Madhu Limaya :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of licensed porters working on the Indian Railways;

(b) the number amongst them working under contracts made with the contractors, Co-operative Societies or the President of India ;

(c) whether these porters have organised themselves into Unions and if so, whether these Unions have been duly recognised; and

(d) if not, the reasons therefor?

Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :

(a) 37,369.

(b) All are directly licensed by the Railways except 400 provided by a Co-operative Society.

(c) and (d). Some of them have formed themselves into Unions, but these have not been recognised as licensed porters are not Railway servants but only licensees, and as such these Unions are not eligible for recognition under the extent rules.

दिल्ली–किशनगंज स्टेशन पर साइकिल स्टैंड

628. **श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती** : क्या रेलवे मंत्री दिल्ली-किशनगंज स्टेशन पर साइकिल स्टैंड की व्यवस्था करने के बारे में 15 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3692 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बीच इस मामले में क्या प्रगति हुई है और कब तक उक्त स्टैंड की व्यवस्था हो जायेगी ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : दिल्ली-किशनगंज स्टेशन पर साइकल अड्डा बनाने के लिए प्रस्तावित जगह की अन्तिम रूप से मंजूरी दी जा चुकी है। साइकिल अड्डा जल्दी ही बना दिया जायेगा ।

ओलावाकोट डिवीजन में रेलवे फाटक तथा ऊपरी पुल

629. **श्री पोट्टेकाट्ट :**
श्री अ० व० राघवन :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67 में दक्षिण रेलवे के ओलावाकोट डिविजन में कितने रेलवे फाटक और ऊपरी पुल बनाने का प्रस्ताव है; और

(ख) वे किन-किन स्थानों पर बनाये जायेंगे ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख). वर्तमान निचले पुल (कालापट्टि रोड और मंकुडचावड़ी के बीच कि० मी० 357/5–6 पर) को चौड़ा करने और वर्तमान समपारों (कन्ननूरु के निकट कि० मी० 754/3–4 पर माही और जगन्नाथ मन्दिर गेट के बीच कि० मी० 729/12–13 और वडकांचेरि के निकट कि० मी० 17/16–17 और 20/6–7 पर) के बदले एक निचला सड़क पुल और दो ऊपरी सड़क पुलों के निर्माण का काम फिलहाल 1966–67 में शुरू करने का विचार है। समपारों की संख्या बढ़ाने का कोई विचार नहीं है ।

मद्रास–मंगलौर डाकगाड़ी में वातानुकूलित डिब्बा

630. **श्री अ० व० राघवन :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या मद्रास-मंगलौर डाकगाड़ी में एक वातानुकूलित डिब्बा लगाने का प्रस्ताव दक्षिण रेलवे के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो यह डिब्बा उस गाड़ी में कब से जोड़ा जायेगा ।

रेलवे मंत्रालय में राज्य मत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). आवश्यक वातनुकूल सवारी डिब्बों की कमी के कारण मद्रास-मंगलूर डाकगाड़ी में इस समय वातनुकूल स्थान की व्यवस्था करना संभव नहीं है। बड़ी लाइन के कुछ और अंशतः वातानुकूल सवारी डिब्बों के निर्माण का कार्यक्रम बनाया गया है। जब ये डिब्बे यातयात के लिए उपलब्ध हो जायेंगें, तो इस दर्जे के यातायात को देखते हुए । डाउन/2 अप मद्रास-मंगलूर डाकगाड़ियों में वातानुकूल स्थान की व्यवस्था के प्रश्न पर समुचित विचार किया जायेगा ।

दफ्तर जाने वाले यात्रियों द्वारा रेलगाड़ियों का रोका जाना

631. **श्री राम हरख यादव :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 29 जून, 1966 को बहुत से उपद्रवी लोगों ने तथा दफ्तर जाने वाले यात्रियों ने

दिल्ली को जाने वाली एक शटल गाड़ी तथा अनेक अन्य गाड़ियां रोक ली थीं जिससे दिल्ली और गुड़गांव के बीच रेलवे यातायात ठप हो गया था;

(ख) यदि हां, तो उपद्रव सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे रेलगाड़ियों के चलने पर क्या प्रभाव पड़ा ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) मेला मसानी के कारण बड़ी भीड़ थी । जगह की कमी के कारण विरोध में गाड़ी न० 2 बी० डी० एफ० में यात्रा कर रहे सी० ओ० डी० के कुछ कर्मचारियों ने खतरे की जंजीर खींच कर इस गाड़ी को शाहाबाद मोहम्मदपुर हाल्ट पर रोक लिया और वे पटरी पर बैठ गये । सरकारी रेलवे पुलिस ने दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनका भारतीय रेल अधिनियम की धारा 118 के अन्तर्गत चालान किया । गाड़ी दो घंटें तक रुकी रही ।

(ग) इस घटना के कारण नं० 2 बी० डी० एफ० के पीछे आने वाली दो सवारी गाड़ियों को भी रुकना पड़ा ।

भारतीय व्यापार सेवा का बनाया जाना

632. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री वासुदेवन नायर :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक केन्द्रीय सेवा, जिस का नाम भारतीय व्यापार सेवा होगा, और जिस की सिफारिश माथुर समिति ने की है, बनाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) इस में कितने व्यक्ति होंगे ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) तथा (ख). श्री एच० सी० माथुर, संसद् सदस्य की अध्यक्षता में नियुक्त अध्ययन दल की सिफारिश सरकार द्वारा सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर ली गई है । विस्तृत ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं और इसके बाद सम्बन्धित मंत्रालयों की सलाह ली जायगी ।

Copper Deposits near Parasnath Hill (Bihar)

633. **Shri Vishwa Nath Pandey :**

Will the Minister of **Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large deposit of copper has been found near Parasnath Hill at Wargeda in Ranchi (Bihar) ;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the action taken in regard thereto

The Minister of Mines and Metals (Shri S. K. Dey) : (a) No, Sir. The Governmenr of Bihar have reported the location of a copper near Parasnath Hill at Baraganda in Hazaribagh district, Bihar.

(b) & (c). Detailed rephysical surveys were made in the region of old mines at Baraganda and also in the adjacent neighbourhood. No extensive anomalies were obtained excepting a few feeble anomalies in the region of old workings.

Copper mineralisation has, however, been noticed in the immediate north of Parasnath along a low ridge extending from east of Parasbora for more than 6 kms., towards west. But noticeable evidence of mineralisation is confined to within 1 km. from the eastern end. Exploratory drilling operations to prove the deposit are being carried out by the State Directorate of Mining & Geology of the Govt. of Bihar in collaboration with the Geological Survey of India.

रासायनिक उर्वरकों का आयात

634. **डा० म० मो० दास :** क्या सम्भरण तकनीकी विकास तथा सामग्री आयोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत द्वारा यूरिया, अमोनियम सल्फेट और सुपरफास्फेट जैसे रासायनिक उर्वरकों का आयात करने के लिये जो मूल्य दिया जा रहा है, वह पाकिस्तान जैसे अन्य देशों द्वारा इन उर्वरकों के आयात के लिये दिये जाने वाले मूल्य से बहुत अधिक है ;

(ख) आयातित अमोनियम सल्फेट की एक भारतीय पत्तन पर पहुंचने की वास्तविक लागत (भाड़ा समेत) कितनी बैठती है और पाकिस्तानी पत्तन पर उर्वरक की लागत की तुलना में यह लागत कम होती है, या अधिक; और

(ग) क्या इन दोनों मूल्यों में काफी अन्तर है, और यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

संभरण, तकनीकी विकास तथा सामग्री आयोजन मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) से (ग) यूरिया की खरीद के लिये भारत और पाकिस्तान द्वारा दिये गये मूल्यों में यथार्थवत तुलना सम्भव नहीं क्योंकि भारत और पाकिस्तान द्वारा यूरिया के लिये निर्धारित विशिष्टयां और पैकिंग में फर्क है । इसी प्रकार अमोनियम सल्फेट की कीमतों में भी तुलना सम्भव नहीं, क्योंकि हम मुक्त विदेशी मुद्रा से बैगों में खरीदते हैं जबकि पाकिस्तान ढेर की हालत में खरीदता है ।

अमोनियम सल्फेट के बारे में जो दोनों भारत और पाकिस्तान द्वारा अमरीकी सहायता फंड से ढेर के रूप में खरीदा जाता है, जबकि 1966 में हम ने भारतीय पत्तन पर भाड़े समेत (पूर्व अव-मूल्यन करों पर) 200 रु० और 256 रु० प्रति टन के बीच कीमत अदा की, हमें उपलब्ध व्यापारी सूत्रों के अनुसार, भाड़े को ध्यान में रखते हुए, पाकिस्तान ने 237 रु० और 267 रु० प्रति टन के बीच कीमतें बताई । तो भी इस मामले में पाकिस्तान ने जिन वास्तविक कीमतों पर खरीद की है उसका हमें पता नहीं ।

जहां तक सुपर फास्फेट का संबंध है, उस की खरीद राज्य व्यापार निगम द्वारा की जाती है, परन्तु उन्हें इस प्रकार के माल लिये, यदि पाकिस्तान ने आयात किया है, पाकिस्तान द्वारा दी गई कीमतों का पता नहीं ।

अफ्रीकी देशों को किये जाने वाले निर्यात में कमी

635. **श्री राम सहाय पाण्डेय :**
श्री नि० रं लास्कर :
[**श्री लीलाधर कटकी :**
श्री रा० बख्शा :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अफ्रीकी देशों को किये जाने वाले हमारे निर्यात में गत वित्तीय वर्ष में काफी कमी हुई ;

(ख) यदि हां, तो उस के वास्तविक आंकड़े क्या हैं और उन देशों को होने वाले निर्यात में कमी किन कारणों से हुई ; और

(ग) अफ्रीकी देशों को भारतीय उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, नहीं भारत से अफ्रीकी देशों को निर्यात 1964–65 में 46 करोड़ रु० से बढ़कर 1965–66 में 61 करोड़ रुपया का हुआ तथा 1965–66 में 15 करोड़ रु० की वृद्धि हुई।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) भारत सरकार अफ्रीकी देशों को भारतीय वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिये निरन्तर प्रयत्न कर रही है। इस प्रकार के उपायों में ये शामिल हैं : (क) भारत सरकार। निर्यात संवर्द्धन परिषदों, तथा अन्य अर्द्ध सरकारी । निजी संस्थाओं द्वारा प्रोत्साहित भारतीय शिष्ट मंडलों । अध्ययन तथा बिक्री दलों आदि द्वारा अफ्रीका को किये जाने वाले दौरे, (ख) प्रदर्शनिया लगाना तथा अन्य देशों में हुई प्रदर्शिनियों / मेलो में शामिल होना, (ग) विभिन्न अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार करार करना, (घ) उन देशों में भारतीय उत्पादों के दृश्य प्रकार के लिये प्रदर्शन कक्षों की स्थापना और (ङ) अफ्रीकी बाज़ारों, आदि में विभिन्न वस्तुओं के बाज़ार सर्वेक्षण कराना ।

छोटी कारों का निर्माण

636. **श्री राम सहाय पाण्डेय :**
श्री लिंग रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री लीलाधर कटकी :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री रा० बरुआ :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री हेम बरुआ :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री नाथ पाई :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री यशपाल सिंह :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री प्र० चं० बरुआ :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री मधु लिमये :
श्री बागड़ी :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धूलेश्वर मीना :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री काजरोलकर :
श्री मे० क० कुमारन् :
डा० रानेन सेन :
श्री रामपुरे :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में छोटी कारों का निर्माण करने के बारे में कुछ उद्योग सहयोगियों के साथ

कोई बातचीत हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख) उन विदेशी फर्मों के साथ 1965 के प्रारंभ में हुई प्रारंभिक बातचीत के अलावा जिन्होंने देश में एक छोटी कार परियोजना की स्थापना करने में रुचि दिखाई थी किसी भी अन्य पार्टी से पत्र-व्यहार नहीं हुआ है बातचीत के दौरान उनसे विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। उनमें से केवल एक फर्म के पास से इस प्रकार के प्रस्ताव प्राप्त हो गये हैं। यदि चौथी योजना की अवधि के दौरान इस परियोजना को आगे बढ़ाने का निश्यच किया गया तो इन प्रस्तावों पर आगे कार्यवाही की जायेगी ।

Fire in Railway Colony, Nizamuddin (New Delhi)

637. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Rameshwaranand :
Shri Raghunath Singh :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that about 300 huts of labourers were gutted in the Railway Colony near Nizamuddin Railway station as a result of which one thousand people were rendered homeless and property worth Rs. 15 thousand was destroyed as reported in the Nav Bharat Times dated the 2nd May, 1966 ;

(b) if so, the causes of this fire ; and

(c) the assistance given by Government to the affected persons ?

The Minister of State in the Ministry of Railway (Dr. Ram Subhag Singh): (a) to (c). No. However, a fire did break out on 1-5-66 in the unauthorised huts of the labourers camping in the Civil area near Nizamuddin Railway Station. 89 huts of labourers were gutted rendering 365 people homeless. The loss on account of this fire has been reported to be to the tune of Rs. 30,000/-. According to the Supdt... of Police South District New Delhi, the cause of the fire was that one Shri Abdul Waheed S/o Abdulla Khan one of the hut dwellers was cooking meat on a stove. The ghee caught fire and its flames carried fire to huts which were made of straw and it spread fast due to heavy winds. A sum of Rs. 40/- and some clothes were distributed to each family of the victims by the National Christian Council of India. 7 Railway employees dwelling in these huts also suffered loss of property.

पश्चिम बंगाल को राज्य व्यापार निगम द्वारा विदेशी कारों का विक्रय

638. **डा० म० मो० दास :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य व्यापार निगम द्वारा उसे बेची गई विदेशी कारों के विक्रय सम्बन्धी कुछ मामलों की ओर केन्द्रीय सरकार का ध्यान दिलाया है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने कोई जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) पूछताछ करने पर यह पता चला कि विशिष्ट दो कारों जिनको राज्य सरकार खरीदना चाहती थी, में से एक तो पहले ही एक पर्यटक टैक्सी चालक को अलाट की जा चुकी थी और दूसरी को सार्वजनिक नीलामी के लिये अधिसूचित कारों में पहले ही शामिल कर लिया गया था। राज्य सरकार को स्थिति से अवगत करा दिया गया था और बाद में उसने दो अन्य कारों को ... लिया तथा उन्हें ले भी लिया है।

Railway Traffic between Bhaptiahi and Nirmali

639. **Shri Lahtan Chaudhry :**
Shri Utiya :
Shri Madhu Limaye :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Railway traffic Survey Report regarding the restoration of rail line between Bhaptiahi and Nirmali has been received and, if so, when action will be taken for its restoration ; and

(b) whether it is a fact that Nirmali is in Supaul Sub-division and the distance between the two places is only 14 miles and people have to come to Court and for other work, after travelling for about 150 miles in the absence of a direct rail link between the two ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath): (a) No traffic survey has been carried out for restoration of line between Bhaptiahi and Nirmali whcih was closed in 1938 due to flood ravages of river Kosi. However reconnaissance engineering and traffic surveys for a rail line from Supaul to Kuaraganj (14.7 Kms) and from Supaul to Thurbhita (12·78 Kms.—the old abandoned alignment), were recently carried out by the North-Eastern Railway. The engineering and traffic survey Reports are under consideration in the Railway Board's office. A final decision on this restoration (of Supaul—Thurbhita) will be taken after this examination is completed.

(b) Nirmali is in Supaul Sub-division, and the direct distance between Nirmali and Supaul station is about 13 miles (21 Kms). The rail route distance available at present between the two places is *via* Samastipur and Mansi and is approximately 170 miles (268 Kms).

पटियाला बिस्कुट मेन्यूफेक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड

640. **श्री कोल्ला वेंकैया** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व पटियाला राज्य सरकार ने पटियाला बिस्कुट मैन्युफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड, राजपुरा को लाइसेंस दिया था और यह तय हुआ था कि अगस्त, 1966 तक उस राज्य में किसी अन्य बिस्कुट कारखाने के लिये अनुमति नहीं दी जायगी;

(ख) यदि हां, तो क्या मैसर्स रीटा बिस्कुट कम्पनी ने, जिसे दिल्ली के निकट एक बिस्कुट कारखाना बनाने का लाइसेंस दिया गया था, पटियाला में एक बिस्कुट कारखाना बनाया है; और

(ग) करार का उल्लंघन कर के मैसर्स रीटा बिस्कुट कम्पनी को पटियाला में बिस्कुट कारखाना स्थापित करने की अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी हां, भूतपूर्व पटियाला राज्य सरकार के साथ हुए करार में इस प्रकार की शर्त रखी गई थी किन्तु भारत सरकार द्वारा बाद में पटियाला बिस्कुट मैन्यूफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड को मंजूर किये गये पंजीकरण प्रमाण पत्र में ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गई थी ।

(ख) और (ग). मैसर्स रीटा बिस्कुट कम्पनी को राज्य सरकार की सिफारिश पर पटियाला में एक कारखाना लगाने की अनुमति दे दी गई है ।

गोल्डन राक (दक्षिण रेलवे) के आर० सी० सी० डिपो को अन्य स्थान पर ले जाना

641. **श्री नम्बियार** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोल्डन राक (दक्षिण रेलवे) के आर० सी० सी० डिपो को किसी अन्य स्थान पर ले जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार इस के बारे में श्रमिक संघ तथा श्रमिकों से प्राप्त हुए अभ्यावेदनों पर विचार कर रही है और यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला है

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :(क) जी नहीं । लेकिन काम न होने के कारण गोल्डन राक के आर० सी० सी० डिपो में कर्मचारियों की संख्या घटाने का विचार है ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) जो अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं उन पर पूरा विचार किया जाता है और उपयुक्त कार्रवाई की जाती है ।

भुसावल गुड्स यार्ड में विस्फोट

642. **श्री मधु लिमये :**
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री बागड़ी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **रेलवे** मंत्री 2 मई, 1966 को भुसावल गुड्स यार्ड में हुए विस्फोट के बारे में 5 मई, 1966 को उनके द्वारा सभा में दिये गये वक्तव्य के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त जांच का प्रतिवेदन इस बीच प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी हानि हुई है;

(ग) क्या यह विस्फोट तोड़फोड़ की कार्यवाही के कारण हुआ था; और

(घ) इसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क), (ग) और (घ) जांच समिति की रिपोर्ट अभी नहीं मिली है ।

(ख) रेल सम्पत्ति को लगभग 11,24,000 रुपये की हानि पहुंचने का अनुमान है ।

कच्चे पटसन का निर्यात

643. **श्री मधु लिमये :**
श्री बागड़ी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री 10 मई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5074 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कच्चे पटसन की अत्यधिक कमी तथा पश्चिम बंगाल में पटसन मिलों के बन्द हो जाने और उसके फलस्वरूप मजदूरों को जबरी छुट्टी दिये जाने के बावजूद भी सरकार पूर्वी यूरोपीय देशों को कच्चे पटसन का निर्यात करने के लिये किन कारणों से सहमत हुई है ;

(ख) वर्ष 1964-65 तथा 1965-66 में पूर्वी यूरोपीय देशों को कितना और कितने मूल्य का पटसन निर्यात किया गया; और

(ग) थाईलैंड से प्रति गांठ आयात करने के मूल्य की तुलना में प्रति गांठ निर्यात का मूल्य कितना कम अथवा अधिक है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) कुछ पूर्वी यूरोप के देशों को, उन के साथ भारत के समस्त व्यापार के हितों और विशेषत हमारे जूट के सामन के निर्यात को देखते हुए, केवल थोड़ी सी मात्रा में कच्ची जूट के निर्यात के लिये सहमति दी गई है।

(ख) तथा (ग). एक विवरण नीचे दिया जा रहा है :—

विवरण

वर्ष	कच्ची जूट का निर्यात		औसत निर्यात	आयातित थाई जूट
	परिणाम (गांठें)	मूल्य (करोड़ रु०)	मूल्य प्रति गांठ रु० में	का औसत मूल्य प्रति गांठ रु० में
1964-65	73,200	1.62	222	185
1965-66	90,100	2.57	285	179

तांबे का पकड़ा जाना

644. **श्री बागड़ी :** **श्री राम सेवक यादव :**
श्री किशन पटनायक : **श्री मधु लिमये :**
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **रेलवे** मंत्री पटना में तांबे के पकड़े जाने से सम्बन्धित 6 मई, 1966 के तारांकित प्रश्न

संख्या 1533 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जांच अब पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले तथा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं। अभी इस मामले की छानबीन की जा रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। अभियुक्त का अभी तक पता नहीं लगा है

Import of Jute from Pakistan

645. Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Madhu Limaye :
Shri Bagri :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(*a*) whether Government are aware that Pakistani jute is imported at Calcutta Port ;

(*b*) whether recently such goods have either been seized or withheld by the Customs or Port authorites and if so, the value of such goods ;

(*c*) whether infringement of any rule relating to foreign exchange or import was involved therein ; and

(*d*) the action taken against the persons held guilty ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) to (d). With the cessation of hostilities and in aniticipation of formal resumption of normal trade relations between India and Pakistan in the Tashkent spirit, import of some jute had been authorised. Pending formal removal of the ban on trade with Pakistan, consignments of jute worth Rs. 25 lakhs of Pakistani origin imported from third countries were received. When the ban on direct and indirect imports and exports from and to Pakistan was removed, these consignment were released. There was no infringement of any rule and the question of taking action against any persons did not arise.

गुजरात मेल गाड़ी की दुर्घटना

646. श्री किन्दर लाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री मधु लिमये :
श्री राम सेवक यादव :
श्री किशन पटनायक :

क्या रेलवे मंत्री गुजरात मेल गाड़ी की दुर्घटना के संबंधी जांच के बारे में 29 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4646 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस दुर्घटना की जांच पूरी हो चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). बम्बई स्थित रेल संरक्षक के अपर आयुक्त ने अभी तक अपनी जांच रिपोर्ट पूरी नहीं की है। लेकिन उनके अन्तिम निष्कर्ष के अनुसार दुर्घटना रेल कर्मचारियों की गलती के कारण हुई।

रेलवे सेवा आचरण नियम

647. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने भ्रष्टाचार निरोध समिति (सन्तानम समिति) की सिफारिश के अनुसरण में रेलवे सेवा (आचरण) नियम, 1956 को अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सवाल नहीं उठता।

विशाखापत्तनम में पिघलाने का संयंत्र (स्मेलटर प्लांट)

648. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलैण्ड के तकनीकी विशेषज्ञ दल ने 30 करोड़ रुपये की लागत से विशाखापत्तनम में स्थापित किये जाने वाले पिघलाने के संयंत्र (स्मेलटर प्लांट) के बारे में विस्तृत प्रतिवदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पर विचार तथा निर्णय कर लिया गया है; और

(ग) तो क्या निर्णय किया गया है और उसे कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) मार्च, 1967 में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के प्राप्त होने की आशा है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के उद्योग

649. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने देशों ने भारत में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के उद्योगों में पूंजी जमा रखी है ; और

(ख) कितनी पूंजी लगाई हुई है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) 22.

(ख) भारत में 1960 के अन्त में व्यापार में लगी कुल बकाया विदेशी पूंजी (उद्योग और सेवाओं सहित) 690.5 करोड़ रुपये थी।

विदेशों में भारतीय उद्योग

650. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में उद्योग स्थापित करने के लिये भारत सरकार ने अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र के भारतीय नागरिकों ने किन किन देशों में धन लगाया है ; और

(ख) उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख). विदेश में 17 देशों में साझे के उद्यमों में पूंजी लगाने सम्बन्धी भारतीय निजी उद्योगपतियों के प्रस्तावों को सरकार ने समय समय पर स्वीकार किया है। देशों का ब्योरा एवं निवेश का क्षेत्र निम्नलिखित है :—

क्रमांक	निवेश का देश	निवेश का क्षेत्र
1.	नाइजीरिया	इंजीनियरी सामान, कपड़ा विलायक निस्सारण संयंत्र, ताड़गिरी पीसने का संयंत्र, पेंसिल फैक्टरी और रेजर ब्लेड फैक्टरी ।
2.	इथोपिया	रेजर ब्लेड फैक्टरी, साबुन की फैक्टरी, ऊनी कपड़ा मिल, प्लास्टिक परिष्करण संयंत्र और घड़ी संयोजन संयंत्र ।
3.	जम्बिया	तामचीनी की वस्तुएं ।
4.	केनिया	कपड़ा, ग्राइप वाटर संयंत्र, औषध-निर्माण संयंत्र, छापे की स्याही का निर्माण और सम्बद्ध उत्पाद, ऊनी कपड़ा मिल, प्रतिदीप्त जुड़नार एवं उपसाधन, और हल्के इंजीनियरी साम्मिश्र ।
5.	लीबिया	पाइप ।
6.	टांजानिया	औषध-निर्माण संयंत्र ।
7.	ईरान	अलौह धातुओं की अर्द्ध-निर्मित वस्तुएं, तेहरान में ट्रेलर उद्योग की स्थापना, बिजली के मोटर एवं ट्रान्सफार्मर का निर्माण, और हौज पाइप का निर्माण ।
8.	लंका	सिलाई की मशीनों का निर्माण, साइकिलों का निर्माण और स्थिर-वैद्युत चाय की पत्तियां । डंठल छांटने की मशीनें ।
9.	नेपाल	ऊन फैक्टरी ।
10.	सऊदी अरब	प्रशीतकों का निर्माण, वातानुकूलक, वात शीतक आदि, एस्बेस्टस सीमेंट उत्पादों के संयंत्र, और वनस्पति संयंत्र ।

क्रमांक	निवेश का देश	निवेश का क्षेत्र
11.	मलयेशिया	इस्पात के फर्नीचर का निर्माण, तथा जिंक आक्साइड का निर्माण ।
12.	हांगकांग . .	जिंक आक्साइड का निर्माण ।
13.	फिलिपाइन्स . .	जिंक आक्साइड का निर्माण ।
14.	उ० आयर्लेंड . .	एस्बेस्टस सीमेण्ट उत्पाद संयंत्र और हल्के इंजीनियरी सामान की फैक्टरी ।
15.	ब्रिटेन . .	एस्बेस्टस सीमेण्ट उत्पादों का संयंत्र ।
16.	कनाडा . .	हार्डबोर्ड फैक्टरी ।
17.	कोलम्बिया . .	पेचदार बरमों का निर्माण ।

उपर्युक्त के अतिरिक्त भारत सरकार का प्रस्ताव, युगाण्डा में कुछ भारतीय पक्षों, युगाण्डा सरकार एवं कुछ युगाण्डा के पक्षों के सहयोग से एक चीनी मिल की स्थापना करने का है ।

स्कूटरों का नियतन

651. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: (क) क्या यह सच है कि लोगों को वेस्पा स्कूटर के लिये लगभग 10 वर्ष तक और लैम्ब्रैटा स्कूटर के लिये 8 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके उत्पादन में वृद्धि करके प्रतीक्षा काल में कमी करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी, हां । वर्तमान उत्पादन की अवस्था में यही स्थिति है ।

(ख) स्कूटर उद्योग को प्राथमिकता वाले उद्योगों की सूची में शामिल कर लिया गया है तथा स्कूटर निर्माताओं को स्कूटरों का निर्माण करने के लिए उपकरणों/कच्चे माल का आयात करने के लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा देने का विचार है जिससे वे अपनी स्थापित क्षमता का पूरा उपयोग कर सकें तथा इस प्रकार उत्पादन बढ़ा सकें ।

रेलगाड़ियों का देर से चलना

652. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री बागड़ी :
श्री राम सेवक यादव :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री किशन पटनायक :
श्री मधु लिमये :
श्री मा० ल० जाधव :
श्री हेम राज :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलगाड़ियों के देर से चलने के विरोध के रूप में सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने तथा रेल की पटरी पर रुकावट डालने की घटनाओं में वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) और (ख) कुछ रेल प्रशासनों ने सूचित किया है कि गाड़ियों के आने जाने में विलम्ब होने और खास कर उपनगरीय गाड़ियों के विलम्ब से चलने के विरोध में रेल सम्पत्ति को हानि पहुंचाने और रेलवे लाइन पर रुकावट डालने की वारदातों में वृद्धि हुई है । जिन रेल प्रशासनों से इस प्रकार की वारदातों की सूचना मिली है उनमें सवारी गाड़ियों के और खासकर उपनगरीय गाड़ियों के चलने के काम में वास्तव में कोई गिरावट नहीं हुई है और देर से चलने की कुछ घटनायें अपरिहार्य कारणों से हुई हैं। यात्रियों को ले जाने वाली सभी गाड़ियों को, जिनमें उपनगरीय गाड़ियां भी शामिल हैं, ठीक समय पर चलाने के लिये सभी प्रयास किये जा रहे हैं और आगें भी किये जाते रहेंगे ।

मद्रास व्यापार मेला (ट्रेड फेयर)

653. **श्री रा० बरुआ** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास व्यापार मेले के बारे में विदेशों की प्रतिक्रिया उत्साहप्रद है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख). भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं उद्योग मेला, मद्रास में भाग लेने के लिये विदेशों की प्रतिक्रिया फिलहाल उचित रूप से अच्छी है। मद्रास मेले में अधिकाधिक देश दिलचस्पी ले रहे हैं जब कि अब इसे दिसम्बर, 1967/जनवरी, 1968 तक स्थगित करने का निश्चय कर लिया गया है। पहले इतनी अच्छी प्रतिक्रिया नहीं थी क्योंकि विदेशी शामिल होने वालों के लिये इस मेले की बजट सम्बन्धी व्यवस्था करने, आवश्यक धन जुटाने और अपने प्रदर्शनीय उत्पादों को बनाने हेतु पर्याप्त समय नहीं था ।

मुगलसराय से आगे रेलवे का विद्युतीकरण (इलेक्ट्रिफिकेशन)

654. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे पर मुगलसराय से आगे विद्युतीकरण के बारे में और क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या यह प्रगति धीमी है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ): (क) (i) मुगलसराय से इलाहाबाद (सूबेदारगंज) तक के खण्ड पर 1965 में ही बिजली गाड़ी चलाने की व्यवस्था की जा चुकी थी ।

(ii) इलाहाबाद (सूबेदारगंज)–कानपुर(पनकी) खण्ड पर तार लगाने का काम पूरा हो चुका है। इस खण्ड पर बिजली गाड़ी चलाना उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड से बिजली उपलब्ध होने पर निर्भर है। उक्त बोर्ड ने नवम्बर, 1966 तक बिजली की व्यवस्था करने का वचन दिया

(iii) कानपुर के आगे टूंडला तक बिजली गाड़ी चलाने के लिए प्रारम्भिक अध्ययन का काम पूरा हो चुका है। इस खण्ड का सर्वेक्षण हो रहा है। आशा है कि ऊपरी उपस्कर और सब-स्टेशनों की सप्लाई और संस्थापन जैसे महत्वपूर्ण कामों के लिए जल्दी ही टेंण्डर मांगे जायेंगे ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

आत्मनिर्भरता अभियान

657. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये प्रयत्नों के एक भाग के रूप में इस्पात, उर्वरक, तेल तथा भारी मशीन जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों के लिये कोई स्थायी विनियोजन कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उसे कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) से (ग) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में औद्योगिक क्षेत्र में पूंजी लगाने के कार्यक्रम की अभी जांच की जा रही है ।

घटिया कोयला

658. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में उत्पादित घटिया कोयले की बिक्री नहीं हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उसको बिक्री करने के लिये कौन-कौन से प्रस्ताव हैं ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) नहीं, महोदय ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

उत्तर रेलवे के कर्मचारियों के सम्मान में युद्ध स्मारक

659. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **रेलवे** मंत्री 4 मार्च, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 383 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पाकिस्तानी आक्रमण के दौरान सीमा-वर्ती स्टेशनों पर नियुक्त उत्तर रेलवे के जिन कर्मचारियों ने वीर गति पाई थी, उनके सम्मान में युद्ध स्मारक बनाने में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): यह काम अप्रैल, 1966 तक पूरा हो गया था ।

कृषि औजार-निर्माण कारखाने

660. **श्रीमती सावित्री निगम :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में कृषि औजार बनाने वाले कारखाने कच्चे माल की कमी के कारण घोर संकट का सामना कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश में अन्य स्थानों की भांति कृषि औजार बनाने वाले कारखानों को, सामान्यत: देशी कच्चे माल तथा आयात करने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा का आवंटन न होने के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आयात में उदारतापूर्वक सहायता करने के लिये इस उद्योग को "प्राथमिकता" दी जाने वाली उद्योगों की सूची में सम्मिलित कर लिया गया है। इससे स्थिति में सुधार होने की आशा है।

Export Promotion

661. **Shri M. L. Dwivedi :** **Shri S. C. Samanta :**
Shri Subodh Hansda: **Shri Bhagwat Jha Azad :**

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the success achieved in the promotion of exports through the Export Promotion Organisations in the various States ;

(b) the possibilities of additional export in 1966-67 as compared to the last year's export, in terms of value and the details of goods exported ;

(c) whether the number of complaints about the Indian goods has decreased as a result of measures taken for maintaining standard of goods meant for export ; and

(d) if so, the further steps being taken by Government to remove complaints and the nature thereof ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) and (b). Various State Governments have set up Directorates of Export Promotion with a view to help exporters by creating necessary institutional framework as weell as disseminating information regarding facilities available and also of the market situation abroad.

In certain States independent bodies like State Export Promotion Corporations have been set up to maximise export efforts in those States. This recent development is expected to create export consciousness in wider areas. The general effects of the measures to help exports taken by the States cannot be qualified in terms of export turnover and value.

(c) Yes, Sir.

(d) As the preshipment inspection of goods and other measures of quality Control by the Export Inspection Council of India are producing good results, any other measure is not contemplated for the present.

टेलिविजन सेटों का आयात

662. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलिवीजन सेटों का आयात किया जा रहा है और उन्हें राज्य व्यापार के निगम के माध्यम से वितरित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो किन–किन देशों से और किन-किन मूल्यों पर मंगाये जा रहे हैं।

(ग) क्या मरम्मत तथा रख-रखाव सम्बन्धी सेवा सन्तोषजनक तौर पर उपलब्ध है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) ये टेलिवीजन सेट निम्नलिखित देशों से प्राप्त किये जा रहे हैं :

(1) हंगरी

(2) युगोस्लाविया

(3) जापानी एवं आइरिश सेट पूर्वी अफ्रीका से ।

इन सेटों की लागत—बीमा–भाड़ा सहित बम्बई की कीमतें निम्नलिखित हैं ।

छोटी लाइन (मीटर गेज) के स्थान पर बड़ी लाइन (ब्राडगेज) बिछाना

663. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री लिंग रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय में छोटी लाइन के स्थान पर बड़ी लाइन बिछाने का कोई चरणबद्ध कार्यक्रम है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ): (क), (ख) और (ग) दस या पन्द्रह वर्ष की अवधि में भी समूची मीटर लाइन प्रणाली के एक मुश्त परिवर्तन के लिए किसी दीर्घकालिक चरण-बद्ध कार्यक्रम पर विचार करना व्यावहारिक नहीं है क्योंकि इसके लिए अत्यधिक पूंजी परिव्यय की आवश्यकता होगी और दूसरी ओर, एक योजना से दूसरी योजना में साधनों की कमी होती जा रही है। फिर भी, यदि कहीं मीटर लाइन क्षमता उपयोग की दृष्टि से चरम सीमा पर पहुंच रही हो, और भविष्य में किसी पंचवर्षीय योजना की अवधि में यातायात बढ़ने पर आर्थिक दृष्टि से उस लाइन को बड़ी लाइन में बदलना ज़रूरी हो तो वहां गुण दोष के आधार पर आमान परिवर्तन की विशिष्ट परियोजनाओं पर विचार किया जाता है ।

आफिसर्ज कैरेज और सैलून

664. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् आफिसर्ज कैरेज तथा सैलून का प्रयोग कम कर दिया गया है ;

(ख) किसी श्रेणी के मन्त्री तथा अधिकारी आफिसर्ज कैरेज तथा सैलून का प्रयोग करने के अधिकारी हैं और वे इनका प्रयोग किन कामों के लिये तथा किन परिस्थितयों में कर सकते हैं ; और

(ग) क्या इन विशेषाधिकारों के दुरुपयोग के किन्हीं मामलों का पता सरकार को लगा है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व और बाद की अवधियों में उपलब्ध और इस्तेमाल होने वाले सैलून और निरीक्षण सवारी डिब्बों का पूरा रिकार्ड नहीं मिल रहा है, ताकि इनके आंकड़ों की तुलना की जा सके। फिर भी, उपलब्ध आंकड़ों के अध्ययन से पता चलता है कि जहां तक निरीक्षण सवारी डिब्बों को इस्तेमाल करने के हकदार रेलवे अफसरों का सम्बन्ध है, ऐसे सवारी डिब्बों की उपलब्धता का अनुपात इनके इस्तेमाल करने के हकदार अफसरों की तुलना में इधर कई वर्षों में उत्तरोत्तर घटता रहा है ।

(ख) एक ब्यान संलग्न है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—6567/66]

(ग) जी नहीं ।

गैर-सरकारी रेलों का राष्ट्रीयकरण

665. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री राम हरख यादव :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन विभिन्न गैर-सरकारी रेलों के राष्ट्रीयकरण के लिये रेलवे बजट में किये गये नियतन को ध्यान में रखते हुए, जिनके बारे में सरकार के साथ किये गये करारों की अवधि इस वर्ष समाप्त होने वाली थी, सरकार ने उनका राष्ट्रीयकरण करने के लिये कोई कार्यवाही की है ;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) क्या शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे का भी इस वर्ष राष्ट्रीयकरण किया जायेगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके बारे में किये गये करार की अवधि कब समाप्त होने वाली है और इस करार का अन्तिम बार कब नवीकरण किया गया था ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख). 1966-67 के रेलवे बजट में केवल बर्दवान-कटवा और तेनाली-रिपाली रेलों के खरीदने की व्यवस्था की गयी थी। इन रेलों की खरीद का विकल्प 31-3-1966 को पड़ता था और इन्हें 31-3-1965 से पहले नोटिस दे दिया गया था। सामान्यतः, किसी लाइन को खरीदने के सम्बन्ध में निश्चय हो जाने अथवा लाइन के खरीदने की काफी संभावना होने पर ही बजट में व्यवस्था की जाती है। इन दोनों रेलों को सरकार ने 1-4-1966 से अपने अधिकार में ले लिया है।

(ग) और (घ). जी नहीं। शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे के खरीदने के प्रश्न पर 1969 में अगले विकल्प के समय विचार किया जायेगा। पिछला विकल्प 1962 में था, किन्तु उस समय इसका खरीदना उचित नहीं समझा गया।

दूसरे दर्जे के शयन डिब्बे

666. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या रेलवे मंत्री 25 फरवरी, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 235 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय रेलों पर दूसरे दर्जे के शयन डिब्बों की व्यवस्था करने के बारे में अब तक प्रत्येक जोन में क्या प्रगति हुई है?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : बैठने और सोने की व्यवस्था वाले बड़ी लाइन के दूसरे दर्जे के 50 नये शयन यानों के निर्माण के लिए आर्डर दिये जा चुके हैं और ये डिब्बे बड़ी लाईन की चुनी हुई लम्बी दूरी की डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों में अधिकाधिक चलाने के लिए लगभग 18 महीने में उपलब्ध हो जायेंगे।

झांसी में रेल दुर्घटना

667. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रामेश्वरानन्द :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झांसी रेलवे स्टेशन पर 1 मई, 1966 को अथवा इसके आस-पास आगरा जाने वाली सवारी गाड़ी ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस से टकरा गई थी;

(ख) यदि हां, तो यह टक्कर किन परिस्थितियों में हुई; और

(ग) इसके लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) क्या यह टक्कर 1-5-1966 को झांसी स्टेशन पर लखनऊ जाने वाली सवारी गाड़ी और नं० 16 अप ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस के बीच हुई।

(ख) इस सम्बन्ध में जांच हो रही है।

(ग) दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध उपयुक्त अनुशासन की कार्रवाई की जायेगी।

छपाई और कृषि सम्बन्धी मशीनों के संयंत्र

668. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छपाई और कृषि सम्बन्धी मशीनों के संयंत्र तथा मिट्टी परीक्षण करने की प्रयोगशालाओं की स्थापना करने और वन उत्पादों, उर्वरकों तथा औषधों के परिष्करण करने वाले

संयंत्रों का विकास करने के संबंध में जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य के साथ बातचीत की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक हुई बातचीत का क्या परिणाम निकला है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दक्षिण रेलवे का विद्युतीकरण

669. **श्री सेझियान :** **श्री राम सेवक यादव :**
श्री बागड़ी : **श्री मधु लिमये :**
डा० राम मनोहर लोहिया : **श्री किशन पटनायक :**

क्या **रेलवे** मंत्री 29 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4702 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास से आर्कोनम तथा मद्रास से गुम्मीडिपुण्डी तक उपनगरीय रेलवे के विद्युतीकरण की योजनाओं की जांच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किये गये हैं ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो जांच कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) से (ग). चौथी पंचवर्षीय योजना में, दक्षिण रेलवे के मद्रास-अरकोणम खण्ड पर बिजली गाड़ी चलाने के प्रश्न पर अभी जांच हो रही है और विशेषरूप से वर्तमान कीमतों के आधार पर इसके खर्च तथा लाभ का मूल्यांकन करने के कारण इस जांच में कुछ समय लग जायेगा। मद्रास विजयवाड़ा खण्ड (जिसका एक भाग मद्रास गुम्मिडिपुंडी खण्ड है) पर बिजली गाड़ी चलाने के उद्देश्य से रेल मार्ग के सर्वेक्षण और नक्शें तैयार करने के लिए मंजूरी दे दी गई है।

हथकरघा से बने माल का अमरीका को निर्यात

670. **श्री सेझियान** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका तथा पश्चिमी यूरोपीय देशों को हथकरघा से तैयार माल के निर्यात के सम्बन्ध में मद्रास के उद्योग मंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने एक प्रतिवेदन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या-क्या सिफारिशें की गई हैं ; और

(ग) इस प्रतिवेदन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) मद्रास के उद्योग मंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोप के कुछ देशों का दौरा किया और इन देशों को ब्लीडिंग मद्रास कपड़ें के निर्यात के बारे में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है।

(ख) तथा (ग). एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6568/66]**

राज्य व्यापार निगम

671. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किन-किन वस्तुओं का आयात तथा निर्यात व्यापार किया जाता है।

(ख) इस निगम द्वारा देश के अन्दर किन-किन वस्तुओं का व्यापार किया जाता है ;

(ग) क्या यह सच है कि विदेशों तथा देश के अन्दर होने वाले व्यापार के लिये सरकार का विचार मदों की संख्या में वृद्धि करने का है ; और

(घ) राज्य व्यापार निगम के माध्यम से व्यापार करने में सरकार को कितना लाभ हुआ है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) राज्य व्यापार निगम द्वारा इस समय जिन निर्यात तथा आयात की वस्तुओं का व्यापार किया जाता है, उनकी एक सूची संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 6569/66]**

(ख) बीज, लाख, कच्चा जूट, तम्बाकू, नींबू घास का तेल और कच्ची रुई।

(ग) जी, हां ।

(घ) सरकार ने अपने अस्तित्व के इन दस वर्षों में पूंजी पर लाभांश के रूप में 1·65 करोड़ रु० दिये हैं जो कि 17·68 करोड़ रु० के आयकर और लगभग 10 करोड़ रु० की आन्तरिक आरक्षित निधि जमा करने के अलावा हैं। इसी अवधि में इसके द्वारा किये गये प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष निर्यात से 313 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा का उपार्जन हुआ है। आयात के क्षेत्र में यह देश की आयात संबंधी आवश्यकताओं के लिए अपेक्षाकृत सस्ती कीमतों पर माल प्राप्त कर सका है और उपभोक्ताओं को उसका न्याययुक्त वितरण करने में सहायता दी है। अपने आन्तरिक व्यापार में, जोकि समीकरण भण्डार और कीमत की टेक बन्दी के कार्यों से संबंधित है, इसने उत्पादनों के लिये उचित कीमतें सुनिश्चित करने में सहायता की है।

जापान में लघु उद्योग प्रशासन पाठ्यक्रम

672. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एशिया उत्पादिता संगठन के लघु उद्योग प्रशासन पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिये भारत दो प्रतिनिधि टोक्यो भेज रहा है ; और

(ख) उससे भारत को कहां तक लाभ होगा ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी हां। दो व्यक्ति जोकि भारत में लघु उद्योग के विकास से घनिष्ठ सम्बन्ध रखते हैं, आठ सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया था जो 18 जुलाई, 1966 को समाप्त होगा ।

(ख) जापान जो कि लघु उद्योगों का एक प्रसिद्ध सुविकसित देश है, यह पाठ्यक्रम से भाग लेने वालों को एक नया दृष्टिकोण प्रदान करेगा जो कि भारत में लघु उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने के लिये बहुत लाभदायक सिद्ध होगा ।

Electronic-controlled Signals

673. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Raghu Nath Singh :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that the Elctronic-Controlled Signals are under test on the Railway Station, Delhi in collaboration with West Germany ;

(*b*) whether it is contemplated to manufacture this equipment in the country itself ;

(*c*) if so, the amount of expenditure thereon ; and

(*d*) when the construction work is likely to be completed ?

Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (*a*) No. However, an Electronic Axle Counter, supplied for test purposes by a firm in West Germany, is under trial at New Delhi Railway Station.

(*b*) The question of manufacture of this equipment in the country would be considered after a suitable type of axle counter is decided upon.

(*c*) Does not arise.

(*d*) Does not arise.

Fire in Jhansi Railway Workshop

674. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Raghunath Singh :
Shri Vishva Nath Pandey :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that there was a loss of one lakh of rupees due to a fire which broke out in Jhansi Railway Workshop yard on 19-5-1966 ;

(*b*) if so, the causes thereof ; and

(*c*) the action taken in regard thereof ?

Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (*a*) The incident of fire took place on 18-5-66 and the actual loss has been estimated at approximately Rs. 9,265 and not rupees one lakh.

(*b*) According to Departmental Enquiry the cause of the fire was due to careless smoking by two workers of the Jhansi Workshop.

(*c*) Disciplinary action is being taken against the two railway employees held responsible.

Derailment of 3 Up Assam Mail

676. **Shri Rameshwaranand :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Raghunath Singh :
Shrimati Savitri Nigam :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that substantial loss to life and property was caused when No. 3 Up Assam Mail got derailed in agricultural area of Panikhaiti as reported in 'Vir Arjun' dated the 1st May, 1966;

(*b*) if so, the cause of the derailment and;

(*c*) the loss suffered thereby ?

Minister of State for Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (*a*) & (*c*). As a result of the accident which occurred on 30-4-66, one person was killed.

The cost of damage to railway property was estimated at approximately Rs. 1,18,000.

(*b*) The Additional Commissoner of Railway Safety, Calcutta held a statutory enquiry into this accident. He has not finalised his enquiry report as yet.

Derailment of a Goods Train near Bajarangpura

677. Shri Rameshwaranand :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Raghunath Singh :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(*a*) wheter it is a fact that 18 wagons of a goods train were derailed near Bajarangpura Station as reported in the 'Hindustan', dated the 30th April, 1966 ;

(*b*) if so, the reasons therefor ; and

(*c*) the loss of life and property sustained as a result of the accident ?

Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (*a*) The accident occurred on 29-4-66 a Lakhtar Station which is next to Bajrangpura station. In this accident 14 wagons got derailed.

(*b*) The report of the Enquiry Committee is under examination.

(*c*) There was no loss of life. The cost of damage to railway property has been estimated at approximately Rs. 6,550.

Accident at Khana Junction

678. Shri Rameshwaranand :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Raghunath Singh :
Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that a goods train collided with a Parcel Express train at Khana Station on the Eastern Railway on the 29th April, 1966;

(*b*) whether it is also a fact that three persons were killed and movement of all trains was held up as a result of this accident;

(*c*) if so, the cause of the accident; and

(*d*) the loss of life and property sustained as a result thereof and also the action taken by Government in regard thereto ?

Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (*a*) to (*d*) Yes.

As a result of this accident 3 railway employees were killed.

The cost of damage to railway property was estimated at approximately Rs. 48,800.

The movement of all trains did not suffer. Only the Down Slow line was blocked. Other three lines were clear.

The accident was due to the failure of railway staff. Suitable disciplinary action is being taken against the defaulting staff.

Safety drive has been further intensified to arouse safety consciousness amongst the railway staff.

व्यापारियों से मुठभेड़

679. **श्री च० का० भट्टाचार्य :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सोनावने :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 22 मई, 1966 को बन्देल स्टेशन पर रेलवे के कर्मचारियों तथा पुलिस के बीच झगड़ा हुआ था ;

(ख) क्या चावल तस्कर व्यापारियों का एक गिरोह एम० 142 डाउन बर्दवान-हावड़ा लोकल से बन्देल पर उतरा था और अपने अवैध माल को लेकर वे लोग लोको-शेड की ओर दौड़े थे ; और

(ग) क्या जब पुलिस वाले तस्कर व्यापारियों का पीछा कर रहे थे माल गाड़ी के गार्ड ने उस समय हस्तक्षेप किया था ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी नहीं ।

जस्ते की चादरों की कमी

680. **श्री मुहम्मद इलियास :** क्या खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में जस्ते की चादरों की अत्यधिक कमी है और इस से नगर के ब्लाक बनाने वाले उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इस कमी के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि जस्ते की चादरें बहुत ऊंचे दामों पर चोर बाजार में बेची जाती हैं ; और

(घ) यदि हाँ, तो इस कमी को दूर करने के लिये और जस्ते की चादरों की चोर बाजारी को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) और (ख) देशी निर्माताओं द्वारा कम उत्पादन पैदा करने के कारण जस्ता स्तारों की समस्त देश में कमी है विशेषरूप से देहली में ही नहीं । जस्ता स्तारों के उत्पादन की कमी का मुख्य कारण है जस्ता आयात करने के लिये विदेशी मुद्रा की कठिनाई ;

(ग) जस्ता स्तारों की कीमत पर इस समय कोई नियंत्रण नहीं है और इसी कारण उसकी बाजार में कीमत प्राप्यता पर निर्भर होती है ।

(घ) स्तार निर्माताओं को जस्ते का विशेष आवंटन किया गया है । आशा है इससे जस्ते की प्राप्ति की स्थिति सुधर जायेगी । इसके अतिरिक्त और जस्ता आयात करने का प्रबन्ध भी किया जा रहा है ।

टीन की प्लेटों की कमी

681. श्री हरि विष्णु कामत :
श्री हेम बरुआ :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री नाथ पाई :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि देश में टीन की प्लेटों की भारी कमी है जिससे फलों को डिब्बों में बन्द करने तथा उनका परिरक्षण करने वाले उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति को सामान्य बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी, हां ।

(ख) (1) फलों को डिब्बों में बन्द करने तथा परिरक्षण उद्योग में काम आने वाली खुले मुंह की बाल्टियां बनाने के लिये उपयुक्त टीन की प्लेटें देश में ही बनाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

(2) आयात में उदारतापूर्वक सहायता करने के प्रयोजन से ओ० टी० एस० बाल्टी उद्योग को प्राथमिकता वाले उद्योगों में शामिल कर लिया गया है जिससे इनका उत्पादन होता रहे और इसका सुनिश्चय किया जा सके कि टीन की प्लेटों की कमी के कारण फलों को डिब्बों में बन्द करने तथा परिरक्षण उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ।

नागालैण्ड का भूतत्वीय सर्वेक्षण

682. श्री हरि विष्णु कामत :
श्री हेम बरुआ :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री नाथ पाई :

क्या खान तथा धातु मंत्री 13 मई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1690-क के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैंड के भूतत्वीय सर्वेक्षण के बारे में अपेक्षित जानकारी इकट्ठी कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका मोटा ब्यौरा क्या है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) और (ख) आसाम तथा नागालैंड की सरकारों से सूचना मिली है कि नागालैंड के टेवांगसांग जिले के वांरजान, कौनगत तथा वाक्तींग गांवों के साढ़े चार वर्ग मील क्षेत्र में कोयला खानों के पट्टे मैसर्स नजीरा कोल कम्पनी के साथ तय हुये थे जो 1923 में 30 वर्ष के लिये कलकत्ता में समामेलित हुई थी। 1 जनवरी, 1943 से 30 वर्ष के लिये पट्टे की अवधि फिर और बढ़ा दी गई थी। इस विषय में वास्तविक सूचना प्राप्त की जा रही है कि क्या नजीरा कोल कम्पनी एक अंग्रेजी फर्म है जिसका मुख्य कार्यालय इंगलंड में है ।

Kirti Nagar Station

683. **Shri Naval Prabhakar** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(*a*) the time by which the construction of the Kirti Nagar Station on the Delhi circular railway is likely to be completed ; and

(*b*) whether any memorandum has also been received in this connection ?

Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (*a*) There is no proposal for construction of Kirti Nagar station on the Broad Gauge track on the Delhi Goods Avoiding Lines.

(*b*) A memorandum was received for construction of Kirti Nagar station on the metre gauge line. The proposal for opening of a Flag station on M. G. line at Kirti Nagar is not feasible on technical as well as financial considerations.

कालका–हावड़ा डाक गाड़ी में पंखे

684. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि कालका-हावड़ा डाकगाड़ी के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में जो 23 मई, 1966 को दिल्ली से हावड़ा के लिये रवाना हुई थी, पंखे ठीक तरह से चल नहीं रहे थे और मुगल सराय रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को स्टेशन मास्टर का ध्यान आकृष्ट करने के लिये जंजीर खींचनी पड़ी थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि पंखों की मरम्मत नहीं की जा सकी थी;

(ग) क्या यह सच है कि इस गाड़ी से प्रथम श्रेणी के अच्छे डिब्बे हटा दिये गये थे और पुराने डिब्बे जोड़ दिये गये थे ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) पंखों को किसी मरम्मत की जरूरत नहीं थी बल्कि बैटरियों के खारिज हो जाने की वजह से नहीं चल रहे थे । जनित्र उपस्कर की खराबियों को ठीक कर दिया गया ताकि रास्ते में बैटरियां चार्ज हो सकें ।

(ग) और (घ) यातायात की जरूरतों को देखते हुये इस रेक के पहले दर्जे के दो नियमित डिब्बों को दिल्ली में बदलना पड़ा । बदले हुये डिब्बे अच्छे डिब्बे थे लेकिन उनके जनित्र और बैटरी उपस्करों में कुछ अप्रत्याशित खराबियां पैदा हो गयीं ।

केरल में हार्ड-बोर्ड का कारखाना

685. **श्री मुहम्मद कोया :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केरल औद्योगिक विकास निगम ने अमरीका के सहयोग से केरल में मलयातूर में एक हार्डबोर्ड कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था;

(ख) क्या अमरीका की वेयर हाऊस कम्पनी ने अन्ततोगत्वा इस कारखाने को छोड़ देने का निश्चय कर लिया क्योंकि केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों ने उन्हें सहयोग नहीं दिया; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) सरकार को ऐसे किसी भी सुझाव की जानकारी नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

तिरूर ऊपरी पुल

686. **श्री मुहम्मद कोया :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने तिरूर ऊपरी पुल (केरल) के निर्माण के लिये स्थान अर्जित किये जाने के बारे में सूचना दी है; और

(ख) इस ऊपरी पुल के रेलवे के भाग के निर्माण-कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) प्रस्तावित ऊपरी पुल किस जगह बनाया जाय इसके बारे में रेलवे और राज्य सरकार के बीच फैसला हो गया है और ऐसा करते समय जनता से प्राप्त उन अभ्यावेदनों पर भी विचार किया गया है जिनमें इस जगह का विरोध किया गया था। यद्यपि आवश्यक जमीन अधिग्रहण करने का काम राज्य सरकार द्वारा शुरू किया जा चुका है। लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है।

(ख) रेलवे के हिस्से के काम की मंजूरी मिल गयी है लेकिन अभी काम शुरू नहीं हुआ है और न राज्य सरकार के हिस्से का काम ही अभी शुरू हुआ है। रेलवे का काम समय पर आरम्भ हो जायेगा और राज्य सरकार के हिस्से के काम से पहले पूरा हो जायेगा।

निर्यात

687. **श्रीमती रेणुका राय :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966 की तिमाही में भारत से कितना और कितने मूल्य का निर्यात किया गया ; और

(ख) ये आंकड़े 1965 की उसी तिमाही में किये गए निर्यात के आंकड़ों की तुलना में कितने कम हैं या अधिक ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख) जनवरी से मार्च, 1966 की तिमाही में भारत से 208·02 करोड़ रुपये मूल्य का निर्यात किया गया था, जबकि जनवरी से

मार्च, 1965 की समवर्त्ती तिमाही में 201.94 करोड़ रु० मूल्य का हुआ था। इस प्रकार 1965–66 की पिछली तिमाही में, 1964–65 की समवर्त्ती तिमाही की तुलना में, 6.08 करोड़ रु० की वृद्धि हुई है। निर्यात के परिणाम सम्बन्धी आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है।

रेशम के धागे का आयात

688. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**
श्री रिशांग किशिंग :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेशम के धागे का आयात करने के लिये सरकार ने बहुत अधिक राज सहायता प्राप्त मूल्य पर चीनी का निर्यात करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय कब और किस आधार पर किया गया; और

(ग) क्या इस योजना का कोई मूल्यांकन किया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) चीनी के विनिमय में नकली रेशम के सूत का आयात नहीं किया गया था।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

Factories in Iron bearing Areas

689. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of **Iron and Steel** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that his Ministry proposed to start a factory in each iron bearing area ;

(*b*) if so, the details thereof ; and

(*c*) the progress made so far in this connection ?

The Minister of Iron and Steel (Shri T. N. Singh) : (*a*) No , Sir.

(*b*) & (*c*). Do not arise.

स्कूटरों के दाम

690. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में बने स्कूटरों का दाम लगभग तीन हजार रुपये प्रति स्कूटर है;

(ख) यदि हां, तो इतना अधिक दाम होने के क्या कारण हैं; और

(ग) उनके दाम में कमी करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी, हां।

(ख) स्कूटरों के ऊंचे मूल्य होने का प्रमुख कारण उनका सीमित उत्पादन होना है। देशी तथा आयातित कच्चे माल और तैयार पुर्जों का तुलनात्मक मूल्य अधिक होने से भी इनका मूल्य बढ़ जाता है।

(ग) सरकार का मुख्य प्रयत्न उत्पादन को बढ़ाना है स्कूटर उद्योग के हर एक कारखाने को अब कच्चे माल तथा पुर्जों के पूरी स्थापित क्षमता के अनुसार आयात करने की दृष्टि से लाइसेंस देने के लिए इस उद्योग को प्राथमिकता की सूचि में शामिल कर लिया गया है। आशा है कि इस सुविधा से निकट भविष्य में स्कूटरों का उत्पादन बढ़ जायगा जिसके कारण उत्पादन लागत में बचत हो जायेगी।

Accumulation of Charkha Yarn and Khadi

691. **Shri Sidheshwar Prasad :**
Shri Warior :
Shri Bagri :
Shri Ramchandra Ulaka :
Shri Dhuleshwar Meena :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that a huge stock of Charkha yarn and Khadi has piled up ;

(*b*) if so, the reasons therefore ; and

(*c*) whether the question of purchasing these stocks has been considered by the Central Government and if so, the decision taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi):

(*a*) According to reports received so far, stocks of charkha yarn and Khadi equivalent to three months' production are surplus

(b) (i) Seasonal variations in production leading to higher stocks at certain times of the year ;

(ii) increase in general price level and fall in purchasing power of consumer ; and

(iii) increase in spinning wages resulting in higher cost of production of yarn.

(*c*) The question is still under consideration.

Small Scale Industries in Rajasthan

692. Shri Vishwanath Pandey : Will the Minister of **Industry** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2423 on the 18th March, 1966 and state :

(*a*) Whether Government have since received the report of the team of Officers of the National Small Industries Corporation which visited Rajasthan in connection with the implementation of some industrial schemes ;

(*b*) if so, the reaction of Government thereto ; and

(*c*) if not, when the report is likely to be submitted ?

The Minister of Industry (Shri D. Sanjivayya) : (*a*) to (*c*). The National Small Industries Corporation has since printed its report on the intensive campaign conducted in Rajasthan. The campaign was undertaken by the Corporation on its own initiative and no report was required to be submitted to the Government. The purpose of launching the campaign was to create an active interest in Rajasthan in the establishment of more small scale industries and to make available the facilities the small entrepreneurs can

have from the Corporation. As a result of the campaign, 196 applications for supply of machinery valued at Rs. 1.36 crores were received. The Corporation had accepted 105 applications for supply of machinery valued at Rs. 50.00 lakhs, and had rejected 38 applications for a total value of Rs. 32.57 lakhs. 53 applications involving a total value of Rs. 53.40 lakhs, are under consideration of the Corporation.

कपड़ा समझौते का क्षेत्र बढ़ाना

693. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राज्य अमरीका ने जेनेवा कपड़ा समझौते के क्षेत्र को बढ़ाने की मांग की है जिसके अन्तर्गत भारत जैसे कपड़ा निर्यात करने वाले देश अपने कपड़े के निर्यात को कम करने के लिये स्वेच्छा से सहमत हो जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सूती कपड़े के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सम्बन्ध में दीर्घावधि प्रबन्ध (दी०अ०प्र०) के मूल उद्देश्य पूरे नहीं हुए हैं, इस प्रबन्ध की वैधता को जो 30 सितम्बर 1967 को समाप्त होगी, आगे भी जारी रखने की आवश्यकता के बारे में भारत सरकार सन्तुष्ट नहीं है। फिर भी, यदि आयात के किसी प्रकार के विनियमन की आवश्यकता सामान्यतः अनुभव की जाती है तो भारत यह चाहेगा कि वर्तमान प्रबन्ध की धाराओं में उचित संशोधन किया जाय ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इसके प्रवर्तन से विकासोन्मुख देशों से कपड़े के निर्यात का बहुदेशीय विस्तार होगा। तदनुसार भारतीय प्रतिनिधि मण्डल ने, दिसम्बर, 1965 में हुई गाट की सूती कपड़ा समिति की बैठक में, समिति के विचारार्थ, उन संशोधनों का प्रस्ताव देने की तत्परता व्यक्त की जिन्हें हम दीर्घावधि प्रबन्ध में उसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये तथा उसे अधिक प्रभावकारी बनाने के लिये चाहते हैं। गाट की सूती कपड़ा समिति की बैठक 1966 के अन्त में होगी ताकि वह विचार कर सके कि इस प्रबन्ध को बढ़ाया जाये, संशोधन किया जाये या समाप्त कर दिया जाये।

उत्तर प्रदेश में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का कारखाना

694. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** **श्री रामेश्वरानन्द :**
श्री हुकम चन्द कछवाय : **श्री रघुनाथ सिंह :**

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का एक कारखाना स्थापित करने के बारे में सरकार विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कब और कहां; और

(ग) उस पर कुल कितना खर्च होगा ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी, हां।

(ख) इस संयंत्र की स्थापना पंजाब, केरल और आन्ध्र प्रदेश में स्थित मौजूदा संयंत्रों का विकास पूरा हो जाने तथा मध्य प्रदेश में प्रस्तावित नये कारखाने की स्थापना हो जाने के बाद ही की जायगी। वर्तमान अनुमानों के अनुसार इसकी स्थापना चौथी योजना की अवधि की समाप्ति तक होने की सम्भावना है। यह संयंत्र लगाने के लिये किसी निश्चित स्थान के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(ग) वर्तमान अनुमानों के आधार पर एक नया कारखाना लगाने में लगभग 927 लाख रु० लागत आती है जिसमें से विदेशी मुद्रा का अंश 347 लाख रु० होता है।

खेतरी तांबा परियोजना

695. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री बागड़ी :
श्री रामपुरे :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान की खेतरी तांबा परियोजना में अब तक कितनी प्रगति हुई हैं; और

(ख) इस परियोजना के कब चालू होने तथा कारखाने में कब तक उत्पादन आरम्भ होने की सम्भावना है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) एक विवरण सदन के सामने रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी—6570/66]**

(ख) 1969 में परियोजना के चालू हो जाने की आशा है।

नंगल में अखबारी कागज का कारखाना

696. **श्री बागड़ी :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :
श्री राम सेवक यादव :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **उद्योग** मंत्री 25 फरवरी, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1002 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में नंगल में अखबारी कागज का कारखाना स्थापित करने के लिये इस बीच कोई निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) अभी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Deposits of Silica Sand

697. Shrimati Savitri Nigam : Will the Minister of **Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a huge deposit of Silica Sand has been found in the district

of Banda, U. P. ; and

(b) if so, the action taken in regard thereto ?

The Minister of Mines and Metals (Shri S. K. Dey) : (a) Yes, Sir.

(b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

तांबा और जस्ता

698. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री दलजीत सिंह :

क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जस्ता, तांबा तथा अन्य सभी खनिज पदार्थों के संभरण की स्थिति में जिनका अभाव है, सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में कोई प्रयत्न किये गये हैं; और

(ग) क्या हाल ही में देश में जस्ता तथा तांबे के कुछ निक्षपों का पता लगा है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) से (ग). आवश्यक सूचना का एक विवरण सदन के सामने रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये सख्या एल० टी०—6571/66]**

रोपड़—नंगल बांध पर फ्लैग स्टेशन

699. **श्री दलजीत सिंह :**
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **रेलवे** मंत्री 18 मार्च, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2426 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि रोपड़ तथा नंगल बांध के बीच एक फ्लैग स्टेशन बनाने के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : इस क्षेत्र में हुए अब तक के विकास को देखते हुए इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

राजपुरा में ऊपरी पुल

700. **श्री दलजीत सिंह :**
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के राजपुरा रेलवे स्टेशन पर ऊपरी पुल बनाने के प्रश्न पर विचार कर लिया गया है तथा अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण-कार्य कब आरम्भ हो जायेगा ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह):(क) और (ख). जी नहीं। इस स्टेशन पर एक ऊपरी पैदल पुल पहले से ही मौजूद है वर्तमान ऊपरी पैदल-पुल की लकड़ी की सीढ़ियों और फर्श की जगह प्रबलित कंक्रीट सीमेंट की सीढ़ियां और फर्श बनाने और साथ ही उस पर छत की व्यवस्था करने के लिए खर्च की मंजूरी दे दी गयी है। इस्पात संरचना का आवश्यक काम हो रहा है।

बालासौर स्टेशन पर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी

701. श्री गोकुलानन्द महन्ती : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1964-65 तथा 1965-66 में दक्षिण-पूर्व रेलवे के बालासौर, भद्रक तथा खुर्दा स्टेशनों में कितने आदमी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के रूप में नियुक्त किये गये;

(ख) इस पद के लिए कार्य-भारत (वर्क-चार्ज्ड) कुलियों में से कितने आदमी लिये गये; और

(ग) उनमें से कितने आदमी स्थानीय हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

	1964-65	1965-66
(क)	209	125
(ख)	121	97
(ग)	209	125

भूमिगत सम-पार (अंडरग्राउन्ड लेवल क्रासिंग)

702. श्री गोकुलानन्द महन्ती: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटक स्टेशन (दक्षिण-पूर्व रेलवे) के निकट सम-पार पर बार-बार हुई दुर्घटनाओं को दृष्टि में रखते हुए सरकार ने एक भूमिगत सम-पार बनाने सम्बन्धी अपने प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार इस मामले में कब कार्यवाही करने जा रही है; और

(ग) यदि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, तो उस स्थान पर बार-बार होने वाली दुर्घटनाओं सम्बन्धी समस्या सरकार कैसे सुलझायेगी ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) :(क) से (ग). रेलें किसी भी व्यस्त समपार पर ऊपरी/निचला सड़क पुल बनाने के लिए तैयार हैं बशर्ते वर्तमान नियमों के अनुसार उनकी योजना राज्य सरकार या सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गयी हो और राज्य सरकार या सम्बन्धित प्राधिकारी अपने हिस्से की लागत देने के लिए सहमत हों।

कटक रेलवे स्टेशन पर दो समपार हैं--एक दक्षिणी सिरे पर और दूसरा उत्तरी सिरे पर। दक्षिणी सिरे के समपार की जगह राज्य सरकार ने ऊपरी पुल बनाने का सुझाव दिया था। लेकिन, तकनीकी कारणों से इस समपार की जगह पुल बनाना व्यावहारिक नहीं समझा गया इसलिए स्टेशन के दक्षिण की ओर समपार से कुछ दूर एक निचला पुल बना दिया गया।

उत्तरी सिरे के समपार की जगह भी राज्य सरकार ने एक निचला सड़क पर पुल बनाने का सुझाव दिया था, लेकिन वहां निचला पुल बनाना व्यावहारिक नहीं था। इसलिए ऊपरी पुल बनाने का सुझाव दिया गया। उड़ीसा सरकार और रेलवे इस ऊपरी पुल का स्थान निर्धारण करने का निर्णय

कर रही हैं। लेकिन राज्य सरकार ने जिसे इस पुल की लागत देनी है, यह कहा है कि वह चौथी पंचवर्षीय योजना में इस पुल के निर्माण के लिए रकम नहीं जुटा सकेगी। राज्य सरकार द्वारा रकम का प्रबन्ध कर लेने के बाद ही यह काम शुरू किया जा सकता है ।

चाय उद्योग के कर्मचारियों का प्रशिक्षण

703. **श्री गोकुलानन्द महन्ती** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि चाय उद्योग के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में चाय बोर्ड एक नया तरीका अपनाना चाहता है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :(क) (1) चाय बागान के व्यवस्था सम्बन्धी कर्मचारियों और (2) अन्य क्षेत्रीय तथा फैक्टरी के कर्मचारियों को चाय उद्योग का उपयुक्त प्रशिक्षण देने का नया तरीका चाय बोर्ड के विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में विस्तृत ब्यौरा तैयार किया जाना है और चाय बोर्ड से एक औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त होना शेष है।

(ख) चाय बोर्ड से प्रस्ताव आ जाने के बाद सरकार उस पर ध्यानपूर्वक विचार करेगी।

नारियल जटा चटाइयों का निर्यात

704. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नारियल जटा की चटाइयों का निर्यात कम हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस कमी का पता कब लगा था तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) इसके मुख्य कारण यूरोप के बाजरों में संश्लेषित अथवा सुरूचिपूर्ण ऊनी फर्श बिछावनों की ओर अत्यधिक रूचि उत्पन्न हो जाना और भारत से निर्यात होने वाली चटाइयों पर अधिक आयात तटकरों का लगाया जाना तथा अन्य प्रतिबंधित नीतियां हैं।

(ग) दूसरे महायुद्ध तथा विशेषत: 1950–51 वर्ष के बाद गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई दी थी। कायर उत्पादों की किस्म का आधुनिकीकरण तथा सुधार करने के लिये विभिन्न कदम उठाये गये हैं। इसके साथ ही किस्म नियन्त्रण तथा जहाज लदान से पूर्व निरीक्षण योजना, उत्पादन में विविधता, निर्यात के लिये उत्तम किस्म की चटाइयों के उत्पादन के लिये एक शक्तिचालित कारखाने की स्थापना और प्रशिक्षिण तथा डिजाइन केन्द्र का चालू किया जाना भी शामिल है।

नारियल जटा की वस्तुओं के विक्रय सम्बन्धी सर्वेक्षण

705. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ देशों में नारियल जटा की वस्तुओं के विक्रय सम्बन्धी कोई सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो किन देशों में यह सर्वेक्षण किया गया; और

(ग) जिन देशों में सर्वेक्षण किया गया था वहां इन वस्तुओं के विक्रय की कितनी संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) स्विटजरलैण्ड, हालेण्ड, सं० रा० अमेरिका, नार्वे, डेनमार्क, बेल्जियम, स्वीडन, फिनलेण्ड, जापान, ब्रिटेन, सिंगापुर, इटली और कनाडा में कायर की वस्तुओं के लिये बाजार सर्वेक्षण किये गये हैं।

(ग) इन देशों में कायर बिछावन की तुलना में कायर की चटाइयों के लिये अच्छी सम्भावनाएं हैं क्योंकि पहली किस्म के उत्पादनों को विभिन्न प्रकार के फर्श बिछावनों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। कीमतों में बिना किसी तदनुरूप वृद्धि के किस्म में वास्तविक सुधार करने से ही कायर की वस्तुओं के निर्यात की सम्भावनाओं में सुधार हो सकता है।

रेशम उत्पादों के मूल्य

706. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेशम उत्पादों के शेष रूप से टसर उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस समस्या की जांच करने के लिये कोई समिति नियुक्त की गई है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस समिति को प्रस्तुत कर दिया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) टसर उत्पादों की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। बल्कि उनकी कीमतों में जनवरी, 1966 से महत्वपूर्ण रूप से कमी हुई है। शहतूती रेशम तथा कोयों की कीमतों की प्रवृति जनवरी, 1966 से ऊर्ध्वमुखी रही है।

(ख) शहतूती रेशम के उत्पादों की कीमतों की ऊर्ध्वमुखी प्रवृत्ति का मुख्य कारण मैसूर राज्य में मानसून के न आने के परिणामस्वरूप कोयों के उत्पादन का कम होना है।

(ग) तथा (घ) टसर उद्योग की समस्याओं की जांच करने और निर्यात की अधिक सम्भाव्यता वाले टसर रेशम के उत्पादन का और अधिक विकास करने के लिये उपाय सुझाने के लिये एक टसर रेशम समिति बनायी गयी थी। उसकी रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है और उस पर विचार किया जा रहा है।

चश्मे का शीशा बनाने का कारखाना

707. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री सं० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल इन्स्ट्रूमेंटस लिमिटेड द्वारा दुर्गापुर में चश्में का शीशा बनाने का कारखाना स्थापित किये जाने का काम समय-सूची के अनुसार किया जायेगा;

(ख) यदि नहीं, तो इसमें कितनी देरी हो जायेगी; और

(ग) इसमें देरी होने का क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया): (क) से (ग). यद्यपि सहयोगियों के साथ किए गए करार के अन्तर्गत सोवियत रूस से आयात को जाने वाली मशीनों में से अधिकांश मशीनें पहले ही आ चुकी हैं तथा उन्हें लगाने का कार्यक्रम भी तैयार कर लिया गया है। फिर भी विभिन्न कारणों से लगभग 16 महीनों का विलम्ब होने की सम्भावना है। जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण इस प्रकार हैं :--

(i) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में अनुमानित किस्म से जिसके आधार पर भवनों का डिजाइन तैयार किया गया था वास्तविक भूमि भिन्न होने के कारण कुछ खाकों तथा डिजाइनों में परिवर्तन करने की आवश्यकता उत्पन्न हो गई थी।

(ii) रूसियों द्वारा तैयार की गई विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट में उत्पादन के लिए अत्यधिक आवश्यक लगभग 93 टन की रिंगिग्स तथा औजारों को शामिल नहीं किया गया था तथा अब रूस से उनका आयात करने का विचार है। चूंकि इसके लिये न तो बजट में ही कोई व्यवस्था की गई है और न ही विदेशी ऋण का नियतन किया गया है। अतः इस आवश्यक वस्तु के आयात में विलम्ब होने की सम्भावना है।

(iii) मेसर्स नेशनल बिल्डिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन को सौंपा गया निर्माण कार्य बहुत धीरे-धीरे किया गया।

(iv) एस्बस्टस की चादरों तथा सहायक सामान और लोहे के ढले हुए पाइपों आदि के प्राप्त होने में भी कठिनाइयां हुई थीं।

Import of Raw Materials

708. **Shri M. L. Dwivedi :** **Shri Subodh Hansda :**
Shri S. C. Samanta : **Shri P. C. Borooah :**
Shri Bhagwat Jha Azad : **Shri Basappa :**

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether in view of the decision of Government to grant licences for the import of raw materials from April, 1966 to March, 1967 in advance, any provision has been made for those industries which did not apply for licences in 1965-66 due to certain reasons ;

(b) whether any enquiry is proposed to be made regarding the actual need of industries before issuing advnace licences ; and

(c) whether a copy of the note containing the provisions for advance licences will be laid on the Table ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) With a view to enabling Actual Users, including small scale units, to meet their immediate requirements of imported raw materials, components and spares, the Government had decided to grant advance licences during t .e period April 1966—March 1967. Following devaluation, however, a new import policy was a nounced providing for the grant of special import licences for im)ort of essential items of raw materials, components and spares on a liberal basis. Provision as been made in this policy to consider import applications for April 1966—March 1967 preriod, on the basis of recommendations of Sponsoring Authority, from Actual Users who did not obtain import licences druring April, 1964—March 1965 or April 1965 — March 1966. It has therefore been decided not to issue advance licences for April 1966—March 1967.

(b) and (c). Do not arise.

बिलेटों का उत्पादन और विवरण

709. **श्री भगवत झा आजाद :** **श्री म० ल० द्विवेदी**
श्री सुदोष हंसदा : **श्री सं० चं० सामन्त :**

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुनर्बेल्लन मिल संगठन ने अभ्यावेदन किया है कि बिलेटों के उत्पादन और वितरण पर नियंत्रण जारी रहना चाहिये; और

(ख) क्या बिलेटों के उत्पादन और वितरण पर से नियंत्रण हटाने का कोई प्रस्ताव है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री मी० ना० सिंह) : (क) मार्च 1966 में इस्पात पुर्नबेलन मिल संगठन ने बिलेट के वितरण पर से नियंत्रण हटाने के अभिकथित पर चिन्ता प्रकट की थी।

(ख) सरकार 'खाडिलकर स्टडी' के प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिसमें सभी प्रकार के इस्पात पर से, जिसमें विलेट भी शामिल हैं, परिनियत नियन्त्रण हटाने की सिफारिश की गई है। इन प्रस्तावों में बिलेट तथा दूसरी किस्म के इस्पात की जिसकी बहुत कमी है का सामयिक व वितरण सुनिश्चित करने के लिये पर्याप्त प्रबन्धों की व्यवस्था है।

कलकत्ता में रेल सेवाएं

710. **डा० रानेन सेन :** **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता क्षेत्र में रेलगाड़ी सेवाओं को अस्त-व्यस्त करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार और केन्द्रीय सरकार में मतभेद है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) गाड़ियों के चलने में रुकावट दूर करने के लिए जो सामान्य कार्रवाइयां की जाती हैं उनके अलावा सुरक्षा उपायों को और मज़बूत बनाने के लिए इस मामले पर राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ उच्च स्तर पर विचार किया जा रहा है।

(ग) जी नहीं।

कलकत्ता में उपनगरीय रेलगाड़ियों का देर से चलना

711. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** **श्री हेम राज :**
श्री दीनेन भट्टाचार्य : **श्री दलजीत सिंह :**
श्री मा० ल० जाधव :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता आने वाली तथा कलकत्ता से जाने वाली उपनगरीय रेलगाड़ियों के, जिन में कार्यालयों तथा कारखानों में काम करने वाले लोग यात्रा करलेते हैं, देर से चलने के मामलों में काफी वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या रेलवे अधिकारियों का एक यही उत्तर होता है कि ऐसा हाल के खाद्य आन्दोलन के परिणामस्वरूप होने वाली हानि के कारण होता है और वे इस बात का पता लगाने का प्रयत्न नहीं करते कि यह देरी कितने में त्रुटिपूर्ण सिगनल व्यवस्था, देखरेख तथा अन्य पतकनीकी दोषों के कारण होती हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि इसके कारण बार-बार झगड़ हुए ह तथा असंतुष्ट यात्रियों ने धरना दिया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं। जनवरी, से जून, 1966 तक कलकत्ता क्षेत्र में उपनगरीय गाड़ियों के ठीक समय पर चलने

के काम का विश्लेषण करने से मालूम हुआ है कि उनका चालान सामन्यतया सन्तोषजनक है।

(ख) और (ग). मार्च, 1966 में भीड़ द्वारा उपद्रवों और आम हड़ताल, बिजली बन्द होने और ऊपरी तारों के टूटने, दुर्घटनाओं, सिगनलों उपस्कर की चोरी, जिसके परिणामस्वरूप सिगनलों में खराबी होने, समाज विरोधी तत्वों द्वारा गाड़ियों के रोके जाने, हाल ही में बदले गये एसी डी सी डिब्बों के संचालन में प्रारम्भिक कठिनाई आदि के कारण कलकत्ता क्षेत्र में उपनगरीय गाड़ियों के ठीक समय पर चलने में बाधा पड़ी। यात्रियों को यह बताये जाने के बावजूद कि गाड़ियों के देर से चलने के अमुक-अमुक कारण हैं, और इनमें से अधिकांश कारण अपरिहार्य हैं, गाड़ियों के देर से चलने पर यात्रियों द्वारा पटरी पर धरना देकर गाड़ियां रोक लेने की कुछ वादातें हुई हैं।

Accident near Jalpaiguri Station

712, **Shri Bhagwat Jha Azad :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Sonavane :
Shri Raghunath Singh :
Shri Basumatari :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whethr it is a fact that 10 persons were injured when a lorry dashed against a passenger train between Shunna and Jalpaiguri Railway Stations on the Notrh-Eastern Railway on the 28th May, 1966;

(b) if so, the causes of the accident ; and

(c) the action in taken this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) The accident took place between Sukna and Siliguri Jn. stations of the Nort heast Frontier Railway.

(b) and (c). The Additional Commissioner of Railway Safety, Calcutta who enquired into this accident, has concluded provisionally that the accident was due to the passenger trains striking against motor lorry which was infringing the Railway track, for which he does not hold any railway staff responsible.

बिस्कुट बनाना

713. **श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :** **श्री शिवमूर्ति स्वामी :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त : **श्री रामेश्वर टांटियां :**
श्री द्वारका दास मत्री :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिस्कुट और अन्य सम्बद्ध पादार्थ बनाने के लिये मद्रास की सेन्च्युरी फ्लोर मिल्स लिमिटेड और न्यूयार्क, अमरीका की नेशनल बिस्कुट कम्पनी के बीच हुए सहयोग का सरकार ने हाल में अनुमोदन कर दिया है ;

(ख) इस मामले में निर्णय करने से पहले क्या भारत के बिस्कुट निर्माताओं के संगठनों की राय ले ली गई है थी ; और

(ग) उत्पादन के क्षेत्र में, जहां भारतीय निर्माता आत्म-निर्भरता प्राप्त कर चुके हैं तथा भारी मात्रा में निर्यात करते आ रहे हैं विदेशी पूंजी और विदेशी प्राद्योगिकीय सहयोग के लिए मंजूरी देने के लिये सरकार ने किन-किन बातों को ध्यान में रखा है ?

उद्योग मंत्री (श्री सजीवैया) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) यह प्रायोजना निर्यात की दृष्टि से बनाई गई है और देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखते हुए इस प्रकार की निर्यात करने वाली योजनाओं को प्रोत्साहन देना वांछनीय होगा ।

बेंटोनाइट के निक्षेप

714. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में बाड़मेर, बीकानेर और सवाई माधोपुर जिलों में बेंटोनाइट के जो तेल निकालने, तेल साफ करने तथा अन्य उद्योगों के कामों के लिए एक उपयोगी खनिज पदार्थ है, निक्षेप बहुत बड़ी मात्रा में पाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो निक्षेपों की अनुमानित मात्रा कितनी है ; और

(ग) काम कब आरम्भ हो जायेगा और खनिज पदार्थ व्यापारिक प्रयोजनों के लिये कब तक मिलने लगेंगे ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे०) : (क) राजस्थान के बाडमेर जिले में बेंटोनाइट के विस्तृत निक्षेपों का पता चला है। राजस्थान में बीकानेर के गजनेर तथा सवाई माधोपुर जिलों में दारागामा स्थानों पर भी बेंटोनाइट के होने का पता चला है ।

(ख) बाड़मेर जिले में सब प्रकार के बेंटोनाइट के सिद्ध संचय 20.28 मिलियन मीटरी टन के स्तर के हैं।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा उसे सदन के सामने रखा जायगा।

Ticket Collectors at Samastipur Railway Station

715. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Ticket Collectors at Samstipur Railway Station do not speedily check the tickets of the III Class passengers travelling from Champaran, Saran, Muzaffarpur and Darbhunga Districts coming to and going from Calcutta side and harass them at the gate and that the porters there also harass the passengers very much; and

(b) if so, the arrangements Government propose to make for the facility of these passengers ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) No such complaint has been received.

(b) Does not arise.

Incident in Ahmedabad-Delhi Express

716. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some passengers fell down from Ahmedabad-Delhi Express on the 22nd May, 1966, while the train was in motion between Phulera and Jaipur.

(b) whether it is a also a fact that the train was stopped after it had moved four miles from the place of this incident ;

(c) whether it is also a fact that the train went ahead leaving behind the injured persons and 70 other persons ; and

(d) if so, the action taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath): (a) No.

(b) to (d). Do not arise.

चलते फिरते (मोबाइल) क्रेनों का निर्माण

717. श्री सोनावने : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964 से लेकर आज तक विदेशों से कितने चलते-फिरते क्रेन आयात किये गये हैं ;

(ख) उनको आयात करने पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई है ; और

(ग) भारत में उनका निर्माण करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) तथा (ख)

	परिमाण संख्या में	मूल्य लाख रु० में
1963–64	369	449
1964–65	240	491
1965–66 . . .	335	512

(ग) विभिन्न प्रकार की चलती क्रेनें बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं। एक वर्तमान फर्म को अपने उत्पादन की किस्में बढ़ाने की स्वीकृति दे दी जाने के अलावा तीन अन्य पार्टियों को आश्रय पत्र दे दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रस्तावों पर भी विचार किया जा रहा है । आशा है कि इन योजनाओं के कार्यान्वित हो जाने पर चौथी योजना के अन्त तक देश में 500 चलती क्रैनों की मांग काफीअंग तक पूरी हो जायेंगी।

Derailment at Sumrari Station

718. Shri Bade :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Ram Harkh Yadav :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a goods train was derailed at Sumrari Railway Station on the loop-line of the Central Railway on the 3rd June, 1966;

(b) whether it is also a fact that the Fireman died and the Diver was injured as a result thereof;

(c) the causes of the accident; and

(d) the loss suffered thereby ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath):

(a) The Sectional and Tranship train No. 772 up derailed at Sumreri Station on 2-6-66.

(b) Yes.

(c) The cause of the accident is under investigation.

(d) The cost of damage to railway property was estimated at approximately Rs. 3,85,000/-.

पश्चिमी घाट एक्सप्रैस की समय-सूची में परिवर्तन

719. **श्री मुहम्मद कोया :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पश्चिमी घाट एक्सप्रैस की वर्तमान समय-सूची में परिवर्तन करने तथा पुरानी समय-सूची लागू करने के बारे में एक अभ्यावेदन जिस पर कुछ संसद-सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि पश्चिमी घाट एक्सप्रैस में बहुत अधिक स्थान (सीट) खाली रखे जाते हैं, क्योंकि यह गाड़ी मालाबार के नगरों बेंवक्त पहुंचती है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) वैस्ट कोस्ट एक्सप्रैस गाड़ियों के मौजूदा समय, जिन्हें क्षेत्रीय समय-सारणी समिति की राय से लागू किया गया था, उन लोगों की तमाम जरूरतों को सन्तोषप्रद रूप से पूरा करते हैं जो वैस्ट कोस्ट के स्टेशनों सहित मद्रास और मंगलूरू के बीच विभिन्न सैक्शनों पर इन गाड़ियों का उपयोग करते हैं। अतः इनका समय बदलने का कोई औचित्य नहीं है ।

(ग) इन गाड़ियों से चलने वाले यात्रियों की संख्या काफी संतोषजनक है और इनका समय बदलने से इनके यात्रियों की संख्या में कमी नहीं हुई है, बल्कि इनका समय बदल जाने के बाद से वैस्ट कोस्ट पर अधिक लोक यात्रा करने लगे हैं।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने में उत्पादन

720. **श्री सुबोध हंसदा :** **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री म० ल० द्विवेदी :**

क्या लोहा और इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने में कोक ओवन बैटरी के खराब हो जाने के कारण उत्पादन कम हो गया है और यदि हां तो इस खराबी का कब पता चला ;

(ख) क्या इस भट्ठे (ओवन) की मरम्मत, पर होने वाले व्यय का अनुमान लगाने के लिये कोई विशेषज्ञ नियुक्त किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर कितनी राशि व्यय होगी ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) से (ग). फरवरी 1966 में बंगाल बंध आन्दोलन के पश्चात् यह देखा गया कि कोक भट्ठियों का उत्पादन कम हो गया था । 6 अप्रैल, 1966 को द्वितीय बंगाल बंध आन्दोलन के पश्चात स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ गई तब कारखाने के प्रबन्धकों ने इस मामले पर विचार किया कि जिसके परिणामस्वरूप दोनों अल्पाकालिक तथा दीर्घकालिक प्रत्युपाय किये गये हैं जिनके फलस्वरूप निकट भविष्य में स्थिति के सामान्य हो जाने की संभावना है । इस मामले पर विचार करने वाले विशेषज्ञ का अनुमान है कि मरम्मत पर 30 से 35 लाख रुपये खर्च आयेंगे ।

Spare parts of Cars and Scooters

721. **Shri Ram Sewak Yadav:** Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether the spare parts used in the Ambassador and Fiat Cars, Willy Jeeps, Vespa and Lambretta Scooters being assembled in India are being manufactured within the country or are being imported ;

(b) whether there is any scheme to increase their production in the near future to meet our requirement ; and

(c) whether some Indian engineers are conductiong any research in this field ?

The Minister of Industry (Shri Sanjivayya) : (a) A large percentage of the components used in Ambassador & Fiat cars, Willys Jeeps, Vespa and Lambretta Scooters are available from local production. Only such of the parts as are not available, are allowed to be imported.

(b) Adequate raw materials are being provided for the manufacture of components and spare parts during the current financial year. This will result in increase in production.

(c) The vehicle manufacturers as well as the automobile ancillary units have well qualified engineers who are continuously establishing production of components, which are also required as spare parts.

Khadi and Village Industries Commission

722. **Shri Ram Sewak Yadav:** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the monetary assistance received by the Khadi and Village Industries Commission from Government during the last Five Years Plan;

(b) the amount spent by the Commission out of that on the admissnistrative set-up;

(c) whether it is a fact that large quantity of yarn is laying with the Commission and that traders are not buying the same ; and

(d) whether there is any competition between the khadi and handloom cloth due to which this trade has to suffer a loss ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi):

(a) Rs. 86·97 crores.

(b) Rs. 8·18 crores.

(c) About Rs. 88 lakhs worth of khadi yarn over and obove the normal stock is at present reported to be with various institutions. Institutions use the yarn themselves for being woven into cloth and the yarn is not sold to traders.

(d) No such competition has been brought to the notice of Government.

बरेली में रेलवे स्लीपर तथा कोच यार्ड में अग्निकाण्ड

723. **श्री राम हरख यादव :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री बड़े :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बागड़ी :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री रामपुरे :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 जून, 1966 को बरेली रेलवे स्टेशन (उत्तर प्रदेश) से 6 मील दूर कलक्टरगंज में रेलवे स्लीपर तथा कोचयार्ड में भयंकर आग लग गई थी जिसके कारण रेलवे स्लीपरों का सारा भण्डार जल कर राख हो गया ;

(ख) यदि हां, तो इस अग्निकांड का ब्योरा क्या है तथा उसके क्या कारण थे ; और

(ग) इस में जीवन तथा सम्पत्ति की कितनी हानि हुई ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 2-6-66 को पूर्वोत्तर रेलवे के कलक्टरगंज स्थित स्लिपर ट्रीटमेंट प्लांट में आग लग गयी थी। स्लीपरों का पूरा भण्डार नहीं जला बल्कि केवल 4.74 लाख रुपये के स्लीपर जलने का अनुमान है।

(ख) आग 14.30 बजे लगी और आग लगने का कारण यह जान पड़ता है कि शंटिंग इंजन द्वारा गिराया गया जलता हुआ कोयला नीचे पटरी पर पड़े हुए जूट और कपड़े के टुकड़ों पर जा पड़ा। उस समय तेज पश्चिमी हवा चल रही थी, जिससे आग यार्ड में पड़े स्लीपरों के चट्टों तक फैल गयी ।

(ग) किसी की मृत्यु नहीं हुई। आग से नष्ट हुए स्लीपरों के कारण रेल सम्पत्ति को 4.74 लाख रुपये और यार्ड में पटरी की क्षति और आग में कुछ रद्दी लकड़ी जल जाने के कारण 2675 रुपये की हानि हुई।

माल डिब्बे

724. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माल डिब्बों की मांग कम हो गई है ;

(ख) क्या इसी कारण माल डिब्बों का निर्माण भी कम कर दिया गया है ;

(ग) क्या इस के परिणामस्वरूप माल डिब्बे बनाने वाले 'वर्कशापों में कर्मचारियों की भी छंटनी की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इस के कारण कितने कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) बड़ी लाइन पर यातायात की कुछ श्रेणियां, जो सामान्यत: कुल भाड़ा यातायात मांग की बढ़ती में सब से अधिक योगदान देती हैं, विशेषतया अयस्क तथा कोयला, में माल डिब्बों की उपलब्ध सप्लाई से मांग कम है। मीटर लाइन पर, माल-डिब्बों की संख्या की तुलना में मांग सामान्य रूप से थोड़ी अधिक है, जिसका मुख्य कारण सामान्य से अधिक अनाज का आयात है ।

(ख) जी हां, लेकिन 1966–67 में डिब्बे बनाने के लिये कम की गई कुल व्यवस्था के भीतर अधिक मीटर लाइन के माल डिब्बे बनाने के लिये कदम उठाये गये हैं।

(ग) और (घ). भारतीय रेलों पर कोई अलग से डिब्बा निर्माण कारखाने नहीं हैं और डिब्बा निर्माण कार्य मरम्मत कारखाने में होने वाले कार्यों का भाग है । वैगनों के उत्पादन स्तर में कमी होने के कारण सम्बन्धित रेलवे वर्कशापों में समंजन किये गये हैं और निर्मुक्त कर्मचारियों को दूसरे काम पर लगाया गया है। इसलिए छटनी नहीं होगी।

जहां तक प्राइवेट वैगन निर्माताओं का सम्बन्ध है, वैगन उत्पादन में कमी के कारण जो छटनी होगी उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता क्योंकि वैगन निर्यात आदेश मिलने के अतिरिक्त यह सम्भव है । कि निर्माताओं ने अपने कर्मचारियों को दूसरे निर्माण कार्य पर लगाया हो ।

निर्यात

725. **श्री रघुनाथ सिंह :** **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :**
श्री प्र० चं० बरुआ : **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री द्वारिका दास मत्री : **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री कपूर सिंह : **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री बूटा सिंह : **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :**
श्री नरसिम्हा रेड्डी : **श्री दलजीत सिंह :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : **श्री यशपाल सिंह :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुपये के अवमूल्यन के साथ-साथ निर्यातकों को पटसन से बनी वस्तुओं के मामले में 73 प्रतिशत से ले कर नारियल जटा से बनी वस्तुओं के मामले में 43 प्रतिशत तक कुछ और अधिक प्रोत्साहन दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो निर्यात की जाने वाली विभिन्न परम्परागत तथा अन्य वस्तुओं, विशेष रूप से चाय, के मामले में किस रूप में तथा कहां तक प्रोत्साहन दिया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख) : यह सत्य नहीं है कि रुपये के अवमूल्यन के साथ निर्यातकों को जूट के माल के सम्बन्ध में 73 प्र० श० से लेकर कायर या चाय के सम्बन्ध में 43 प्रतिशत तक, अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया गया है। इसके विपरीत इन तीनों वस्तुओं पर, अन्य परम्परागत निर्यात की वस्तुओं के साथ, निर्यात शुल्क लगाया गया है। फिर भी, अपरम्परागत वस्तुओं के निर्यात में सहायता के लिए कुछ उपाय विचाराधीन हैं।

राष्ट्रीय लघु उद्योग विनियोजन संस्था

726. **श्री उमानाथ :**
श्री मे० क० कुमारन :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे पैमाने के उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय लघु उद्योग विनियोजन संस्था (नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज इन्वेस्टिंग हाऊस) वित्तीय संस्था स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, तथा उसका कार्यक्षेत्र क्या होगा ; और

(ग) क्या केन्द्रीय वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक इस प्रस्ताव से सहमत हो गये हैं और यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय किया है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) से (ग). लघु उद्योग बोर्ड ने बंगलौर में 8 और 9 जुलाई, 1966 को हुई अपनी 24वीं बैठक में सिफारिश की है कि "लघु उद्योगों के लिए राष्ट्रीय विनियोजन गृह" (नैशनल इनवैस्टमेंट हाऊस फार स्माल इंडस्ट्रीज) नामक एक अलग वित्तीय संस्था स्थापित की जाय। इस सिफारिश पर अब सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

ब्लीडिंग मद्रास कपड़े का निर्यात

727. **श्री उमानाथ :** **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री भागवत झा आजाद : **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री म० ला० द्विवेदी : **श्री मे० क० कुमारन :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री आर० वेंकटारामन (मद्रास के उद्योग मंत्री) के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल "ब्लीडिंग मद्रास" कपड़े के निर्यात के सम्बन्ध में हाल में अमरीका तथा यूरोप गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिनिधिमंडल की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—6572/66]**

चाय का निर्यात

728. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री इम्बीची बावा :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1965 में कोचीन बन्दरगाह से चाय का निर्यात काफी बढ़ा है ;

(ख) यदि हां, तो कितना निर्यात बढ़ा है ;

(ग) क्या सरकार का विचार कोचीन में एक चाय केन्द्र खोलने का है ; और

(घ) यदि हां, तो यह कब तक खोला जायेगा और इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) तथा (ख). 1965 में कोचीन बन्दरगाह से हुये चाय के निर्यात में गत वर्ष के निर्यात की तुलना में लगभग 110 लाख कि० ग्रा० की वृद्धि हुई ।

(ग) तथा (घ). कोचीन में एक चाय केन्द्र खोलने का सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी विदेशी दर्शकों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुये कोचीन में अच्छी किस्म की चाय सेवा की व्यवस्था करने के लिये बोर्ड द्वारा उपायों पर विचार किया जा रहा है

जबलपुर डिवीजन में सेवाओं के लिये लोगों का चयन

729. **श्री श० ना० चतुर्वेदी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सेवा आयोग द्वारा चुने गये व्यक्तियों को रोजगार देने का कोई आश्वासन दिया जाता है ;

(ख) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे के जबलपुर डिवीजन में गार्ड तथा सहायक स्टेशन मास्टर के पदों के लिये लगभग दो वर्ष पूर्व यथाविधि चुने गये व्यक्तियों को नौकरी पर बुलाया नहीं गया है और इस बीच की अवधि में रिक्त स्थानों को विभागीय पदोन्नति के माध्यम से भर लिया गया है ; और

(ग) उन व्यक्तियों की स्थिति क्या होगी जिनकी आयु निर्धारित आयु सीमा से बढ़ जायेगी ; और जिन्हें चयन करने के बाद दो वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले नहीं बुलाया जाता है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) एक बार उम्मीदवारी स्वीकृत हो जाने पर वास्तविक नियुक्ति के समय आयु सम्बन्धी पात्रता को दुबारा निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं होती ।

स्टेशनों पर पीने का पानी

730. **डा० श्रीनिवासन :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के कई रेलवे स्टेशनों पर पीने का पानी तीन पैसे प्रति गिलास बिकता है ;

(ख) क्या सरकार का विचार निशुल्क पीने के पानी की व्यवस्था करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो कब से ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) . सवाल नहीं उठता ।

डीजल रेल-कार

731. **डा० श्रीनिवासन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास के उपनगरों (सबर्ब्स) में मद्रास सेन्ट्रल-अरकोणम् और मद्रास सेन्ट्रल-गुडूर सेक्शनों पर यात्रियों की भीड़-भाड़ को कम करने के लिये उन सेक्शनों पर डीजल रेल-कार चलाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ) : (क) और (ख) . भीड़-भाड़ दूर करने के लिए मद्रास सेंट्रल-अरकोणम् और मद्रास सेंट्रल-गुडूर सेक्शनों पर डीजल रेल-कार चलाने का कोई विचार नहीं है । मद्रास-अरकोणम् और मद्रास-गुडूर सेक्शनों के क्रमशः मद्रास-तिरवल्लूर और मद्रास-गुम्मिडिपूंडि हिस्सों पर कुछ भीड़-भाड़ रहती है और इन दोनों हिस्सों पर एक-एक जोड़ी सवारी गाड़ी चलाने के बारे में विचार किया जा रहा है

आसाम रेल सम्पर्क का समाप्त हो जाना

732. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी** :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष जून में हुई भारी वर्षा तथा बाढ़ से आसाम का रेल से सम्पर्क टूट गया था ;

(ख) यदि हां, तो कितने स्थानों पर और इसके परिणामस्वरूप कितने समय तक रेल सेवा रुकी रही ; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप रेलवे को कितनी हानि हुई ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ) : (क) जी हां ।

(ख) दो स्थानों पर, अर्थात्, नलवाड़ी और घोघरापार के बीच 220 घंटे के लिए और (*ii*) गारोपाड़ा और कालचीनी के बीच 22 घंटे के लिए ।

(ग) लगभग 4.42 लाख रुपये ।

प्रेस संवाददाताओं को रियायती कूपन

783. **श्री कु० चं० शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के मुख्यालय में प्रेस संवाददाताओं को रियायती कूपन जारी किये जाते हैं ;

(ख) क्या सूचना और प्रसारण मंत्रालय अथवा किन्हीं संवाददाताओं से कोई अभ्यावेदन मिले हैं कि जिन कूपनों की अवधि समाप्त हो जाती है और जिनका उपयोग नहीं किया जाता है उनकी धनराशि वापिस दी जाये और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार नये कूपन जारी करने अथवा उन कूपनों की धनराशि वापिस करने का है जिनका प्रयोग नहीं किया जाता है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । लेकिन, रकम की वापसी के लिये एक संवाददाता की विधवा पत्नी से उत्तर रेलवे को एक प्रार्थना मिली थी । वह प्रार्थना नामंजूर कर दी गई क्योंकि, वर्तमान नियमों के अन्तर्गत, जिन कूपनों को इस्तेमाल नहीं किया जाता या जिनके इस्तेमाल की अवधि बीत जाती है, उनकी रकम किसी भी परिस्थिति में वापिस नहीं की जाती ।

(ग) किसी संवाददाता की मृत्यु होने आदि विशेष परिस्थितियों में इस्तेमाल न किये गये कूपनों की रकम वापस करने के लिये रेल प्रशासनों को आवश्यक हिदायतें जारी की जा रही हैं ।

Conversion of Barabanki-Gonda- Gorakhpur M. G. into in B. G. Line.

734. **Shri Sarjoo Pandey** : Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Unstarred question No. 1086 on the 25th February, 1966 and State the progress since made in regard to the scheme of converting Barabanki-Gonda-Gorakhpur Metre Gauge line into a Broad Gauge line ?

Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : Of the Preliminary studies referred to in regard to conversion of the Barabanki -Gonda-Gorakhpur metre gauge section into Broad gauge, the enigneering appreciation report has since been received and the same is under consideration. The traffic appreciation report is still under preparation.

रंगों को पक्के बनाये रखना

735. **श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मानक संस्था ने सब प्रकार के कपड़ों में पक्का रंग बनाये रखने और नहरों पर कंक्रीट सीमेंट लाइनिंग के सम्बन्ध में तथा पर्याप्त वाणिज्यिक महत्व वाले मानक तैयार किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इन मानकों को निर्माण करने की विधियों में उपयोग में लाने के लिये, क्या उपाय किये गये हैं, जिससे कि जन साधारण को इनका लाभ पहुंच सके ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) से (ग). मांगी गई जानकारी बताने वाला एक विवरण साथ में नत्थी है। [पुस्तकालय में रखा गया देखिये। संख्या एल० टी० 6573/66]

Demonstration in front of General Manager's Office, Eastern Railway, Calcutta

736. **Shri Kishen Pattnayak :**
Shri Subodah Hansda :
Shri M. L. Dwivedi :
Shri Madhu Limaye :
Shri S. C. Samanta :
Shri Bhagwat Jha Azad :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a massive demonstration was held in front of the General Manager's (Eastern Railway) Office in Calcutta on the 4th June, 1966;

(b) whether any memorandum was presented to the General Manager ;

(c) the main demands of the workmen; and

(d) the action taken by Railways on that memorandum ?

Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh):

(a) Yes; by certain workers.

(b) Yes.

(c) (i) Representation against the Railway's action in negotiating with a particular group of Union office bearers and alleged victimisation of another group of Trade Union workers.

(ii) Grievances in the matter of service conditions such as working hours in Liluah Workshop, scales of pay, Dearness Allowance, Bonus, etc

(d) The demands raised in the memorandum are being considered on merits, although no notice is taken of such demonstrations when authorised avenues exist for redressal of grievances through representations, appeals and negotiations.

नैमित्तिक (केजुअल) श्रमिक

737. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के कोटा क्षेत्र में भवन निर्माण कार्यों पर लगाये गये नैमित्तिक श्रमिकों के लिये न्यूनत्तम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत 1 ० 50 पैसे से बढ़ाकर 2 रुपये 50 पैसे के संशोधित दर के अनुसार बोर्ड ने 1 अप्रैल, 1952 से 31 मार्च, 1955 की अवधि तक के लिये 0.75 पये प्रति दिन की दर से 1958 में किसी समय अन्तर का भुगतान करने का आदेश दिया था ;

(ख) क्या बोर्ड के उक्त आदेशों के परिपालन में इन्सपेक्टर्स आफ वर्क्स, पश्चिम रेलवे, कोटा और कोटा डिवीजन के गंगापुर शहर के लिये रखे गये कुछ एक नैमित्तिक श्रमिकों को ही अन्तर दिया गया था और कुछ लोगों को छोड़ दिया गया था ; और

(ग) क्या उन शेष कर्मचारियों को, जिन्हें उक्त अवधि में रखा गया था और प्रति दिन रु० 50 पैसे की दर से दिया गया था, उन के अन्य सहयोगियों की तरह अब मजूरी में अन्तर की राशि दी जायेगी ताकि भेद-भाव का बर्ताव न रहे ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग). रेलवे बोर्ड ने आदेश जारी नहीं किये हैं। लेकिन, रेल प्रशासन ने बताया है कि निर्माण-कार्य निरीक्षक, कोटा के अधीन काम करने वाले 79 नैमित्तिक मजदूरों को, जिन्हें 1-4-1952 से 31-8-1954 तक 1 रु० 50 पैसे प्रतिदिन की दर से मजदूरी दी गयी थी, उपलब्ध सम्बन्धित अभिलेखों के आधार पर उक्त अवधि के लिए 75 पैसे प्रतिदिन की दर से बकाये रकम की अदायगी की गयी थी।

Foreign Exchange for Import of books

738. **Shri Onkar Lal Berwa** :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the amount of foreign exchange allocated for the import of books from foreign countries during 1965-66;

(b) the conditions on which the licences to import books are issued and to whom; and

(c) whether the amount of foreign exchange allocated for the purpose is insufficient to meet the requirement?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) Foreign exchange worth Rs. 3 crores was allocated for import of books during April 1965--March 1966 period.

(b) Licenses for import of books are granted to Established Importers and actual Users such as libraries, colleges, universities, technical and educational institutions, etc., with the general condition that import of undesirable and obscene books and magazines will not be permissible. Apart from this general condition, quota licences to Established Importers are issued with the following conditions :—

(i) Not more than 50% of the face value of the licences can be utilised for import of fiction and permissible non-technical journals and magazines provided that not more than 20,000 copies of a single magazine shall be allowed to be imported against each quota licence ;

(ii) Within the said 50% of the face value of quota licences, fiction can be imported only upto 10% of the face value of the licence.

(c) No, Sir. In view of the liberalised import policy, the demand for imported books is expected to be met in full during the current licensing period.

Powerlooms in Fourth Plan Period

739. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to tate :

(a) whether Government have decided to instal one lakh powerlooms during the Fourth Five Year Plan ;

(b) if so, when they will be installed ; and

(c) the arrangements made to supply adequate power to them ?

The Deputy Minister in the ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi)

(a) Yes, Sir.

(b) During the Fourth Plan period.

(c) As the State Governments have to select, in consultation with the Textile Commissioner, the parties, organizations and co-operatives, to whom the powerlooms would be allotted, they are expected to keep in view that the allottees have adequate power to instal and operate the powerlooms.

Prices of Saris in Colombo

740. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the prices of Indian saris have considerably fallen in Colombo ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister of in the ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) & (b). The Ceylon Government issued a Gazette on 31st May, 1966 bringing all the imported textiles under price control. According to this Gazette, the maximum retail selling price of imported cotton saree was fixed at Ceylon Rupees 2·53 per yard and for artsilk saree at Ceylon Rs. 2·65 per yard. It was then reported that some of the dealers had small stocks of expensive Indian sarees which they were compelled to sell at the controlled prices mentioned above.

Training of Industrial Managerial staff

741. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a scheme has been formulated to make special arrangements for the training of the industrial managerial staff during the Fourth Plan Period ; and

(b) if so, the salient features thereof ?

The Minister of Industry (Shri Sanjivayya) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे की रेलवे लाइनों के साथ-साथ भूमिहीन व्यक्तियों का बसाया जाना

742. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर सीमा पर रेलवे लाइनों के, जो नागा क्षेत्रों में से होकर जाती है, दोनों ओर जंगल साफ कर दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस क्षेत्र में भूमिहीन लोगों को बसाने का सरकार का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). समूचा क्षेत्र सेना के नियंत्रण में है और इस सम्बन्ध में सदन में कोई सूचना देना सार्वजनिक हित में नहीं होगा ।

केरल में कताई मिलें

744. **श्री अ० ब० राघवन :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल में 1962 में स्वीकृत बारह कताई मिलें स्थापित करने के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : केरल में लाइसेन्स प्राप्त 12 सूती कताई मिलों की स्थापना के सम्बन्ध में, स्थिति, संलग्न विवरण में दी गयी है। [पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०—6574/60]

मनीपुर में उद्योगों की स्थापना

745. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर सरकार तीसरी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से ही केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना करती आ रही है कि कुछ उद्योग जैसे कताई मिल, कागज मिल और सीमेंट कारखाने वहां स्थापित किये जाने चाहियें तथा सरकार भी उन पर विचार करती रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन प्रस्तावित योजनाओं में से किसी एक पर अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं , तो उसके क्या कारण हैं तथा कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) इन प्रस्तावों को वित्तीय साधनों की उपलब्धि जांचे खड़े कर लेने के आगे की पर्याप्त सुविधाएं जैसे परिवहन, बिजली और श्रम इत्यादि तथा इन के साथ साथ विभिन्न प्रादेशिक दावों को ध्यान में रखते हुए जांच की जानी है इस प्रकार की जांच पड़ताल में समय लगता है फिर भी अंतिम निर्णय शीघ्र ही करने के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

मनीपुर को लोहे की चादरों का सम्भरण

746. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या लोहा और इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर सरकार ने कुल कितने टन नालीदार लोहे की चादरों की मांग की थी और उन्हें कुल कितने टन चादरें दी गईं ;

(ख) मनीपुर को दी गई नालीदार चादरें नागालैण्ड को दी गई चादरों की तुलना में कम हैं अथवा अधिक ;

(ग) लोहा तथा इस्पात नियंत्रक अथवा स्टाकिस्टों से प्राप्त किये जाने पर लोहे की नालीदार चादरों के प्रत्येक बन्डल के मूल्य तथा उस मूल्य में जिस पर उसे जनता को बेचा जाता है, क्या अन्तर है ; और

(घ) मनीपुर के लोगों की लोहे की नालीदार चादरों की भारी मांग के बारे में सरकार किस प्रकार कार्यवाही करेगी ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) और (ख). मनीपुर और नागालैण्ड की नालीदार जस्ती चादरों की कुल मांग और उनको की गई कुल सप्लाई इस प्रकार है :—

	1963-64		1964-65		1965-66	
	मांग	प्रेषण	मांग	प्रेषण	मांग	प्रेषण
मनीपुर	—	1,163	17,714	993	14,390	906
नागालैण्ड	3,630	4,211	2,366	1,740	10,000	—

(ग) नालीदार जस्ती चादरों का वर्तमान वैध मूल्य (मोटाई 0.63 एम० एम०, लम्बाई 1.8 मीटर / 3.05 मीटर) इस प्रकार हैं :—

(रुपये प्रति टन)

कालम I	कालम II	कालम III
प्रमुख उत्पादकों द्वारा बिक्री के लिए	नियंत्रित स्टाकहोल्डरों द्वारा बिक्री के लिए	प्रमुख उत्पादकों / नियंत्रित स्टाक होल्डरों के अतिरिक्त दूसरे लोगों द्वारा बिक्री के लिये
स्टैंडर्ड . 1205	1255	1270
कामशल . 1160	1200	1215

(घ) 1963–64 से लेकर "स्टेट्स पुल्ड कोटे" के अन्तर्गत मनीपुर अथवा और किसी राज्य को नालीदार जस्ती चादरों का कोई सामान्य आबंटन नहीं किया गया है क्योंकि प्रमुख उत्पादकों के पास पिछले बहुत से आर्डर बकाया थे। फिर भी 1966–67 में मनीपुर राज्य को 2500 टन नालीदार काली चादरों के लिए कोटा सर्टीफिकेट दिया गया है । प्रमुख उत्पादकों के पास मनीपुर राज्य के अक्तूबर, 1965 से मार्च, 1966 तक की अवधि के आर्डर पर 150 टन नालीदार जस्ते की चादर की सप्लाई को प्राथमिकता दी गई है चूंकि नालीदार जस्ती चादरों की बहुत कमी है । अतः राज्यों की मांगों की आंशिक पूर्ति ही की जा सकी है फिर भी जैसे और जब सम्भव होता है काली नालीदार चादर दी जाती हैं ।

उत्तर रेलवे के जन-सम्पर्क अधिकारी का कार्यालय

747. **श्री काजरोलकर :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के जन-सम्पर्क अधिकारी के कार्यालय में इस समय कितने कर्मचारी हैं और वर्ष 1964 और 1965 में इस कार्यालय पर कितना खर्च हुआ और वर्ष 1966 के लिये कितना खर्च मंजूर किया गया है ;

(ख) क्या इस अनुभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा भी उदासीनतापूर्ण उत्तर दिये जाने के सम्बन्ध में कोई शिकायतें मिली हैं; और

(ग) यदि हां, तो यात्रा करने वाली जनता की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये जन-सम्पर्क विभाग सम्बन्धी समूचे तंत्र को सुव्यवस्थित बनाने के लिये मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार किया है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) उत्तर रेलवे के व्यावसायिक प्रचार संगठन को मिला कर जन-सम्पर्क कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 85 है, जिनमें 4 अफसर शामिल हैं ।

इस कार्यालय में 1964-65 और 1965-66 में किये गये खर्च और 1966-67 के लिये

स्वीकृत खर्च का ब्यौरा इस प्रकार है :

	रुपये
1964-65 .	5,22,025.40
1965-66 .	6,15,425.83
1966-67 के लिए स्वीकृत खर्च	5,73,000.00

(ख) उत्तर रेलवे के जन-सम्पर्क कार्यालय के अधिकारियों द्वारा उत्तर देने में उदासीनता बरतने की कोई शिकायत नहीं मिली है। लेकिन, इस रेलवे के जन-सम्पर्क और व्यावसायिक प्रचार शाखाओं के सहायक अफसरों द्वारा अव्यावहारिक रवैया बरतने के बारे में 1962 से अब तक 4 शिकायतें मिली हैं।

(ग) इन मामलों में की गयी जांच पड़ताल से पता चला है कि दो शिकायतें मामूली बातों पर गलतफ़हमी के कारण की गयीं थीं, अन्य दो शिकायतों के बारे में जांच हो रही है।

रेलों पर जन-सम्पर्क संगठनों के महत्व को बराबर ध्यान में रखा गया है और रेलवे बोर्ड ने हाल में रेलवे के महत्वपूर्ण प्रधान कार्यालयों में वरिष्ठ अफसरों को नियुक्त करके जन-सम्पर्क कार्यालयों को सुदृढ़ किया है।

"ग" श्रेणी के गार्ड

748. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "ग" श्रेणी के गार्डों की उच्चतर वर्ग के पद पर पदोन्नति आम तौर पर 20 वर्ष से पहले नहीं की जाती और राजपत्रित पदों पर तो उनकी पदोन्नति बहुत ही कम होती है ; और

(ख) यदि हां, तो गार्डों के लिये इस समय पदोन्नति के जो अवसर उपलब्ध हैं उनका ब्यौरा क्या है और उन के लिये पदोन्नति के अवसरों को न बढ़ाने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) "सी" ग्रेड गार्डों को अगले ऊंचे ग्रेड में पदोन्नति पाने के लिये सामान्यतः 20 वर्ष नहीं लगते। गार्ड अपने वर्ग से राजपत्रित पदों पर पदोन्नति होने के पात्र नहीं हैं। उन के लिए परिवहन की अन्य कोटियों में पदोन्नति सारणि की व्यवस्था है जहां से वे राजपत्रित जगहों पर पदोन्नति पा सकते हैं।

(ख) विभिन्न भारतीय रेलों पर गार्डों की पदोन्नति की जो वर्तमान प्रणाली है वह संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—6575-60]। इस में संशोधन का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि इस से गार्डों को अपने वर्ग में और दूसरी परिचालन कोटियों में भी पदोन्नति के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं। सभी भारतीय रेलों पर गार्डों के लिए एक-सी सारणि निर्धारित करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

Trade with South Korea

749. Shri Bade :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an agreement has been signed between India and South Korea for expansion of trade between the two countries ;

(b) if so, when India would implement the agreement ; and

(c) the extent of gain expected thereby ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) to (c). A Trade Agreement between India and South Korea was concluded on the 29th April, 1964 and continues to be in force. Subsequent discussions also took place at New Delhi on the 11th and 12th April, 1966 with the Trade Delegation from the Republic of Korea on matters relating to expansion of trade between India and Republic of Korea. As a result of these discussions it is expected that trade between the two countries would increase substantially. A copy of the Agreed Summary Record of Discussions held with the Trade Delegation from the Republic of Korea which was signed on the 12th April, 1966 is enclosed. [*Placed in the Library. See No. LT-6576/66*].

ग्रमरीकी फर्मों द्वारा भारत में उद्योगों की स्थापना

750. श्री बसुमतारी :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चार ग्रमरीकी फर्मों ने दिल्ली में उद्योग स्थापित करने के लिये करार किया है ; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो वे कौन-कौन से फर्म हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) सरकार को कोई भी जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

इस्पात कारखाने में ग्रासाम के कोयले का प्रयोग

751. श्री बसुमतारी : श्री रवी रेणुका बड़कटकी :

क्या खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के इस्पात के कारखानों में ग्रासाम का कोयला प्रयोग किये जाने की सम्भावना पर विचार करने के लिये तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की गई है ;

(ख) क्या समिति ने कोई प्रतिवेदन दिया है ; ग्रौर

(ग) यदि हां, तो उसमें क्या सिफारिशें की गई हैं ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे०) : (क) हां, महोदय ।

(ख) नहीं, महोदय । कमेटी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में कुछ समय लगेगा ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भारत का आयात और निर्यात व्यापार

752. श्री हरि विष्णु कामत :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन के बन्दरगाहों में हुई नाविकों की हड़ताल का भारत के आयात और निर्यात व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक ;

(ग) क्या लाइसेंसाधारियों को प्रतिलाभ की सुविधायें अथवा रियायतें दी गई हैं, और

(घ) यदि हां, तो उनका स्वरूप क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख). ब्रिटेन से होने वाले भारत के आयात एवं निर्यात व्यापार पर प्रभाव अवश्य पड़ा होगा क्योंकि हड़ताल से ब्रिटेन के सम्पूर्ण आयात एवं निर्यात व्यापार पर प्रभाव पड़ा था । हड़ताल की अवधि के आयात एवं निर्यात के आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हुये हैं और यह अनुमान लगाना कठिन है कि ब्रिटेन के साथ हमारे व्यापार पर किस सीमा तक प्रभाव पड़ा है ।

(ग) तथा (घ). जी हां । आयात लाइसेंसों की वैधता जो हड़ताल की अवधि में समाप्त हो गई हो, 14 अगस्त, 1966 तक बढ़ा दी गई है।

गैर-सरकारी कोयला खानें

753. डा० श्रीनिवासन : क्या खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आजकल कितनी गैर-सरकारी कोयला खानें काम कर रही हैं तथा उनकी क्षमता कितनी है ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकारी कोयला खानों में काम करने वाले मजदूरों की तुलना में वहां काम करने वाले मजदूरों की वेतन-क्रम, सेवा की शर्तों और मकान सुविधाओं की स्थिति खराब है ;

(ग) यदि हां, तो उसमें सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) क्या कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण करने के बारे में कोई प्रस्ताव है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री नु० क० डे) : (क) इस समय निजी क्षेत्र में 758 कोयले की खानें चल रही हैं जिनका कुल उत्पादन 1965-66 में 541 मिलियन मीटरी टन था ।

(ख) तथा (ग) सरकारी तथा निजी क्षेत्र दोनों में काम करने वाले मजदूरों का वेतन-क्रम एवं कार्य घंटों का नियमन सम्बन्धित श्रम अधिनियम के आधीन है जो दोनों क्षेत्रों में समान रूप से लागू होते हैं । तथापि सरकारी क्षेत्र की खानों ने निजी क्षेत्र की अपेक्षा प्राय ज्यादा अच्छी आवास सुविधाएं दी हैं ।

(ख) नहीं ।

(ङ) निजी क्षेत्र के भाग लेने के बारे में सरकारी नीति औद्योगिक नीति संकल्प में उल्लिखित है। जहां कोयले के उत्पादन में सरकारी क्षेत्र अधिक भाग ले रहा है वहां निजी क्षेत्र की खानों को भी उत्पादन जारी रखने तथा बढ़ाने के अवसर दिए जा रहे हैं जिससे आवश्यक उद्योगों की कोयले की मांग को समुचित रूप से पूरा किया जा सके ।

सूरजमुखी के बीज के तेल का आयात

754. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने सोवियत संघ के साथ 10,000 टन सूरजमुखी के बीज के तेल के आयात के लिये कोई समझौता किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की शर्तें क्या हैं तथा मूल्य का भुगतान किस रूप में किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) संविदा की मुख्य शर्तों में जून के अंत/जुलाई, 1966 के पूर्वार्द्ध में जहाजों द्वारा 10,000 मी० टन सूरजमुखी के बीज के तेल के संभरण की व्यवस्था है, जिसका मूल्य दो भारतीय पत्तनों पर बीमा भाड़ा सहित शोक में लगभग 240 रूबल प्रति मी० टन है ; भुगतान भारतीय रुपये में किया जा रहा है ।

(ग) स उद्योग के प्रमुख कच्चे माल मूंगफली के तेल की घटी हुई उपलब्धि की पूर्ति के लिये (1965–66 में मूंगफली के उत्पादन में 25–30 प्रतिशत की कमी के परिणामस्वरूप) 9,000 मी० टन तेल वनस्पति के उत्पादन में इस्तेमाल किया जायेगा । 1,000 मी० टन तेल महाराष्ट्र सरकार को देने का लक्ष्य रखा गया है ताकि उस राज्य में खाद्य तेल की कमी में कुछ राहत मिल सके ।

धातुओं का आयात

755. **श्री शिवमूर्ति स्वामी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 में धातुओं तथा जस्ते की चादरों के आयात के लिये कितने लाइसेंस दिये गये ;

(ख) इनमें वास्तविक उपभोक्ताओं तथा केवल आयातकर्ताओं को क्रमश: कितने कितने लाइसेंस दिये गये ; और

(ग) देश में छोटे तथा मध्यम उद्योगों का विकास करने के हेतु सरकार का आयात नीति को उदार बनाने के बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) 1965-66 में दिए गए आयात लाइसेंसों की संख्या इस प्रकार है :—

धातुएं (अलौह) .	2549 सं०
जस्ता की चादरें . .	96 सं०

(ख) वर्गवार विभाजन इस प्रकार है :—

वर्ग	भातु (अबीह) सं०	जस्ता की चादरें सं०
वास्तविक उपभोक्ता	1110	30
अन्य	1439	6
कुल योग . . .	2549	36

(ग) अनुसूचित तथा गैर-अनुसूचित क्षेत्रों के, जिनमें छोटे पैमाने के उद्योग भी शामिल हैं, वास्तविक उपभोक्ताओं के लिये कच्चे मालों, संघटकों तथा अतिरिक्त पुर्जों के आयात को उदार करने की नीति हाल ही में सरकार द्वारा विभिन्न सार्वजनिक सूचनाओं तथा आयात व्यापार नियंत्रण आदेशों द्वारा घोषित की जा चुकी है ।

गोला-गरी (कोप्रा) का आयात

756. **श्री वारियर :** **श्री प्रभात कार :**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोला-गरी का आयात उदार किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो 1966-67 में कितना आयात करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) केरल जैसे नारियल पैदा करने वाले राज्यों में नारियल के मूल्य पर इस आयात का क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) एक करोड़ ० को गोला-गरी आयात करने का एक लाइसेंस जारी किया गया है । परिस्थिति के अनुसार आवश्यक होने पर और भी आयात करने का अधिकार दिया जा सकता है ।

(ग) नारियल पैदा करने वाले राज्यों, जोकि गोला-गरी के अच्छे मूल्य पा रहे हैं, पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है । गत 5 वर्षों में गोला-गरी का वार्षिक आयात 6 करोड़ रु० से अधिक रहा है ।

डी० बी० के० रेलवे परियोजना

757. **श्री प्रभात कार :** **श्री वासुदेवन नायर :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने डी० बी० के० रेलवे परियोजना के कर्मचारियों को आश्वासन दिया था कि उनकी छटनी नहीं की जायेगी तथा उन्हें स्थायी रूप से रख लिया जायेगा ;

(ख) क्या पहले आश्वासनों के विपरीत इनमें से कुछ कर्मचारियों की दिसम्बर, 1965 में छंटनी कर दी गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) परियोजना की आवश्यकता से फालतू होने के कारण कुछ कर्मचारियों को नौकरी से हटाना पड़ा।

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में भूमि स्खलन (लैंड स्लिप्स)

758. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1966 में भूमि-स्खलन के कारण पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के बदरपुर-लमडिंग सैक्शन पर रेलगाड़ियां कितने दिन के लिये बन्द रखी गईं ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यह रेलव लाइन शेष आसाम के साथ कछार और त्रिपुरा का एकमात्र संचार सम्पर्क है ; और

(ग) क्या इस लाइन के सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार इस लाइन का विकास करने का है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) लमडिंग-बदरपुर पहाड़ी खंड में कई जगहों पर जमीन और पत्थरों के खिसकने और किनारों के धंसने के कारण इस खंड पर 18 दिनों के लिए गाड़ियों का आना-जाना बन्द रहा।

(ख) जी नहीं। त्रिपुरा और कचार रेलवे लाइन के अलावा सड़क और हवाई मार्ग के ज़रिये भी आसाम के शेष भाग से जुड़े हुए हैं। फिर भी, सरकार त्रिपुरा और कचार और आसाम के शेष भाग के बीच संचार के महत्वपूर्ण सम्पर्क के रूप में इस रेलवे लाइन के महत्व को स्वीकार करती हैं।

(ग) पूर्वोत्तर सीमा रेल प्रशासन गाड़ियों का सामान्य रूप से चलना जल्दी से जल्दी शुरू करने के लिए अस्थायी रूप से मरम्मत का काम कर रहा है। उसके बाद ज्यों ही समुचित सर्वेक्षण और आवश्यकताओं के अध्ययन करने का काम पूरा हो जायेगा, स्थायी मरम्मत के काम भी शुरू कर दिये जायेंगे।

रायचूर-पूना रेलगाड़ी का लूटा जाना

759. **श्री मोहन स्वरूप** :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री राम हरख यादव :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 24 जून, 1966 को रायचूर स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने रायचूर-पूना जाती गाड़ी पर हमला किया था तथा उसे लूटा था ;

(ख) यदि हां, तो इसमें कुल कितने व्यक्ति घायल हुए और कुल कितनी रेलवे सम्पत्ति की हानि हुई ; और

(ग) आन्दोलनकारियों की ऐसी कार्यवाहियों से रेलगाड़ियों की सुरक्षा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई थी ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां, लेकिन यह दुर्घटना रायचूर रेलवे स्टेशन के पास कि० मी० 710/11 पर डाउन बाहरी सिगनल के पास हुई।

(ख) कोई घायल नहीं हुआ। पत्थर फेंकने से गाड़ी की 15 खिड़कियों के पल्लों को नुकसान पहुंचा।

(ग) पुलिस ने स्थिति पर काबू पा लिया। उसने भीड़ को तितर बितर कर दिया और गाड़ी का आगे चलना जारी रहा।

भिलाखेडी स्टेशन यार्ड

768. श्री हरि विष्णु कामत : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाखेडी स्टेशन यार्ड के, जिसे इटारसी का नया यार्ड भी कहा जाता है क्रमबद्ध निर्माण तथा उसे पूरा करने के लिये कोई योजना की गई है और उसे अन्तिम रूप दे दिया गया है, और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ): (क) जी हां। इटारसी (भीलाखेड़ी) में एक नये मार्शलिंग यार्ड की व्यवस्था करने के लिए मास्टर प्लान बनाया गया है और निर्माण-कार्य चरणों में किया जा रहा है।

(ख) निर्माण-कार्य तीन चरणों में किया जा रहा है और उसका ब्यौरा साथ के बयान में दिया गया है।

विवरण

(i) नये इटारसी यार्ड परियोजना का चरण I

इस चरण के अन्तर्गत आठ आदान लाइनें, ग्यारह मार्शलिंग लाइनें, चार ग्रिड लाइनें, चार प्रस्थान लाइनें, एक चालू लाइन (इंजन लाइन), एक यानान्तरण प्लेटफार्म और मरम्मत साइडिंग की व्यवस्था करने का विचार किया गया था। यह काम, जिसकी मंजूरी 67 लाख रुपये की लागत पर अप्रैल, 1960 में दी गयी थी, पूरा हो चुका है और सुविधाओं का लाभ उठाया जा रहा है। चरण I का काम करते समय, इटारसी में मार्शलिंग यार्ड से सम्बद्ध एक नया भाप इंजन शेड भी लगभग 19 लाख रुपये की लागत से बनाया गया था।

(ii) नये इटारसी यार्ड के ढांचे में परिवर्तन का चरण II

इस चरण में एक आदान लाइन, चार प्रस्थान लाइनें और एक यानान्तरण प्लेटफार्म बनाने का काम शामिल था। इस काम की लगभग 17 लाख, रुपये की लागत से पूरा करने की मंजूरी दी गयी थी। यह काम भी पूरा हो चुका है और सुविधाओं का लाभ उठाया जा रहा है।

(iii) यार्ड के ढांचे में परिवर्तन का चरण III

इस चरण में लगभग 37 लाख रुपये की लागत से छः मार्शलिंग लाइनें, एक प्रस्थान लाइन और एक अतिरिक्त इंजन लाइन को बनाने की मंजूरी दी गयी थी। काम चालू है और अब तक कुल

मिलाकर 60 प्रतिशत काम हो चुका है। यह काम अक्टूबर, 1967 तक पूरा होना है।

उपर्युक्त काम के अलावा, इटारसी में लगभग 95 लाख रुपये की लागत से एक डीजल शेड भी बनाया जा रहा है। अब तक इस शेड का लगभग 40 प्रतिशत काम हो चुका है और जून, 1967 तक काम पूरा करने का कार्यक्रम है।

उपभोक्ता उद्योग

761. **श्री पें० वेंकटासुब्बैया :**
श्री स्वीन्द्र वर्मा :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चयनात्मक उपभोक्ता उद्योगों में सरकार का विचार रूस से पूंजी लगवाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नेपाल के साथ व्यापार

762. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन के साथ नेपाल के व्यापार में हाल में बहुत कमी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) चीन के साथ नेपाल के घटते हुए व्यापार को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नेपाल के साथ अपना व्यापार बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) हमारे पास कोई सूचना नहीं है।

(ख) तथा (ग) : नेपाल के साथ हमारा व्यापार संतोषजनक रूप से चल रहा है।

नागपुर में रेल डिब्बे

763. **श्री बालकृष्ण वासनिक** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ दिनों में नागपुर में रेलवे डिब्बों के खराब होने के मामले बढ़ गये बताये जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या अब स्थिति सुधर गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (ठा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) सवाल नहीं उठता।

क्रौलर ट्रैक्टर

764. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्ष की अवधि में क्रौलर ट्रैक्टरों की खरीद पर कितनी अवधि (फी) विदेशी

मुद्रा तथा विदेशी ऋणों से प्राप्त धनराशि खर्च की गई ; और

(ख) विदेशी मुद्रा के सीमित संसाधन होने पर भी विदेशी मुद्रा की जो भारी राशि खर्च हो रही है उसे बचाने के लिये उक्त अवधि में देश के भीतर एक संयंत्र स्थापित करने तथा देश में ही इस किस्म के ट्रैक्टरों के निर्माण के सम्बन्ध में यदि कोई कार्यवाही की गई थी तो क्या ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया): (क) सम्भरण तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा की गई खरीद के बारे में जानकारी तत्काल उपलब्ध है। पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा पिछले तीन वर्षों में विदेशी ऋण से लगभग 10.13 करोड़ रु० के मूल्य के 582 क्रालर ट्रैक्टर खरीदे गये थे। अवधि में एजेंन्सी द्वारा निर्बाध विदेशी मुद्रा से कोई भी क्रालर ट्रैक्टर नहीं खरीदा गया ।

(ख) रक्षा क्षेत्र में क्रालर ट्रैक्टरों का पहले से ही निर्माण हो रहा है। गैर सरकारी क्षेत्र में 240 क्रालर ट्रैक्टर प्रति वर्ष बनाने के लिए इस वर्ष अप्रैल में एक फर्म को भी लाइसेंस दे दिया गया है। इसके अलावा हल्के किस्म के क्रालर ट्रैक्टरों का निर्माण करने के लिए प्राइवेट फर्मों से प्राप्त दो योजनाओं पर अभी विचार किया जा रहा है।

तीन शायिका वाले तीसरी श्रेणी के शयन डिब्बे

765. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** :क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि दरभंगा होते हुए पलेजाघाट और नरकटियागंज के बीच तीन शायिका वाले तीसरी श्रेंणी के शयन डिब्बों की व्यवस्था करने की संभावना है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): नरकटियागंज और पलेजाघाट के बीच दरभंगा होते हुए तीसरे दर्जे का एक शयनयान चलाने के प्रश्न पर तभी विचार किया जायेगा जब अधिक शयन यान बन कर उपलब्ध हो जायेंगे और अधिक दूर आने जाने वाली गाड़ियों की आवश्यकताएं पूरी हो जायेंगी।

तीसरे दर्जे के शयनयान बनाने का काम निश्चित कार्यक्रम के आधार पर किया जा रहा है। आशा है कि चौथी योजना के अन्त तक उन सभी गाड़ियों में जिनमें रात में सफर करना पड़ता है, सोने के लिए स्थान की व्यवस्था कर दी जायेगी।

कोयला खान मालिकों की समस्यायें

766. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या कोयला खान मालिकों ने कोयला उद्योग को पेश आने वाली विभिन्न समस्याओं के बारे में धनबाद में उपमंत्री जी को संक्षेप में बताया था ;

(ख) यदि हां, तो इन समस्याओं का ब्योरा क्या है ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) हां, महोदय।

(ख) और (ग) कोयला खानों के स्वामियों द्वारा विभिन्न बातें तथा सुझाव दिए गए थे। भविष्य में कोयला कार्यक्रमों के निर्धारण के समय उन पर ध्यान रखा जाता है।

ढके हुए माल गाड़ी के डिब्बे (बाक्स वैगन)

767. **श्री हिम्मत सिंह का:** **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री रामेश्वर टांटिया : **श्री सुबोध हंसदा :**

क्या **रेलवे** मंत्री 13 मई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5624 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कौन-कौन से कांटे (वे ब्रिज) हैं, जहां ढके हुए मालगाड़ी के डिब्बों का चलते हुए वजन अचल काटों पर किया जाता है ;

(ख) चलते हुए डिब्बों का वजन करने के लिये बनाये गये कांटे (वे ब्रिज) उक्त डिपों में क्यों नहीं लगाये गये हैं ;

(ग) वजन करने में जो अंतर हो जाता है उसके बारे में पता लगाने तथा उसके कारणों को दूर करने के तरीके निकालने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) क्या उसी स्थान पर निरीक्षण करने और इंजीनियरों के सलाहकारों तथा कोयले की सप्लाई करने वाले लोगों से सलाह-मशविरा करने के लिये एक अध्ययन दल बनाने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) चलते हुए माल-डिब्बों का वजन लेने वाली अब ऐसी कोई चौकी तुला नहीं है जो चलते हुए माल डिब्बों का वजन न बता सके। जहां कहीं भी ऐसी चौकी तुलाएं मौजूद थीं उनमें आवश्यक समंजन कर दिया गया है ताकि उन पर चलते हुए मालडिब्बों का वजन लिया जा सके।

(ग) यदि चौकी तुला पर मालडिब्बों की चाल प्रति घंटा 3 किलोमीटर से अधिक न हो, तो दर्ज किये गये वजन में कोई गलती नहीं होती। इस संबंध में रेल प्रशासनों द्वारा कड़े अनुदेश जारी किये गये हैं कि चौकी तुला पर वजन लेते समय मालडिब्बों की चाल प्रति घंटा 3 कि० मी० से अधिक न हो।

(घ) जी नहीं।

ताशों का आयात

768. **श्री त्यागी :** **श्री ललित सेन :**
श्री रघुनाथसिंह :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले पांच वर्षों में भारत में कितने मूल्य के (पयों में) ताशों का आयात किया गया ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : ताशों के आयात पर पाबन्दी लगी हुई है। 1961–62 से 1965 -66 तक के पांच वर्षों में "जब्त निषिद्ध एवं तस्करी माल" के रूप में ताशों के अवैध तस्कर आयात का कुल मूल्य 34,000 पये है।

आंध्र प्रदेश में तांबे के निक्षेप

769. **श्री म० ना० स्वामी :** क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में अग्निगुंडाला में जांच गर्तों (ट्रायल पिट्स) में तांबे

के कोई निक्षेप पाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनमें तांबे का अंश कितने प्रतिशत है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) हां, महोदय।

(ख) अयस्क में 1.5 से 2 प्रतिशत तक तांबे की मात्रा है।

रेलगाड़ियों में स्कूल (स्कूल्स आन व्हील्स) सम्बन्धी प्रस्ताव

770. **डा० महादेव प्रसाद** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिये रेलगाड़ियों में स्कूल चलाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस प्रस्ताव के वित्तीय पहलू क्या हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) इनका ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

आयात की जाने वाली वस्तुओं का देश में उत्पादन (इम्पोर्ट सब्स्टीच्यूशन)

771. **डा० महादेव प्रसाद** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात की जाने वाली वस्तुओं के देश में उत्पादन के संबर्द्धन के लिय एक बोर्ड स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) (क) और (ख) : आयात के स्थान पर प्रयक्त होने वाली वस्तुओं के संबंध में व्यवहारिक विचार प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों को पुरस्कार देने की एक योजना विचाराधीन है। इस योजना को चलाने के लिए एक बोर्ड नियक्त करने का विचार है जिसमें अधिकारी तथा गैर-अधिकारी दोनों वर्ग के व्यक्ति होंगे। इसका और विस्तृत ब्यौरा अभी तैयार किया जा रहा है।

कुर्ला जाने वाली गाड़ी

772. **डा० महादेव प्रसाद** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या यह सच है कि गत 22 जून की सुबह मध्य रेलवे की कुर्ला जाने वाली गाड़ी के अगले चार डिब्बे शेष गाड़ी से काट दिये गये ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) कुर्ला से बम्बई वी० टी० जाने वाली (न कि कुर्ला जाने वाली) गाड़ी नं० सी-12 अप लोकल के डिब्बे अलग हो गये थे।

(ख) डिब्बे यांत्रिक उपस्कर की खराबी के कारण अलग हो गये थे।

रेलवे यात्रियों के लिये बीमा योजना

773. **डा० महादेव प्रसाद :**
श्री प्र० रं चक्रवर्ती :
श्री सिंग रेड्डी :
श्री हरिविष्णु कामत :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी एकता समिति ने रेलवे यात्रियों के लिय बीमा योजना की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

प्राथमिकता वाले उद्योगों के लिये आयात लाइसेंस

774. **श्री द्वारका दास मंत्री :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह निर्णय किया गया है कि प्राथमिकता वाले उद्योगों की सारी आवश्यकता को पूरा करने के लिये आयात लाइसेंस दिये जायेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो इसमें कौन कौन से उद्योग शामिल किये जायेंगे ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनु भाई शाह): (क) जी, हां । प्राथमिकता वाले उद्योगों को आयात लाइसेंस उदारता से दिये जाने लगे हैं ।

(ख) प्राथमिकता वाले उद्योगों की एक सूची संलग्न है ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस० टी०—6577/66]

निवेली में नाइट्रो-फास्फेट का उत्पादन

775. **श्री सेझियान :** क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निवेली में नाइट्रो फास्फेट का उत्पादन करने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो कितना उत्पादन करने का विचार है और इस काम के लिये कितने राक-फास्फेट का आयात करने की आवश्यकता होगी ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) नहीं, महोदय ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कपड़े, रासायनिक पदार्थ तथा औषधियों का निर्यात

776. **श्री काजरोलकर :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूती कपड़े, रासायनिक पदार्थों, औषधियों तथा इंजीनियरी सामान के निर्यात पर भारतीय रुपये के अवमूल्यन से विपरीत प्रभाव पड़ा है क्योंकि आयात योजनाएं वापिस ले ली गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या अवमूल्यन के परिणामस्वरूप हुए प्रतिकूल प्रभाव को दूर करने के लिये सरकार किन्हीं योजनाओं पर विचार कर रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : यह सत्य है कि भारतीय रुपये के अवमूल्यन से सूती कपड़े, रासायनिक पदार्थों, औषधियों और इंजीनियरी सामान आदि पर बुरा प्रभाव पड़ा है क्योंकि आयात हकदारी की योजनाएं वापस ले ली गयी हैं।

(ख) इन सभी वस्तुओं के निर्यात में सहायता करने के लिये कुछ उपायों पर सरकार विचार कर रही है।

काफी विकास निधि

778. **श्री वासप्पा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय काफी बोर्ड अथवा उसके प्रधान ने दो विशेष विधियां अर्थात् मूल्य स्थिरीकरण निधि और काफी विकास निधि, स्थापित करने का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां। काफी बोर्ड के अध्यक्ष ने 29 जून, 1966 की हुई बोर्ड की बैठक में अपने अभिभाषण में ये सुझाव दिये थे। काफी बोर्ड द्वारा विस्तृत योजनाएं तैयार की जा रही हैं

(ख) कीमत स्थिरीकरण निधि काफी उत्पादकों के लिये बाजारी कीमतों के बावजूद कुछ निम्नतम प्रतिफल सुनिश्चित करेगी। काफी विकास निधि से एक विशेष निधि की स्थापना की जायेगी जिसका उपयोग काफी बागान उद्योग के विकास की विभिन्न योजनाओं के वित्तपोषण के लिये किया जायगा

मैसूर में रेशम कीट पालन उद्योग

779. **श्री वासप्पा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से मैसूर के वर्तमान रेशम कीट पालन उद्योग के विकास के लिये कोई सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सहायता मांगी गई है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी :) : (क) जी, हां

(ख) 1966–67 के दौरान मैसूर राज्य में रेशम कीट पालन के विकास के लिए आवंटित की गई 17 लाख रु० की केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त मैसूर सरकार ने मैसूर राज्य रेशम विपणन सहकारी सोसायटी लि० बंगलौर को 20 लाख रु० का ऋण कार्यकर पूंजी के रूप में मंजूर करने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड से बातचीत की थी। बोर्ड ने हाल ही में सिफारिश की है कि सोसायटी को सरकार की मार्फत ऋण की मंजूरी दी जाय।

(ग) प्रस्ताव जोकि सरकार को 19 जुलाई, 1966 को प्राप्त हुआ था, विचाराधीन है।

रेशम कीट पालन उद्योग को प्रशुल्क सम्बन्धी संरक्षण

780. **श्री बासप्पा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के रेशम कीट पालन उद्योग के लिये प्रशुल्क सम्बन्धी संरक्षण जारी रखने के प्रश्न पर विचार किया है ;

(ख) क्या सरकार को केन्द्रीय रेशम बोर्ड से इस बारे में कोई सिफारिश प्राप्त हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 31 दिसम्बर, 1966 के बाद रेशम कीट पालन उद्योग के लिए प्रशुल्क संबन्धी संरक्षण जारी रखने का प्रश्न अभी प्रशुल्क आयोग के विचाराधीन है ।

(ख) केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने प्रशुल्क आयोग को एक विस्तृत ज्ञापन भेजा है जिस में रेशम कीट पालन उद्योग के संरक्षण को 1 जनवरी, 1966 से 5 वर्ष की अतिरिक्त अवधि तक जारी रखने का अनुरोध किया है ।

(ग) इस के लिए प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ।

Man run over by Train at Nizamuddin Station

781. **Shri Bade** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a person was run over at Nizamuddin Railway station as reported in the 'Hindustan' dated the 3rd July, 1966 ;

(b) if so, the name of the place to which that person belonged ;

(c) the cause of the accident ; and

(d) the help given by Government to the family of that person ?

Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) Yes.

(b) Not known.

(c) It appears to be a case of suicide.

(d) Does not arise.

Accident at Lucknow Railway Station

782. **Shri Bade** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an engine met with an accident at Lucknow Railway Station as reported in the 'Vir Arjun' dated the 2nd July, 1966 ;

(b) whether it is also a fact that a bogie adjacent to the engine was also damaged ;

(c) if so, the causes of the accident ; and

(d) the loss of life and property suffered as a result thereof ?

Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) Yes, an engine met with an accident at Lucknow Station of the Northern Railway on 30-6-1966.

(b) Yes.

(c) The accident was due to the failure of railway staff.

(d) There was no loss of life.

The cost of damage to railway property was estimated at approximately Rs. 4,000/-.

Falling of Passenger from Indore-Bilaspur Express

783. **Shri Bade :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a passenger was killed after he had fallen from Indore-Bilaspur Express train at Salaia Railway Station on the Katni Damoh Section as reported in the Hindustan dated the 29th June, 1966 ;

(b) if so, the cause of the accident ; and

(c) the relief provided by Government to the bereaved family ?

Deputy Minister for Railways (Shri Sham Nath) : (a) No.

(b) & (c) Do not arise.

पेटेंट (एकस्व)

784. **श्री शिवमूर्ति स्वामी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में भारतीय रेलों के कर्मचारियों ने कितने पेटेंटों के लिये अर्जी दी है और उनका संक्षिप्त ब्यौरा क्या है तथा उन पेटेंटों के आविष्कर्ताओं के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक पेटेंट से क्या क्या लाभ होने का दावा किया गया है ;

(ख) उक्त पेटेंटों में से कितने पेटेंटों को रेलवे मंत्रालय ने अपने उपयोग के लियें अथवा उनका वाणिज्यिक लाभ उठाने के लिये स्वीकार किया है ;

(ग) रेलवे अथवा व्यापार और उद्योग के लाभार्थ इनमें से प्रत्येक पेटेंट का तथा उसको प्रयोग में लाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) रेलवे के प्रति तथा देश की अन्य सेवाओं के प्रति आविष्कर्ताओं द्वारा किये गये आविष्कारों की सराहना करने के लिये उन को क्या पारितोषक अथवा धन के रूप में पुरस्कार दिये गये हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (घ) सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

भारतीय रेलवे के मैकेनिकल विभाग में राजपत्रित पद

785. **श्री शिवमूर्ति स्वामी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलवे के मेकेनिकल विभाग में प्रशासनिक तथा गैर-प्रशासनिक राजपत्रित पदों के बीच अनुपात 1938-39 में लगभग 1:6 से बढ़कर 1945-46 में 1:6.5 और 1964-65 में 1:13 हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) और (ख) भारतीय रेलों पर प्रशासनिक ग्रेड और गैर-प्रशासनिक ग्रेड के राजपत्रित पदों की मंजूरी कार्य भार की महत्ता के आधार पर दी जाती है, न कि प्रशासनिक ग्रेड और गैर-प्रशासनिक ग्रेड के राजपत्रित पदों के अनुपात के आधार पर। फिर भी, यांत्रिक विभाग में प्रशासनिक ग्रेड और गैर-प्रशासनिक ग्रेड के राजपत्रित पदों का अनुपात दिसम्बर, 1939 में लगभग 1:9·1, जून, 1946 में 1:7·9 और सितम्बर 1965 में 1:11·9 था ।

प्रशासनिक और गैर-प्रशासनिक राजपत्रित पदों का अनुपात

786. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड आर० डी० एस० ओ० तथा रेलवे निर्माण परियोजनाओं में प्रशासनिक राजपत्रित पदों तथा गैर-प्रशासनिक राजपत्रित पदों का अनुपात 1:6 ही चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इतना अधिक अनुपात रखने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) इस समय रेलवे बोर्ड अनुसन्धान अभिकल्प और मानक संगठन तथा तीन निर्माण कारखानों अर्थात् चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना, डीजल रेल इंजन कारखाना और सवारी डिब्बा कारखाने में राजपत्रित प्रशासनिक ग्रेड की जगहों का राजपत्रित गैर-प्रशासनिक ग्रेड की जगहों से अनुपात इस प्रकार है:—

रेलवे बोर्ड	1:4·3
अनुसन्धान अभिकल्प और मानक संगठन	1:6·6
तीन निर्माण कारखाने	1:9

(ख) और (ग) प्रशासनिक हित को देखते हुए समुचित ग्रेड में जगहों की मंजूरी दी जाती है और हमेशा यह नीति रही है कि नयी जगहों खासतौर पर ऊंचे ग्रेड की नयी जगहों की मंजूरी तब तक न दी जाय जब तक यह सिद्ध न हो जाये कि उनकी आवश्यकता अनिवार्य है ।

हाइड्रालिक टंग कन्वर्टर का पेटेंट

787. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने नये किस्म के 'हाइड्रालिक टंग कन्वर्टर' का पेटेंट लिया है जिसके बारे में यह दावा किया जाता है कि वह सूरी ट्रांसमिशन समेत सभी वर्तमान डिजाइनों से कार्यकुशलता के विषय ये बढ़िया है;

(ख) आविष्कर्ता ने इसके बारे में क्या निश्चित दावा किया है;

(ग) इस पेटेंट का भारतीय रेलों में प्रयोग करने के हेतु इसका विकास करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) उक्त ट्रांसमिशन के साथ पहला प्रोटोटाइप इंजन कब तैयार होगा ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां । यह पेटेंट राष्ट्रीय अनुसन्धान विकास निगम के पास है । सूरी ट्रांसमिशन सहित वर्तमान डिजाइन के टार्क कन्वर्टरों से इसके बेहतर होने का कोई खास दावा नहीं किया गया है ।

(ख) इंडियन पेटेंट अप्लीकेशन के अनुसार संक्षेप में दावे इस प्रकार हैं:—

(1) यह आविष्कार एक ऐसी जल-यांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें प्रथम चालक (जैसे कि भीतरी दहन इंजन) के अन्तर्गामी धुरे का टार्क निर्गत धुरे की रफ्तार द्वारा स्वत: निर्धारित परिवर्ती अनुपात के अनुसार दो रास्तों में विभक्त हो जाता है और अन्त में ज़ीरो रफ्तार से विशिष्ट रफ्तार तक लगातार परिवर्ती टार्क के रूप में निर्गत धुरे के संभरण के लिए समाकलित हो जाता है ।

(2) जल-यांत्रिक प्रक्रिया में दो रास्तों से गुज़रने वाले विभक्त टार्क के समाकलक के रूप में या दो रास्तों के बीच अन्तर्गामी टार्क के विभाजक के रूप में हांइड्रो-डायनमिक कन्वर्टर का प्रक्रिया में उसकी स्थिति के अनुसार प्रयोग किया जा सकता है।

(3) निर्गत धुरे की रफ्तार विशिष्ट रफ्तार से बढ़ जाने का प्रक्रिया पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ग) कोई नहीं। आविष्कर्ता ने आविष्कार को मूर्त रूप देने के लिए अभी अपनी कल्पना का विकास नहीं किया है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए अभी से यह बताना संभव नहीं है कि पहले प्रोटोटाइप रेल इंजन का डिजाइन तैयार करके कब तक उसका निर्माण किया जा सकेगा।

रेलवे कर्मचारियों को रियायतें

788. **श्री बड़े :**
श्री काशीराम गुप्त :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-रिवाड़ी-फाजिल्का सैक्शन पर यात्रा करने वाले रेलवे कर्मचारियों को दी जाने वाली माहवारी सीज़न टिकट की रियायत अब बन्द कर दी गई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह रियायत सर्वधारण को दिये जाने वाले माहवारी सीज़न टिकट के दर की एक तिहाई के बराबर थी; और

(ग) क्या दिल्ली के सभी अन्य सैक्शनों के कर्मचारियों को यह रियायत दी जा रही है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां। कुछ खंडों पर मासिक सीज़न टिकट की लागत का 1/4 तक रियायत दी जाती है।

सहारनपुर रेवले स्टेशन के निकट शास्त्री फार्म

789. **डा० श्रीनिवासन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सहारनपुर रेलवे स्टेशन के निकट बंजर भूमि में रेलवे कर्मचारियों द्वारा अनाज उगाये जाने के लिये "शास्त्री फार्म" नामक एक फार्म खोला गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस फार्म के लिये इंजन ओवरहैड टैंक से उस पानी को उपयोग में लाने की अनुमति कुछ रेलवे अधिकारियों द्वारा नहीं दी गई जो गन्दे नाले में जा रहा था; और

(ग) यदि हां तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

मैसूर राज्य में रेलवे लाइनें

790. **श्री लिंग रेड्डी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य सरकार ने क्रियान्विति हेतु रेलवे कार्यक्रम में सम्मिलित किये जाने के लिये प्राथमिकतावार किन-किन रेलवे लाईनों को बिछाने के लिये नवीनतम सिफारिश की है;

(ख) मैसूर राज्य में तीसरी पंचवर्षीय योजना में अब तक रेलवे लाइनें बिछाने के मामले में कितनी प्रगति हुई है तथा उन की अनुमानत: कितनी लागत है और उन पर कितना धन खर्च किया गया है; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में उस राज्य के लिये रेलवे का क्या कार्यक्रम है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम शाम नाथ) : (क) मैसूर सरकार ने रेलवे की चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए नीचे लिखी नयी लाइनें बनाने और लाइनों का आमाप परिवर्तन करने के सुझाव दिये हैं:—

(i) होसपेट-हुबली-मार्मुगोआ मीटर लाइन खण्ड को बड़ी लाइन में बदलना

(ii) हुबली-कारणार नयी बड़ी लाइन

(iii) कोट्टूर-हरिहर लाइन

(iv) शिमोगा भद्रावती और चिकमगलू के रास्ते हरिहर-मूदाबिदरी

(v) तालगुप्पा—सिरसी-कारवार

(vi) गडैग-बाड़ी

(vii) चामराजनगर-सत्यमंगलम्-कोयम्बत्तूर

(viii) गुन्तकल्लु-बेंगलूरु मीटर लाइन खण्ड को बड़ी लाइन में बदलना ।

लेकिन राज्य सरकार ने इनके सम्बन्ध में किसी तरह की अग्रता का उल्लेख नहीं किया है ।

(ख) तीसरी योजना में क्रमश: 8.50 करोड़ और 23.74 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बेंगलूरु—सेलम मीटर लाइन (230 किलोमीटर) और मंगलूर-हसन मीटर लाइन (215 किलोमीटर) का निर्माण शुरू किया गया था । मार्च, 1966 के अन्त तक इन पर क्रमश: लगभग 6 करोड़ और 2.71 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं । जून 1966 के अन्त तक इन दोनों नयी लाइनों पर कुल मिलाकर क्रमश: 61% और 10% काम हो चुका है ।

(ग) चौथी योजना के लिए नयी लाइनों के सुझावों को योजना आयोग की सलाह से अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

उत्तर रेलवे द्वारा सामान की खरीद

791. **श्री राज बेव सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे की स्टोर शाखा प्रतिदिन कितने मूल्य का सामान खरीदती है; और

(ख) ये आंकड़े विभिन्न क्षेत्रीय रेलों के तत्समान आंकड़ों की तुलना में कैसे हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 2920 रुपये ।

(ख) दूसरी क्षेत्रीय रेलों के तुलनात्मक आंकड़े इस प्रकार हैं:—

	रुपये
मध्य	3,901
पूर्व	3,304
पूर्वोत्तर	3,438
पूर्वोत्तर सीमा	1,463
दक्षिण	3,081
दक्षिण-पूर्व	2,800
पश्चिम	4,500

रेलवे के सामान की खरीद

792 श्री राजदेव सिंह : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के विभिन्न स्टोर डिपो प्रतिदिन कितने मूल्य का सामान खरीदते हैं; और

(ख) ये आंकड़े विभिन्न अन्य क्षेत्रीय रेलों के आंकड़ों की तुलना में कैसे हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 160 पये।

(ख) दूसरी क्षेत्रीय रेलों के तुलनात्मक आंकड़े इस प्रकार हैं:—

	पये
मध्य	232
पूर्व	142
पूर्वोत्तर	डिपो द्वारा कोई खरीद नहीं की जाती।
पूर्वोत्तर सीमा	लगभग 10
दक्षिण	19
दक्षिण पूर्व	डिपो द्वारा कोई खरीद नहीं की जाती।
पश्चिम	335

घाटकोपर स्टेशन पर घटना

793 **श्री सोनावने** :
श्री रा० बरूआ :
श्रीमती मेमुना सुल्तान :
श्री राम हरख यादव :
श्री विश्व नाथ पाण्डेय :
श्री डिगे :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 5 जुलाई, 1966 को मध्य रेलवे पर बम्बई में घाटकोपर रेलवे स्टेशन पर यात्रा करने वाले लोगों ने तथा एकत्रित भीड़ ने स्थानीय गाड़ियों को रोक लिया, टिकट घर को

जला दिया और कुछ रेलवे सम्पत्ति को नष्ट कर दिया क्योंकि उन्हें यह गलतफहमी हो गई थी कि तीसरी रेल दुर्घटना होने वाली थी परन्तु दुर्घटना टल गई; और

(ख) यदि हां, तो इस घटना का विवरण क्या है और इसके क्या कारण थे ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) 5-7-1966 को लगभग 10.10 बजे जी० 4 अप लोकल गाड़ी (घाटकोपर से बम्बई वी०टी० तक) घाटकोपर स्टेशन के प्लेटफार्म नं० 1 से रवाना होकर अप लाइन पर जा रही थी जबकि थाना जाने वाली लोकल गाड़ी नं० टी० 39 डाउन घाटकोपर स्टेशन पर पहुंच रही थी। बताया जाता है कि घाटकोपर स्टेशन का डाउन स्वचल सिगनल उस समय लाल बत्ती दिखा रहा था क्योंकि उस समय नं० जी 4 लोकल गाड़ी घाटकोपर स्टेशन से छूट रही थी। स्टेशन की ओर आने वाली गाड़ी नं० टी० 39 आगे निकल गयी और घाटकोपर से सिगनल से लगभग 80 फीट आगे 18/17 किलो-मीटर पर रुक गयी। ऐसा मालूम होता है कि इससे कुछ यात्रियों को गुस्सा आ गया। बहुत बड़ी भीड़ एकत्रित हो गयी और स्टेशन की इमारतों, स्थानीय गाड़ियों और केबिनों पर पत्थर फेंकने लगी। भीड़ ने नकदी लूटकर जवाहर रोड़ टिकट घर में आग लगा दी। पत्थर फके जाने से 30 पुलिस कर्मचारी और 5 आग बुझाने वाले कर्मचारी घायल हो गये। लगभग 25 हजार रुपये की सम्पत्ति को हानि हुई।

दिल्ली-कालका रेल गाड़ी का सोनीपत स्टेशन पर रोका जाना ।

794 श्री अ० क० गोपालन ।
श्री दशरथ नाथ देव :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री जसवंत मेहता :
श्री म० ना० स्वामी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 6 जुलाई, 1966 को दिल्ली-कालका सवारी गाड़ी सोनीपत रेलवे स्टेशन पर रुकी रही थी क्योंकि रेलवे के गार्ड और दो रेलवे कान्सटेबलों के बीच झगड़ा हो गया था;

(ख) यदि हां, तो इस झगड़े का क्या कारण था;

(ग) क्या उन कान्सटेबलों ने गार्ड और सहायक स्टेशन मास्टर को पीटा था; और

(घ) रेलवे कर्मचारियों को पुलिस की इस प्रकार की मार पीट से बचाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलव मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) झगड़े का कारण यह था कि स्पेशल रेलवे मजिस्ट्रेट से सम्बद्ध सरकारी रेलवे पुलिस के दो सिपाही बिना वैध पास के पहले दर्जे में यात्रा करते पाये गये जिस पर गार्ड ने एतराज किया।

(ग) जी नहीं। सिपाहियों ने गार्ड को गाली दी और उसके साथ बुरी तरह पेश आये।

(घ) इस तरह के मामलों में रेल कर्मचारियों की रक्षा के लिए हर सम्भव व्यवस्था की जाती है। सरकारी रलवे पुलिस के दोनों सिपाहियों को मुअत्तिल कर दिया गया और एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा इसकी जांच कराने का आदेश दिया गया है।

ब्लाक रेक्स

795. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **खान तथा धातु** मंत्री 25 फरवरी, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 222 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि देहातों में दूर दूर फैले हुए क्षेत्रों में जो बाक्स वैगनों के ब्लाक रेक्स नहीं ले सकते, साफ्ट कोक की मांग को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे): इस समय साफ्ट कोक को मिलाकर सभी कोयले का 50 प्रतिशत से भी अधिक भाग फोर-व्हीलर डब्बों में भेजा जा रहा है और साफ्ट कोक की सब मांग पूरी की जा रही है। नीचे दिए गए आंकड़ों से स्पष्ट है कि साफ्ट कोक के प्रेषण में बहुत अधिक सुधार हुआ है :—

पश्चिमी बंगाल-बिहार कोयला खानों से सोफ्ट कोक का प्रतिवेदन औसतन आवंटन

(वैगनों में)

	1964	1965	1966
जनवरी से जून	215	280	362

ईंटों के भट्टों और सोफ्ट कोक के डिपुओं के लिए लाइसेंस

796. **श्री रघुनाथसिंह** : क्या खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में ईंटों और घरों में प्रयोग होने वाले ईंधन की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के हेतु ईंटों के भट्टे और साफ्ट कोक के डिपो खोलने के लिये लाइसेंस देने की वर्तमान प्रक्रिया को उदार बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : ईंटों एवं घरेलू ईंधन की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए ईंट के भट्टों और साफ्ट कोक डिपों खोलने के लिए प्रचलित लाइसेंस पद्धति को उदार बनाने के लिए राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है। सूचना के अनुसार राज्य सरकार ने अपनी लाइसेंस पद्धति को उदार बना दिया है।

दण्डकारण्य रेलवे लाइन

797. **श्री कपूर सिंह :**
श्री बूटा सिंह :
श्री नरसिन्हा रेड्डी :
श्री प्र० के० देव :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य (बेलाडिला) में रेलवे लाइन को मोड़ने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है ताकि इसे दक्षिण पूर्व रेलवे के रायपुर-विभाग सेक्शन में रेलवे लाइन के साथ किसी स्थान पर मिलाया जा सके;

(ख) यदि हां तो इस रेलवे लाइन से किन दो स्थानों को जोड़ा जायेगा तथा कौन सा नया मार्ग खोला जायेगा;

(ग) यह रेलवे लाइन कितने मील लम्बी होगी और इस पर अनुमानत: कितना व्यय होगा ; और

(घ) इस का निर्माण कब तक आरंभ हो जायेगा ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख). अम्बागुडा (कोत्तवलस-बेलाडिल्ला नयी लाइन) से लांजीगढ़ रोड (रायपुर-विजयनगरम खंड) तक एक नयी लाइन बनाने के लिए शक्यता एवं लागत अध्ययन किया जा रहा है ।

(ग) और (घ). अभी यह बताना असामयिक होगा कि इस लाइन के निर्माण का काम कब शुरू और होगा तथा इसकी कितनी लम्बाई होगी और इस पर कितनी लागत आयेगी ।

तिरुनेलवेल्ली-कन्याकुमारी-त्रिवेन्द्रम रेलवे लाइन

798. **श्री मुथिया:** क्या रेलवे मंत्री 6 मई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4948 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरुनेलवेल्ली-कन्याकुमारी-त्रिवेन्द्रम रेलवे लाइन सम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदनों पर रेलवे बोर्ड ने विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला है; और

(ग) इस परियोजना को चौथी योजना की अवधि के समाप्त होने से पहले क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख). सर्वे रिपोर्टों पर अभी रेलवे बोर्ड द्वारा विचार किया जा रहा है ।

(ग) इस प्रायोजना का रेलों की चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जाना इस बात पर निर्भर है कि विचार का क्या परिणाम निकलता है, कितना धन उपलब्ध होता है और चौथी योजना के लिए विभिन्न प्रस्तावों के बीच इस लाइन को कितनी प्राथमिकता मिलती है ।

अवमूल्यन के बाद चाय और पटसन के निर्यात में वृद्धि

799 **श्री जसवन्त मेहता** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अवमूल्यन के बाद चाय, पटसन तथा अन्य रेशेदार वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि के बारे में कोई अनुमान लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में वृद्धि होगी और उस से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख). अवमूल्यन के बाद की छोटी सी अवधि में अवमूल्यन के परिणामस्वरूप चाय, जूट तथा रेशे की मदों के निर्यात में हो सकने वाली वृद्धि का अनुमान लगाना सम्भव नहीं हो सका है ।

पूंजीगत वस्तुओं का आयात

800. **श्री जसवन्त मेहता :**
श्री कृ० चं० पन्त :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने उन उद्योगों के लिये, जिन्हें अनुमति-पत्र दिये जा चुके हैं, पूंजीगत वस्तुओं के आयात को नई उदार आयात नीति में शामिल करने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : जी, नहीं ।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कारखाने की कलाई घड़ियां

801. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की कलाई घड़ियां न मिलने के बारे में 16 अप्रल 1966 से अब तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) शिकायतों की ठीक-ठीक संख्या बता सकना संभव नहीं है क्योंकि इस प्रकार की शिकायतों का कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है ।

(ख) आवश्यक पुर्जों और कच्चे माल का आयात करने के लिये पर्याप्त विदेशी मुद्रा उपलब्ध न होने के कारण हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के घड़ी कारखाने में इस समय स्थापित क्षमता का केवल 75 प्रतिशत ही उत्पादन हो रहा है । सम्पूर्ण रूप से उपलब्धि और साथ ही मांग की प्राथमिकता को देखते हुए कारखाने को नियत की गई विदेशी मुद्रा बढ़ाने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं जिससे यथासम्भव मांग पूरी करने की दृष्टि से कारखाने का उत्पादन बढ़ाया जा सके ।

ऊनी हौजरी तैयार करने वाले कारखाने

802. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) इस समय देश के विभिन्न भागों में ऊनी होजरी तैयार करने वाले कारखानों की संख्या क्या है; और

(ख) इन कारखानों का कुल वार्षिक उत्पादन कितना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) देश में लगभग 1046 होजरी कारखाने हैं जो विभिन्न राज्य सरकारों और वस्त्र आयुक्त के यहां पंजीकृत हैं । यदि इनके अतिरिक्त भी कोई होजरी एकक हैं तो ऐसे एककों की संख्या विदित नहीं है । चूंकि यह क्षेत्र विकेन्द्रित है पूर्ण आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) 1965–66 का उत्पादन लगभग 9 लाख गांठ कूता गया है ।

पंजीकृत लोहा और इस्पात व्यापारी

803. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय देश में प्रत्येक राज्य में पंजीकृत लोहा और इस्पात व्यापारियों की संख्या क्या है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि०ना० सिंह): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल टी—6578/66]

रेशम-कीट पालन उद्योग का विकास

804. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य को 1966-67 में राज्य में रेशम-कीट पालन उद्योग के विकास के लिये केन्द्रीय सरकार ने कितनी वित्तीय सहायता दी है; और

(ख) उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी): (क) तथा (ख). 1966-67 के दौरान उड़ीसा में रेशम-कीट पालन उद्योग के विकास के लिये निम्न परिषद तथा केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की गयी है:—

(लाख रु० में)

स्वीकृत परिव्यय	आवंटित की गई केन्द्रीय सहायता		
	ऋण	अनदान	कुल
1.73	0.40	1.00	1.40

रूरकेला उत्पादों की बिक्री

805. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रूरकेला इस्पात कारखाने द्वारा 30 जून, 1966 तक उपभोक्ताओं को अपने उत्पादों की बिक्री से कितनी धनराशि की आय हुई ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : 1965-66 के वर्ष में राउरकेला स्पात कारखाने की कुल बिक्री 796.6 मिलियन पये थी (अस्थायी) (इसमें हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के दूसरे कारखानों को स्थानान्तरित किये गये माल की कीमत शामिल नहीं है) तथा अप्रैल से जून

1966 तक की अवधि की 159·7 मिलियन रुपये (अस्थायी)। 1964-65 के वर्ष की तथा उससे पूर्व के वर्षों की ऐसी सूचना हिन्दुस्तान स्टील लि० की वार्षिक रिपोर्टों में उपलब्ध है। ये रिपोर्टें सभा पटल पर रख दी गई हैं।

रोलर फ्लोर मिल

806. श्री रामनाथन चेट्टियार: क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कोई आदेश जारी किये हैं कि प्रतिदिन 30 मीट्रिक चन अथवा इससे अधिक क्षमता वाले रोलर फ्लोर मिल 50 या इससे अधिक व्यक्ति काम पर लगायेंगे और इसलिये उन्हें उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस आदेश की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

उद्योगमंत्री (श्री संजीवैया): (क) जी, हां। सरकार ने ऐसी सभी आटा मिलों को जिनमें 50 से अधिक कर्मचारी हैं उद्योग (विकास तथा नियंमन) अधिनियम के अधिकार क्षेत्र में लाने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं।

(ख) आटा मिलों को कर्मचारियों की संख्या कम दिखा कर उद्योग (विकास तथा नियमन) अधिनियम की धाराओं से बचने को रोकने के लिए यह तय किया गया था कि ऐसी सभी आटा मिलों को भी जिनकी दैनिक क्षमता 30 मी० टन या उससे अधिक है अधिनियम के अधिकार क्षेत्र में लाया जाये।

(ग) आदेश की एक प्रति साथ में नत्थी है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी –6579/66]**

महाराष्ट्र को इस्पात का संम्भरण

807. श्री काजरोलकर : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई शहर में पानी के कनेक्शनों के लिये इस्पात की सप्लाई के रूप में विशेष कर उल्हास नदी से पानी लेने की योजना के संदर्भ में क्योंकि तौसा तथा अन्य झीलों से पानी का मिलना अपर्याप्त हों गया है; जोकि हाल में बम्बई में हुई पानी की अत्यन्त कमी से स्पष्ट है, महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह): (क) और (ख). जी, हां। महाराष्ट्र सरकार ने बम्बई शहर की जलप्रदाय योजना के लिए राउरकेला से 3000 टन 8 एम० एम० की इस्पात प्लेटों की तत्काल सप्लाई की व्यवस्था करने के लिए कहा था। महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों के साथ बातचीत करने के पश्चात् उनसे कहा गया था कि इन प्लेटों की वितरण अनसूची के बारे में सूचित करें जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इस बीच आदेश जारी किये गये हैं कि पिछले आर्डर पर 2087 टन 8 एम०एम० की इस्पात प्लेटें अगस्त 1966 तक सप्लाई कर दी जायें। सितम्बर, 1966 को समाप्त होने वाले अर्द्ध-वर्ष में बम्बई की जल-प्रदाय योजना के लिए 10,000 टन प्लेटों की सप्लाई को प्राथमिकता दी गई है।

काफी का निर्यात

808. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 में देश के काफी उद्योग ने कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की;

(ख) क्या सरकार को पता है कि निर्यात के लिये पैक करने संबंधी सामग्री की कमी के कारण 1965-66 में काफी के निर्यात व्यापार को काफी हानि पहुंची थी; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) पूर्व अवमूल्यनअवधि में उपार्जित विदेशी मुद्रा की धनराशि 13 करोड़ रु० से कुछ कम थी।

(ख) जहां तक सरकार को मालूम है, 1965-66 में पक करने सम्बन्धी सामग्रियों की कमी के कारण काफी के निर्यात में कोई कमी नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Loading of Wheat in open Wagons

809. **Shri Brij Raj Singh** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 12 thousand bags of wheat which were loaded in open wagons bound for Kashmir got spoiled ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) Yes, 119 65 bsgs of wheat were partially damaged.

(b) Due to damage by rain. The consignments were loaded in Open Wagons, due to non-availability of covered wagons, and the tarpaulins with which these were covered got shifted *en route*.

उत्तर रेलवे में अध्यापक और प्राध्यापक

810. **श्री बृजराज सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के स्कूलों और कालेजों में काम करने वाले अध्यापकों और प्राध्यापकों की वरिष्ठता सूची उन्हें परिचालित नहीं की गई; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रामसुभग सिंह): (क) और (ख) शिक्षकों और प्राध्यापकों की वरीयता सूची को मुरादाबाद मंडल में प्रसारित किया गया है, लेकिन इलाहाबाद मंडल में नहीं। मंडल अधीक्षक, इलाहाबाद को इलाहाबाद मंडल में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए वरीयता सूची प्रसारित करने के लिए कहा गया है। उत्तर रेलवे के किसी और मंडल में कोई हाई स्कूल नहीं है।

हौजरी उद्योग

811. **श्री बागड़ी** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊनी होजरी का सामान बन्दरगाहों में पड़ा है और हौजरी उद्योग बन्द-सा हो जाने के कारण बड़ी संख्या में श्रमिक बरोजगार हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो निर्यात संवर्धन योजना की कब तक घोषणा कर दी जायेगी; और

(ग) इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी): (क) ऊनी होजरी के कुछ निर्यातकों ने अपने माल की खेपें अवमूल्यन की घोषणा के होते ही रोक दी थीं जब तक कि रुपया भुगतान के देशों के साथ किये गये संविदाओं के सम्बन्ध में निर्णय न हो जाय। भारत सरकार एवं रुपया भुगतान के देशों के साथ हुई बातचीत के परिणामस्वरूप समस्या सुलझ गयी है और अब निर्यात होने लगा है।

(ख) तथा (ग). ऊनी होजरी के साथ साथ ऊनी कपड़ के निर्यातकों को कच्चे माल के आवंटन में प्राथमिकता के रूप में सहायता देने का प्रश्न विचाराधीन है।

आयातित कारों की बिक्री

812. **श्री वाडीवा :**
श्री चांडक :
डा० चन्द्रभान सिंह :
श्री हुकमचन्द कछवाय :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राज्य व्यापार निगम से केन्द्रराज्य/ सरकार आयातित कारों की खरीद के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री ने कोई ऐसा निर्देश दिया है, जिसके द्वारा खरीदी जाने वाली ऐसी कारों की मूल्य सीमा निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले एक वर्ष की अवधि में प्रत्येक राज्य को कितनी कारें आवंटित की गई हैं; और

(घ) क्या कोई ऐसी पद्धति है जिसके अन्तर्गत राज्य व्यापार निगम को उसके पास उपलब्ध कारों के बारे में उनकी सार्वजनिक नीलामी करने से पहले प्रतिमास सभी सरकारी विभागों को अधिसूचना देनी पड़ती है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने जलाई, 1964 में एक यह निर्देशन जारी किया था कि जिन कारों की लागत बीमा भाड़ा सहित कीमत 10,000 रुपये से अधिक हो, उन्हें सामान्यतः केन्द्रीय/राज्य सरकारों के विभागों और सरकारी उपक्रमों घको न बेचा जाय। फिर भी, स्टेशन वेगन की भांति बनी हुई उन बड़ी कारों के मामले में छूट दी गयी थी जो दूरस्थ क्षेत्रों में प्रयोग के लिये सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा खरीदी जायें। केन्द्रीय मंत्रालय/केन्द्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्य मंत्रियों को भी एक-एक बड़ी कार का आवंटन किया जाता है।

(ग) 1965-66 में प्रत्येक राज्य को बेची गयी कारों की संख्या निम्नलिखित है:—

1965–66 में राज्य सरकारों को दी गई कारें

क्रमांक	राज्य का नाम	कारें जिनका लागत बीमा भाड़ा सहित मूल्य 10,000 रु० तक है	कारें जिनका लागत बीमा भाड़ा सहित मूल्य 10,000 रु० से अधिक है	बड़ी कारें जो पर्यटन सम्वर्द्धन के लिये राज्यों को दी गयीं	योग
1	2	3	4	5	6
1	आन्ध्र प्रदेश	14	4	1	19
2	दिल्ली प्रशासन	3	4	—	7
3	हिमाचल प्रदेश	—	1	—	1
4	केरल	2	4	2	8
	राजस्थान	1	2	5	8
6	मद्रास	3	9	—	12
7	मध्य प्रदेश	—	1	1	2
8	महाराष्ट्र	—	2	—	2
9	मैसूर	1	—	—	1
10	पंजाब	—	10	—	10
11	उत्तर प्रदेश	—	3	—	3
12	प० बंगाल	1	—	1	2
	योग	25	40	10	75

वर्ष 1965-66 में केन्द्रीय सरकार को दी गयी कारें

10	20	—	30

(घ) जी, नहीं। राज्य व्यापार निगम को जब केन्द्रीय/राज्य सरकार/सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के कार की खरीद के लिये मांग प्राप्त होती है तो निगम उन्हें उस समय विक्री के लिये उपलब्ध कारों की सूची भेज देता है ।

डाली-राजहारा-दांतेवाड़ा रेलवे लाइन

813. **श्री वाडीवा :**
श्री चांडक :
श्री चन्द्रभान सिंह :
श्री हुकमचन्द कछवाय :

क्या **रेलवे** मंत्री 25 फरवरी, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1019 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाली-राजहारा से दांतेवाडा रेलवे परियोजना का सम्भाव्यता-एवं लागत अध्ययन इस बीच पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का कब तक निर्माण-कार्य आरम्भ कर देने का प्रस्ताव है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ): (क) अध्ययन अभी पूरा नहीं हुआ है।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड को कोयले का संभरण

814. **श्री वाडीवा :**
श्री चांडक :
डा० चन्द्रभान सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **खान तथा धातु** मंत्री 11 मार्च, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1959 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोरबा कोयले के लिये दिये जाने वाले मूल्य के बारे में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम तथा मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड के बीच समझौता कराने में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) कोयले के खनन के लिये मनिक पुर खान को मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड को सौंपने की अवधि मध्य प्रदेश सरकार की प्रार्थना से सहमत होने में केन्द्रीय सरकार के सामने क्या कठिनाई है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) मध्यस्थता से विवाद निपटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ख) जुलाई, 1965 में मध्य प्रदेश सरकार को सूचित किया गया था कि पूंजी-उद्व्यय एवं आवर्ती-व्यय की दृष्टि से प्रस्ताव का परीक्षण करें। तदुपरांत यदि विस्तृत प्रस्ताव भेजे जाते हैं उनपर विचार किया जायेगा। परन्तु राज्य सरकार से कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

मध्य प्रदेश में कटनी में कच्चे लोहे का कारखाना

815. **श्री वाडीवा :**
श्री चांडक :
डा० चन्द्रभान सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री 25 फरवरी, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 925 के उत्तर

के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रति वर्ष 30,000 मीट्रिक टन कच्चे लोहे का उत्पादन करने के लिये मध्य प्रदेश सरकार को औद्योगिक लाइसेंस मंजूर करने में देरी के कारण क्या है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह): चूंकि चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक होने वाली कच्चे लोहे की प्रत्याशित मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त क्षमता पहले ही लाइसेंस की जा चुकी है अत: मध्य प्रदेश सरकार को औद्योगिक लाइसेंस नहीं दिया गया है । फिर भी यदि बाद में ऐसा मालूम पड़ा कि लाइसेंस की गई क्षमता के फलवान् होने की आशा नहीं है तो मध्य प्रदेश सरकार के आवेदन पर पुन: विचार किया जा सकता है ।

कारों की बुकिंग

816. **श्री काजरोलकर** : क्या उद्योग मंत्री बह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खुले कोटे में मोटरकार बुक कराने के लिये जमा की जाने वाली राशि 2,000 रुपये से बढ़ा कर 4,000 रुपये करने के बारे में अब निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस निर्णय को कार्यान्वित किया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख). सरकार मोटर कार (वितरण तथा बिक्री) नियंत्रण आदेश, 1959 में संशोधन करने के लिये डाक घर में जमा राशि को 2,000 रु० से बढ़ा कर 4,000 रु० करने के सुझाव समेत कई सुझावों पर विचार कर रही है। अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

बायलरों की मांग

817. **श्री राम पुरे** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में भारी बायलरों की मांग के बारे में अनुमान लगा लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मांग की पूर्ति नहीं की जा सकेगी; और

(ग) क्या सरकार का इन बायलरों का निर्माण करने के लिये कोई कारखाना स्थापित करने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया): (क) और (ख). 1971-72 तक तापीय विद्युत् बायलरों की मांग 21 लाख किलोवाट प्रतिवर्ष हो जाने का अनुमान है। इस प्रकार के बायलर बनाने वाले वतमान संयंत्रों से प्राप्त होने वाली उपलब्ध क्षमता से यह मांग पूरी हो जाने की आशा है । चौथी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर इसमें 1 लाख किलोवाट वार्षिक का अन्तर पड़ने की सम्भावना है क्योंकि 1975-76 तक मांग बढ़कर 35 लाख किलो वाट तक बढ़ जाने की आशा है ।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के समाप्त होंने पर होने वाले अन्तर को पूरा करने के लिए पावर बायलरों का निर्माण करने के लिए कारखाना लगाने के हेतु सम्भाव्यता रिपोर्ट का अध्ययन करने का काम न्यूयार्क की मैसर्स कम्बस्टन इंजीनियरिंग कम्पनी को सौंपा गया है ।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में (प्रश्न)

RE: MOTION FOR ADJOURNMENT (QUERY)

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : Sir, I have given notice of an adjournment motion regarding the arrest of Sadhus, who were fasting against cow-slaughter. This question has roused great resentment in the country.

Shri Rameshwaranand (Karnal) : Sir, the Sadhus were observing fast in a very peaceful manner. Cow is a sacred animal. Its slaughter should be stopped. Government should take necessary steps in this matter. I want that this matter should be discussed here.

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : ये लोग गोहत्या रोकना चाहते हैं अथवा बेकार बैलों को मारने पर भी इन्हें आपत्ति है।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नाम-निर्देशित—आंगल-भारतीय) : गोवध के एक मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि गाय के प्रति इस देश के कुछ लोगों की बहुत पवित्र धार्मिक भावनायें हैं और इसका वध नहीं होना चाहिये। परन्तु बेकार हो गये बैलों आदि को मारा जा सकता है।

Dr. Govind Das (Jabalpur) : Sir, this matter concerns the entire country. Government had promised to instruct the states in this regard, but nothing has been done. It is a very important matter and it should be discussed.

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : Sir, Jagadguru Shankaracharya has announced that if cow-slaughter is not stopped he would start an indefinite hunger strike. It would be very serious matter. Government should take steps to stop cow-slaughter.

डा० म० श्री अणे (नागपुर) : पिछले कुछ दिनों से कुछ साधुओं ने धरना आरंभ किया है। यह गोवध के विरुद्ध है। सरकार ने उनका मान नहीं किया और उन्हें बन्दी बना दिया है। यह अनुचित है। इस प्रस्ताव पर विचार होना चाहिये।

Mr. Speaker : It is no use bringing this matter in the form of Adjournment Motion or in any other form, but I will advise the Government that they should give some statement in this matter.

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरखपुर) : जब भी कोई लोग संसद् भवन के सामने अथवा मंत्रियों के निवास स्थानों के सामने भूख-हड़ताल करते हैं अथवा धरना देते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। आप इस मामले पर अनुमति दे रहे हैं परन्तु अन्य विषयों पर अनुमति नहीं देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी है (**अन्तर्बाधायें**)।

Shri Rameshwaranand : I beg to submit . . .

Mr. Speaker : Kindly sit down.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र): मैं श्री संजीवैया की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं:—

(1) भारत हैवी प्लेट एण्ड वैसल्स प्राइवेट लिमिटेड की संस्था के अन्तर्नियम। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6544/66]**

(2) भारत हैवी प्लेट एण्ड वैसल्स प्राइवेट लिमिटेड की संस्था का ज्ञापन। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6545/66]**

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र): मैं श्री मनुभाई शाह की ओर से निर्यात किस्म (नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं:—

(1) (एक) कार्बनिक रसायनों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 15 अप्रैल, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1199 में प्रकाशित हुये थे ।

(दो) अकार्बनिक रसायनों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1966 जो दिनांक 25 अप्रैल, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1271 में प्रकाशित हुये थे ।

(तीन) एनैमल के बर्तनों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 25 अप्रैल, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1275 में प्रकाशित हुये थे ।

(चार) ढलवां लोहा प्रवेश छिद्र ढक्कनों तथा ढांचों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1966 जो दिनांक 3 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1689 में प्रकाशित हुये थे ।

(पांच) लांड्री साबुन का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1966 जो दिनांक 7 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1782 में प्रकाशित हुये थे। **[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 6546/66]**

(2) ऊपर की मद (1) की (एक) से (तीन) में बताई गई अधिसूचनाओं की सभा-पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6548/66]**

पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्री (श्री अलगेशन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:—

(1) प्रशुल्क आयोग अधिनियम, 1951 की धारा 16 की उप-धारा (2) के

अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) ऐलकोहल के उच्चतम मूल्यों के पुनरीक्षण के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (1965) ।

(दो) उक्त प्रतिवेदन का शुद्धि-पत्र ।

(तीन) सरकारी संकल्प संख्या 4/66/65–सी० एच० I दिनांक 18 जुलाई, 1966 ।

(चार) ऊपर की मद (एक) से (तीन) में बताये गये दस्तावेज उक्त धारा में निर्धारित अवधि के अन्दर सभा-पटल पर रख न सकने के कारण बताने वाला विवरण । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6547/66]**

(2) उद्योग विकास तथा (विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत जारी किया गया एथिल ऐलकोहल (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1966 जो दिनांक 29 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1964 में प्रकाशित हुआ था। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6549/66]**

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे): मैं भारत के प्रतिरक्षा नियम, 1962 के नियम 125 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1774 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं जो दिनांक 7 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दुर्लभ औद्योगिक सामग्री (नियंत्रण) आदेश, 1965 का प्रतिसंहरण किया गया। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6550/66]**

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र): मैं लवण उपकर अधिनियम, 1953 की धारा 6 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत लवण उपकर (संशोधन) नियम, 1966 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं जो दिनांक 21 मई, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1519 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6551/66]**

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : मैं श्री शफी कुरेशी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 25 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत रबड़ (दूसरा संशोधन) नियम, 1966 की एक प्रति जो दिनांक 25 जून, 1966 के भारत के राजतत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1000 में प्रकाशित हुये थे । **[पुस्तकाल में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6552/66]**

(2) कपड़ा समिति अधिनियम, 1963 की धारा 22 की उप-धारा 3 के अत्तर्गत कपड़ा समिति (संशोधन) नियम, 1966 की एक प्रति जो दिनांक 1 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 861 में प्रकाशित हुये थे । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6553/66]**

(3) नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 26 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत नारियल जटा उद्योग (रजिस्ट्रीकरण तथा लाइसेंस देना) पांचवां संशोधन

नियम, 1966 की एक प्रति जो दिनांक 9 जुलाई, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1084 में प्रकाशित हुये थे। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—6554/66]**

(4) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप–धारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति :—

(एक) सूती कपड़ा (नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 1966 जो दिनांक 7 मई, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1358 में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) सूती कपड़ा (नियंत्रण) तीसरा संशोधन आदेश, 1966 जो दिनांक 21 मई, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1476 में प्रकाशित हुआ था ।

(तीन) पटसन (लाइसेंस देना तथा नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1966 जो दिनांक 4 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1611 में प्रकाशित हुआ था ।

(चार) सूती कपड़ा (चौथा संशोधन) आदेश, 1966 जो दिनांक 25 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1878 में प्रकाशित हुआ था।

(पांच) सूती कपड़ा (नियंत्रण) पांचवां संशोधन आदेश, 1966 जो दिनांक 2 जुलाई, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस ०ओ० 1957 में प्रकाशित हुआ था। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6555/66]**

(5) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) एस० ओ० 1837 जो दिनांक 4 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दियासलाइयों तथा साइकिल के टायरों और ट्यूबों को अत्यावश्यक वस्तु घोषित किया गया ।

(दो) एस० ओ० 1844 जो दिनांक 18 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को शक्तियां प्रत्यायोजित की गई। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 6556/66]**

(तीन) एस० ओ० 1931 जो दिनांक 21 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा कतिपय लोह–मिश्र धातुओं को अत्याश्यक वस्तु घोषित किया गया। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6557/66]**

(6) केन्द्रीय रेशम बोर्ड के 1965–66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति। **[पुस्तकालय म रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 6558/66]**

(7) (एक) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुये उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बंध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल बाट तथा माप (प्रवर्तन) अधिनियम,

1958 की धारा 43 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) केरल बाट तथा माप (प्रवर्तन) नियम, 1964 जो दिनांक 10 अगस्त, 1965 के केरल राजपत्र में अधिसूचना संख्या 42770/62/एम आई/आर डी में प्रकाशित हुए थे ।

(ख) अधिसूचना संख्या 27369/65/एम आई/आर डी जो दिनांक 15 मार्च, 1966 के केरल, राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केरल बाट तथा माप (प्रवर्तन) नियम, 1964 में एक संशोधन किया गया ।

(दो) ऊपर की अधिसूचनाओं को सभा-पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6559/66]**

श्री हरिविष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । श्री शफी कुरेशी की ओर से श्री विभुधेन्द्र मिश्र ने पत्र सभा-पटल पर रखे हैं उन में से पत्र संख्या 7 (एक) (क) केरल राजपत्र में 10 अगस्त, 1965 को प्रकाशित हुआ था । इस विलम्ब के कारण बताये गये हैं परन्तु सरकार पत्र समय पर पटल पर क्यों नहीं रखती है ।

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : मैं रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम, 1957 की धारा 21 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत रेलवे सुरक्षा बल (संशोधन) नियम, 1966 की एक प्रति पुनः सभा-पटल पर रखता हूं जो दिनांक 30 अप्रैल, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 627 में प्रकाशित हुये थे । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 6374/66]**

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से संदेश प्राप्त हुआ है कि राज्यसभा ने अपनी 27 जुलाई, 1966 की बैठक में लोक-सभा की सिफारिश से सहमति प्रकट की है और अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 1965 को जो कि राज्य सभा द्वारा 3 नवम्बर, 1965 को पास किया गया था और 10 नवम्बर, 1965 को लोक-सभा के पटल पर रखा गया था वापस लेने के लिये लोक-सभा द्वारा अनुमति देने से सहमत हुई है ।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह): श्रीमन्, मैं 1 अगस्त, 1966 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य प्रस्तुत करता हूं । उसमें श्री ही० ना० मुकर्जी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर वाद-विवाद और एडवोकेट (संशोधन) विधेयक, 1966 तथा अवैध गतिविधियां (विरोध) विधेयक पर विचार और उन्हें पारित किया जाना शामिल है ।

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah) : The Hon. Minister had stated that the report in regard to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes would be discussed as soon as the session commenced. I would like to know whether this report would be discussed, if so, when ?

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : In the last session it was decided that the discussion on the total area of India would be taken up after the discussion on the Hariana and Punjabi Suba was over. It was also announced in the House that White Paper would be laid before the House either by Shri Chagla or by Shri Swaran Singh. I would like to know whether our motion would be taken up after the discussion on the question of devaluation is over ? By what time the White Paper would be circulated amongst the Members ?

Shri Rameshwara Nand (Karnal) : There is no indication in the programme placed before the House for the next week by Government that a statement would be issued in the next week. I request you to ask the Government to issue a statement on Monday.

श्री रंगा : देश की आर्थिक स्थिति के बारे में जो चर्चा स्थगित कर दी गई थी उसके सम्बन्ध में हम सरकार के इरादों के बारे में कोई संकेत चाहते हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर सोमवार को चर्चा आरम्भ होगी और यह लगभग तीन दिन चलेगी। उसके कितनी देर बाद सरकार आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा आरम्भ करेगी ?

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : I would like to know whether Government propose to introduce some Bill in regard to the seven lakh workers employed in the Income and Agarbhati Udyog. If so, when ?

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्ली) : इस सप्ताह के दौरान माननीय रेलवे मंत्री ने रेलवे दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा था। हमें यह आश्वासन दिया गया था कि इस पर चर्चा की अनुमति दी जायेगी। इसलिये अगले सप्ताह की कार्यावलि में इसको भी जोड़ा जाये।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर ध्यान दूंगा।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मेरा सुझाव है कि शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन पर इस सत्र में अवश्यमेव चर्चा की जाये चाहे कुछ विधेयकों पर चर्चा अगले सत्र के लिये स्थगित क्यों न करनी पड़े।

Shri Jagdev Singh Siddhanti ((Jhajjar) : Some time should be allotted for discussion on the report of Boundary Commission of Punjab as it has already been published.

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : यह सत्र बहुत ही छोटा है और हमने उत्तर प्रदेश की स्थिति से सम्बन्धित प्रस्ताव के सहित कई प्रस्तावों की सूचनाएं दे रखी हैं। मैं जानना चाहती हूं कि इन प्रस्तावों पर चर्चा कब शुरु होगी ? मेरे विचार में यह उचित ही होगा यदि हमारी सरकार कार्य के साथ साथ गैर-सरकारी कार्य पर भी चर्चा करें ?

श्री प्रिय गुप्त (कटिहार) : पिछले सत्र में सरकार ने कहा था कि वह मूल्यों को बढ़ने से रोकने में असफल रही है और कि वह सरकारी कर्मचारियों को पिछले पांच वर्षों में छः बार महंगाई भत्ते में वृद्धि कर चुकी है और अब सरकार दूसरे तरीकों पर विचार कर रही है। इस बात को छः सप्ताह से भी अधिक हो चुके हैं परन्तु सरकार ने अभी तक इस बारे में कुछ भी नहीं किया है। 22 लाख कर्मचारियों को प्रतिदिन की आवश्य-

कताओं को पूरा करने में कठिनाई हो रही है । न तो सरकार ने महंगाई भत्ते में ही वृद्धि की है और न ही मूल्यों को बढ़ने से रोका है इसलिये क्या सभा के नेता यह महसूस करते हैं कि वित्त मंत्री को सरकारी कर्मचारियों के साथ न्याय करने के लिये सरकार की नीति के बारे में एक वक्तव्य देना चाहिये ।

दूसरे रेलवे मंत्री ने रेलवे दुर्घटनाओं के बारे में वक्तव्य दे दिया है । यह कहा गया था कि यदि सूचना दी गई तो इस पर चर्चा की अनुमति दी जायेगी । हमने इस बारे में सूचना दी है मुदगा में हुई दुर्घटना के सम्बन्ध में हुई जांच का प्रतिवेदन हमें नहीं मिला है । हम सिद्ध कर सकते हैं कि यह दुर्घटना प्रशासन की गलती के कारण हुई थी और कर्मचारी वर्ग को अनावश्यक रूप से तंग किया जा रहा है ।

श्री सेझियान (पेरम्बलूर) : क्या सरकार का विचार गैर-हिन्दी भाषी लोगों को दिये गये आश्वासनों सम्बन्धी विधेयक को इस सत्र में प्रस्तुत करने तथा पारित करने का है ।

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : I would like to know whether the report of the Harijan and Backward Classes Commissioner would be taken up during this session.

संसद कार्य तथा संचार मत्री (श्री सत्य नारयण सिन्हा): जैसा मैंने बताया अगले सप्ताह के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है । जो सुझाव दिये गये हैं उन पर हम विचार करेंगे । मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि आमतौर पर सभी सदस्यों ने मुझे यह कहा है कि सत्र की अवधि को नहीं बढ़ाया जाना चाहिये क्योंकि वह अपने अपने चुनाव क्षेत्रों में जाना चाहते हैं । जो सुझाव यहां पर दिए गये हैं उन पर हम ध्यान देंगे और जो कुछ भी सम्भव होगा हम सभा के समक्ष पेश करने का यत्न करेंगे ।

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : श्री मधु लिमये के प्रश्न के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि हमने भारत के क्षेत्रफल के बारे में वत पत्र अथवा वक्तव्य सभा पटल पर रखने का वचन दिया था, उसको अगले सप्ताह किसी समय सभापटल पर रख दिया जायेगा तथा जैसा अध्यक्ष महोदय ने सुझाव दिया है संविधान (संशोधन) विधेयक के बाद इस पर चर्चा की जायेगी ।

श्री नारायण दाण्डेकर (गोंडा) : जो कार्य इस सप्ताह में समाप्त नहीं हो सका विशेषकर-आर्थिक स्थिति सम्बन्धी चर्चा, उस बारे में मंत्री महोदय ने अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है ।

आशा है सरकार आर्थिक स्थिति के बारे में यथासम्भव शीघ्र चर्चा शुरू करेगी ।

श्री सत्य नारायण सिन्हा : अविश्वास के प्रस्ताव तथा अध्यादेश सम्बन्धी दो महत्वपूर्ण विधेयकों के पश्चात् आर्थिक स्थिति पर चर्चा शुरू की जायेगी ।

समिति के लिये निर्वाचन
ELECTION TO COMMITTEE

श्री द्वा० ना० तिवारी (गोपालगंज) मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि इस सभा के सदस्य लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 312 ख के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उप-नियम

(3) द्वारा अपेक्षित रीति से सरकारी क्रमों सम्बन्धी समिति की शेष अवधि के लिये इस समिति के सदस्य के रूप में काम करने के लिए स्वर्गीय श्री एस० बी० रामस्वामी के स्थान पर अपने में से एक सदस्य चुनें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 312ख के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उप-नियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से सरकारी क्रमों सम्बन्धी समिति की शेष अवधि के लिए इस समिति के सदस्य के रूप में काम करने के लिये स्वर्गीय श्री एस० बी० रामस्वानी के स्थान पर अपने में से एक सदस्य चुनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

बिजली (संभरण) संशोधन विधेयक—जारी)

ELECTRICITY (SUPPLY) AMENDMENT BILL—*contd.*

अध्यक्ष महोदय : मैं सर्वप्रथम विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपने के बारे में संशोधन जोकि श्री नम्बियार ने पेश किया था, प्रस्तुत करता हूं ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The Motion was negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बिजली (सम्भरण) अधिनियम, 1948, में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : अब इस विधेयक पर खंडवार विचार किया जायेगा ।

खंड 2 (धारा 5 का संशोधन)

श्री नारायण दांडेकर : मूल अधिनियम की धारा 5, जिसके अधीन संसद् राज्य विधान मंडलों अथवा स्थानीय निकायों के सदस्यों को, बिजली बोर्ड के सदस्य नियक्त किये जाने के हकदार होने से पहले, अपनी सदस्यता समाप्त होने के बाद 12 महीने की अवधि तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है, बहुत उचित है । देश के वर्तमान वातावरण तथा सामान्य निर्वाचन निकट होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उस उपबन्ध को निकाल देने का प्रस्ताव बिल्कुल गलत है, आज केवल वही लोग इन निकायों की सदस्यता प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं जिन्हें अन्य क्षेत्रों में कोई भविष्य दिखाई नहीं पड़ता है । यदि वर्तमान अनर्हता हटा दी जायेगी तो ये बोर्ड राजनैतिक संरक्षण और प्रभाव के अड्डे बन जायेंगे ।

1948 में संविधान सभा ने जिसने हमारा यह संविधान बनाया था, इस अधिनियम को इस विशेष उपबन्ध के साथ पास किया था । मेरा विचार है कि उन्होंने अच्छे तथा दृढ़ कारणों के हेतु ही इस उपबन्ध की व्यवस्था की थी ।

मेरा सुझाव है कि यह संशोधन अनावश्यक है और कि इसको पास नहीं किया जाना चाहिये ।

श्री नम्बियार (तिरूचिरापल्लि) : यद्यपि यह आश्चर्य की बात है तथापि मैं स्वतन्त्र दल के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं क्योंकि यह ठीक है । इस से ऐसा प्रतीत होता है कि आगामी चुनाव में हारने वाले कांग्रसी सदस्यों के लिये यह संकेत है कि उनको बिजली बोर्ड में नियुक्त कर दिया जायेगा । दूसरी बात यह है कि यदि किसी अन्य सदस्य को सरकार में लाना हो, तो जीते हुए सदस्य को बोर्ड का सदस्य नियुक्त कर के उसके स्थान पर लाया जा सकता है । यही कारण है जिन के लिये ऐसा किया जा रहा है ।

इस बीच क्या परिवर्तन हुआ है जिसके फलस्वरूप इस तरह की तबदीली करना जरूरी हो गया है। इस बारे में माननीय मंत्री महोदय को सदन को पूरी तरह सन्तुष्ट करना चाहिये और यह बताना चाहिये कि ऐसी क्या आवश्यकता है कि इन बोर्डों में इन विधायकों को सदस्य बनाना जरूरी है। यह कहना तो सचमुच बहुत ही हास्यस्पद है कि और लोग उपलब्ध ही नहीं है। मेरे विचार में श्री कु० ल० राव इस सुझाव को शीघ्रता से स्वीकार करते दिखाई देते हैं। इस मामले में स्वतन्त्र पार्टी के सुझाव का समर्थन करता हूं, यद्यपि मैं उन से कई मामलों में सहमत नहीं हूं ।

श्री बड़े (खारगोन) : कल मैंने कुछ संशोधनों की आलोचना की थी, खेद है कि केवल संसद सदस्यों को ही नहीं, विधान मंडलों के भी सदस्यों का उल्लेख किया जा रहा है। मैं मंत्री महोदय की इस दलील से सहमत नहीं हूं कि सदस्यों को कुछ इससे प्राप्त होने वाला नहीं है। मैं जानता हूं कि ये सदस्य किस प्रकार इसका उपयोग करते हैं। सदस्यों के पास लाभ उठाने के कई ढंग होते हैं। यह भी ठीक है कि वे उपकार करना चाहें तो वह भी कर सकते हैं। मेरे विचार में तो इस पग को उठाने का उद्देश्य राजनीतिक हितों को सिद्ध करना है। कई एक स्थानों के नाम बताये जा सकते हैं जहां कि लोगों को इसलिये बड़े बड़े पदों पर मनोनीत किया गया, क्योंकि वे कांग्रेस दल के थे। यह भी देखने में आया है कि कांग्रेस दल को छोड़ देने पर किसी अन्य व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त कर दिया जाता है।

यह भी कहा गया है कि उच्च न्यायालय अध्यादेश के कारणों से भी यह विधेयक जरूरी हो गया था । मेरे विचार में तो मामला राजनीतिक लाभ उठाने का ही है। जिन कारणों से 25 लाख से अधिक वाली योजनाओं को प्रकाशित किया जायेगा वही कारण 25 लाख रुपये से कम वाली योजनाओं पर भी लाग होती है। मेरा निवेदन यह है कि प्रत्येक योजना को प्रकाशित किया जाना चाहिये। स्थानीय निकायों को भी यह अवसर देना चाहिये कि वह इस मामले में अपनी आपत्तियां भेज सकें ।

श्री कु० ल० मोरे (हतकंगले) : जो कुछ मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा है, उससे मैं सहमत हूं। यह बात गलत है कि यह संशोधन किसी राजनीतिक उद्देश्य को लेकर किया जा रहा है। इसका उद्देश्य तो कुछ अयोग्यताओं को दूर करना है । उद्देश्यों और कारणों के विवरण में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि राज्य सरकारों को बोर्डों की सहायता के लिये अच्छे व्यक्ति नहीं मिल रहे थे। और इस

संशोधन के फलस्वरूप सदस्यों को बड़े व्यापक क्षेत्र में से चुना जा सकेगा। अतः मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्यों को इसके पीछे किसी प्रकार के राजनीतिक उद्देश्यों की शंका नहीं करनी चाहिये ।

श्री श्री नारायण दास (दरभंगा) : मैं उपखंड (6) की धारा 5 के अन्तर्गत हुई व्यवस्था के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। इसका संबंध संसद सदस्यों, विधान मंडलों के सदस्यों तथा स्थानीय निकायों के सदस्यों को बिजली बोर्डों का सदस्य बनाने की बात है। इस सन्दर्भ में मेरा निवेदन यह है कि यदि यह गलत है कि संसद, राज्य विधान मंडल अथवा स्थानीय निकायों के सदस्य बिजली बोर्डों के सदस्य बनें तो अनर्हता स्थायी अथवा कम से कम पांच वर्ष के लिये होनी चाहिये थी और न कि केवल 12 महीने के लिये अन्यथा कोई अनर्हता ही नहीं होनी चाहिये थी। मेरा कहना है कि जो संशोधन विधेयक सभा के समक्ष प्रस्तुत है उसके द्वारा केवल वही उपबन्ध हटाया जा रहा है जिसकी आवश्यकता ही नहीं समझी गयी। मेरे विचार में इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। मेरा कहना है कि जब अन्य लोग बोर्ड के सदस्य हो सकते हैं तो इस बात का कोई कारण नहीं कि संसद सदस्य अथवा राज्य विधान मंडल के सदस्य को इनकी सदस्यता समाप्त होने के बाद एक वर्ष तक रुकना पड़े। इस प्रकार ऐसा कर देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : I oppose this section very strongly.

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा (आनन्द) : 12 महीनों पर ही मुख्य विवाद है। मेरे विचार में 12 महीनों की अनर्हता हटाने का संशोधन बहुत सरल है और उसका उद्देश्य बोर्डों की सदस्यता के लिये उपयुक्त व्यक्ति तलाश करना है। यह भी ठीक ही है कि कुछ राज्यों में ऐसे व्यक्तियों के अभाव के कारण बोर्डों को हानि पहुची है। अतः सारा मामला बारह को हटाने का है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० कु० ल० राव) : मुझे इस बात पर आश्चर्य है कि इस सरल सी बात पर इतनी उत्तेजना हो रही है । मेरे विचार में मैंने काफी स्पष्ट किया है परन्तु शायद काफी समय न होने के कारण इस दिशा में पूरा न्याय नहीं कर पाया हूं । एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बिजली बोर्ड बहुत शक्तिशाली निकाय नहीं है । किसी राज्य के बिजली बोर्ड पर केवल सात सदस्य होते हैं । इनमें तीन स्थायी होते हैं। 14 बोर्डों में कुल 20 सदस्य गैर-सरकारी होते हैं । इस समय इन बोर्डों में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं जिसका सक्रिय राजनीति से कुछ सम्बन्ध हो । यह दुःख की बात है कि हम सारे देश भर में 20 ईमानदार व्यक्ति भी तलाश नहीं कर सके। यह विधेयक संसद् के समक्ष नवम्बर में प्रस्तुत किया गया था, जब कि चुनावों की कोई बात ही नहीं थी । अब चुनावों की बातें करनी आरम्भ कर दी गयी हैं। मेरा निवेदन यह है कि किसी अनुभवी व्यक्ति को इस कारण से सदस्यता से वंचित रखना, क्योंकि वह संसद् अथवा विधान सभा का सदस्य है, उचित बात नहीं कही जा सकती । यह भी उल्लेखनीय है कि बारह वर्ष पूर्व इस विधेयक को एक अंग्रेज ने प्रारूपित किया था, उसने इसे अंग्रेजी अधिनियम के अनुरूप ही रहने दिया है । जो व्यक्ति जो बिजली बोर्ड का सदस्य होगा, उसके पास सदस्य होने के अतिरिक्त कोई अधिकार नहीं होंगे । इंग्लैंड में भी हमारे सारे अधिनियम को परिवर्तित किया गया है और उसे युक्तिसंगत बना दिया

गया । हम भी अब वही कुछ करने का प्रयास कर रहे है। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य भी इसे उसी रूप में लेंगे । यह भी तो कहीं नहीं कहा कि केवल कांग्रेस दल के लोगों को ही बोर्डों में मनोनीत किया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : इस खंड के लिए कोई संशोधन नहीं है । प्रश्न यह है :—

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 was added to the— Bill.

खंड 3

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : मैं अपना संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The Amendment was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय :

कि खंड 3 विधेयक का अंग बने

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 3 was added to the Bill.

खंड 4 और 5 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 4 and 5 were added to the Bill.

खंड 6

श्री नरायण दांडेकर (गौडा) : मैं संशोधन संख्या 21 और 22 प्रस्तुत करता हूं।

श्री विभूति मिश्र : मैं अपने संशोधन संख्या 31 और 32 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नरायण दांडेकर : मेरा निवेदन यह है कि 25 लाख रुपये से कम लागत वाली योजनायों को प्रकाशित न होने से सम्बन्धित परन्तुक हटा दिया जाना चाहिए । सिद्धान्त की बात तो यह है कि प्रत्येक ऐसी योजना को चाहे उसकी लागत कितनी क्यों न हो उसका प्रारूप बनाने के स्तर पर उसे प्रकाशित कर दिया जाना चाहिए । इस बात में कोई तुक नहीं कि 25 लाख रुपये से नीचे की योजनाओं के प्रकाशन पर होने वाले व्यय को इस व्यय अथवा अधिक व्यय क्यों समझा जाता है । लोगों को आखिर यह पता तो लगना ही चाहिए कि इस दिशा में क्या हुआ है ।

Shri Bibhuti Misra : My amendment is very single. I want to say that there should be a provision whereby the Board should not sanction any scheme of producing electricity for the area where electricity is already being generated under any other scheme. In this way priority can be given to sanctioning schemes for backward areas, where actually the electricity is very badly needed. I urge upon the Minister that he should accept my amendment.

श्री नम्बियार : मेरे विचार में ऐसे लोग हैं, जहां बिजली की आवश्यकता है, परन्तु योजना का लोगों को पता ही नहीं चलता। और वैसे ही यहां के लोग पिछड़े हुए हैं, अतः मेरा भी यही सुझाव है कि योजनाओं का प्रचार किया जाना चाहिए ।

श्री बड़े : मैं अपने माननीय मित्र श्री विभूति मिश्र के संशोधन संख्या 32 का समर्थन करता हूं ।

डा० कु० ल० राव : मैंने इस बारे में कल अपने विचार व्यक्त किये थे। मैंने निवेदन किया था यह प्रकाशन उस समय निकला था जब कि वर्तमान बिजली बोर्ड विद्यमान नहीं थे। भविष्य में हम इस दिशा में काफी परिवर्तन करने वाले हैं, इग्लैंड में तो प्रत्येक योजना से प्रकाशन बिलकुल ही समाप्त कर दिये गये हैं। जब हम इस विधेयक का पुनरीक्षण करेंगे तो हम भी ऐसा करने के बारे में विचार कर रहे हैं। हमारे विचार में इसका कोई लाभ नहीं है । बड़ी सिंचाई योजनाओं के बारे में जिसका सम्बन्ध करोड़ों रुपयों से है, हम कोई प्रकाशन नहीं छाप रहे हैं चाहे उसका सम्बन्ध बहुत लोगों से है । यह अन्तर्कालीन व्यवस्था थी कि हम ने 25 लाख रुपये इसके लिए रख और एक करोड़ रुपये से कम नहीं । अतः मेरा निवेदन यह हैं कि इन संशोधनों से कोई लाभदायक परिणाम निकलने की आशा नहीं है ।

श्री विभूति मिश्र जी के संशोधनों के बारे में मुझे यह निवेदन करना है कि ऐसी व्यवस्था के बारे में कि ऐसे क्षेत्र में जहां बिजली पहले से मौजूद है और वहां दूसरी योजना नहीं होनी चाहिए। पुराने अधिनियम की धारा 18 इस बारे में स्पष्ट थी कि बोर्ड का कर्त्तव्य यह था कि उन क्षेत्रों को बिजली दी जाय जिनको पहले से किसी लाइसैन्सदार ने बिजली नहीं दी थी। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट है कि धारा 78क के अन्तर्गत सरकार बोर्डों को निर्देश देने की शक्ति रखती थी।

संशोधन संख्या 32 के बारे में मेरा निवेदन यह है कि मैं उससे सहमत हूं । सारे देश का ही विकास हो तो लाभ हो सकता है । परन्तु दुर्भाग्य से यह इस खंड के अन्तर्गत नहीं आता। धारा 29 के अन्तर्गत यह अधिकार केवल बोर्डों को होंगे और उन परियोजनाओं के लिए होंगे जो एक करोड़ रुपये तक की होंगी। मैं ने विधि मंत्रालय से परामर्श किया है । और उनका यही परामर्श हैं कि इसे इस तरह से नहीं लिया जा सकता । इससे तो मेरे अपने राज्य को भी काफी लाभ होने की आशा है ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 21 और 22 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकार हुए ।

The amendments No. 21 & 22 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : : क्या श्री विभूति मिश्र संशोधन वापिस लेना चाहते हैं ।

श्री विभूति मिश्र : मैं संशोधन वापिस लेता हूं ।

संशोधन संख्या 31 और 32 सभा की अनुमति से वापिस लिए गए ।

The amendments No. 31 & 32 were by leave withdrawn.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :—

"कि खंड 6 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 6 was added to the Bill

खंड 7 से 10 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 7 to 10 were then added to the Bill.

खंड 11 (धारा 49 के स्थान पर नयी धारा का लाया जाना)

श्री विभूति मिश्र : मैं अपने संशोधन संख्या 33 और 34 प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : खंड और तत्सम्बन्धी संशोधन सभा के समक्ष हैं ।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : The purpose of my amendment to clause 11 is to insert the word "agriculture" after the words "development in". I hope the Hon. Minister will accept it. It is in the interest of agriculturists. It will facilitate the availability of electricity in those villages, which are not electrified at present. They will get priority. The rate of electricity for agricultural purposes should be the average of the different rates of electricity prevalent in the country. The Central Governmnt should give assistance to the states for that purpose.

श्री हिम्मतसिंह का (गोंडा): विद्युत् की कमी वाले क्षेत्रों में कृषकों को विद्युत शीघ्र ही उपलब्ध कराई जानी चाहिये, चाहे प्रार्थियों की संख्या आवश्यकता से अधिक ही क्यों न हो, कृषि साधनों के लिए प्रार्थना पत्र की संख्या के बारे में कोई दृढ़ समय नहीं होने चाहियें ।

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० कु० ल० राव) : पहले ही बताया जा चुका है कि शब्द "क्षेत्र" में कृषि क्षेत्र भी शामिल है । यह शब्द बहुत व्यापक है। शब्द "कृषि" को इस में शामिल करना न तो वांछनीय है, न ही आवश्यक बल्कि इससे अनावश्यक अड़चनें उत्पन्न हो जायेंगी ।

समूचे देश में एक जैसी दरें रखना इस समय सम्भव नहीं है । इसका कारण यह है कि हमारे पास सांझी ग्रिड और पोषण लाईनें नहीं हैं । हम इस बात की पूरी तरह प्रयत्न कर रहे हैं कि एक राज्य में तो एक जैसे दर हों। आगामी 5 अथवा 10 वर्षों में समूचे देश में समान दरें रखना सम्भव होगा ।

श्री विभूति मिश्र : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं ।

संशोधन सभा की अनुमति के वापिस लिये गये ।

The amendments were by leave, withdrawn.

श्री नारायण दांडेकर : प्रस्तावित खंड 49 के उपखंड (4) में इन शब्दों का क्या अभिप्राय है, "बोर्ड किसी व्यक्ति को अनुचित प्राथमिकता नहीं देगा" ।

डा० कु० ल० राव : मैंने उस पर विचार किया था। यदि शब्द "अनुचित" न रखा जाता तो उस से मुकदमेबाज़ी बहुत बढ़ेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 11 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खंड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 11 was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 12 (क) एक सारणी संशोधन है । संशोधन किया गया । पृष्ठ 5, पंक्ति 23,—

"1965" के स्थान पर "1966" रखिये"।

(30) (डा० कु० ल० राव) ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 12, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion ws adopted.

खंड 12, सशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 12, as amended was added to the Bill.

खंड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 13 was added to the Bill.

श्री श्रीं नारायण दास : विधयक के खंड 14 से मूल अधिनियम की धारा 67 में संशोधन किया जा रहा है। वर्तमान उपबन्ध यह है कि यदि कुछ राशि बचे तो उसमें से आधी का उपयोग दरों में कमी के लिए किया जायेगा। अब यह उपबन्ध हटाया जा रहा है। इसका क्या कारण है ?

डा० कु० ल० राव : मूल धारा में भी 50 प्रतिशत संचित निधि के लिए रखा गया था । शेष 50 प्रतिशत का प्रयोग ही दरों में कमी अथवा विद्युत् उद्योग के विकास अथवा दोनों प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है । 1964 में एक समिति नियुक्त की गई थी जिसने सुझाव दिया है कि विद्युत् बोर्डों को लगभग 11 प्रतिशत आय होनी चाहिये। इस से दरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 14 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खंड 14 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 14 was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 15 का एक सरकारी संशोधन है। संशोधन किया गया :

पृष्ठ 6,—

(क) पंक्ति 14, "आस्तियों" के बाद—"बोर्ड की पुस्तकों में पहल ही बट्टे खाते में डाली गई राशियों तथा अलग रखी गई राशियों का हिसाब लगाकर" शब्द जोड़े जायें ।

(ख) पंक्ति 18,—

"छठी अनुसूची में यथा परिभाषित" शब्द निकाल दिये जायें ;

(ग) पंक्ति 30 से 32 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :—

"धारा 65 के अन्तर्गत लिये गये किसी ऋण के मूलधन की वापसी के लिए अथवा धारा 66 के अन्तर्गत गारंटियों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा दी गई किसी राशि की वापसी के लिए ।

स्पष्टीकरण: —इस धारा में "विहित अवधि"—

(एक) उस आस्ति के सम्बन्ध में, जो बोर्ड को अपने कार्य में प्रयोग के लिए विद्युत (सम्भरण) संशोधन अधिनियम, 1966 से पहले उपलब्ध हुई हों, छठी अनुसूची में दी गई अवधि, अभिप्रेत है, जिसमें से वे वर्ष निकाल दिये गये हों, जिनके दौरान ऐसी आस्तियों का प्रयोग किया गया अथवा प्रयोग किया जा सकता था। ऐसे वर्ष उस वर्ष के आरम्भ के बाद अगले वर्ष से गिने जायेंगे, जिसमें वह आस्तियां बोर्ड को इस प्रकार उपलब्ध कराई गई तथा इस प्रकार आरम्भ होने की तिथि को अथवा उसके बाद समाप्त होने वाले वर्ष की समाप्ति तक गिने जायेंगे ;

(दो) किसी अन्य आस्ति के सम्बन्ध में, उक्त अनुसूची में दी गई अवधि अभिप्रेत है।'

(18) **(डा० कु० ल० राव)** :

Clause 15.

Amendment made.

Page 6,—

(a) line 14, *after* "the assets" *insert*—
"after taking into account the sums already written off and set aside in the books of the Board" ;

(b) line 18,—
omit "as defined in Sixth Schedule" ;

(c) *for* lines 30 to 32 *substitute*,—
"for repayment of the principal of any loan raised under section 65 or for repayment of sums paid by the State Government under guarantees under section 66.

Explanation—In this section, "prescribed period"—

(i) in relation to an asset which become available to the Board for its use in its business before the commencement of the Electricity (Supply) Amendment Act, 1966, means the prescribed period as defined in the Sixth Schedule reduced by the number of years during which such asset was used or capable of being used, such years being computed from the beginning of the year next following that in which that asset became so available to the Board and upto the end of the year ending on or after such commencement ;

(*ii*) in relation to any other asset, means the prescribed period as so defined in the said Schedule.'

(Dr. K. L. Rao)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 15, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 15, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 15, as amended, was added to the Bill.

खंड 16 से 20 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 16 to 20 were added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 21 में कुछ संशोधन हैं ।

डा० कु० ल० राव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 8,

'पंक्ति 33 से 38 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :—

"परन्तु जहां उपक्रम बोर्ड अथवा राज्य सरकार ने खरीदा हो, उपलिखित रूप में निर्धारित रक्षित राशि, तत्समय लागू किसी विधि के अन्तर्गत ऐसे लाइसेंसधारी के, जिसके लाइसेंस की अवधि समाप्त हो रही हो, कर्मचारियों को देय, यदि कोई हो तो, प्रतिकर की राशि को अग्रेतर कटौती करने के बाद, यदास्थिति बोर्ड अथवा राज्य सरकार को दी जायेगी ।" (7)

["Provided that where the undertaking is purchased by the Board or the State Government, the amount of the Reserve computed as above shall, after further deduction of the amount of compensation, if any, payable to the employees of the outgoing licensee under any law for the time being in force, be handed over to the Board or the State Government, as the case may be."] (8)

पृष्ठ 9 पंक्ति 25—

"(चार-क)" के बाद (चार-ख) जोड़ा जाये ।" (8)

[after "(iv-a)" insert, "(iv-b)"]. (8)

पृष्ठ 9, पंक्ति 28,—

"उप-खंड" के स्थान पर "उप-खंडों" पढ़िये । (9)

[for "sub-clause" substitute "sub-clauses".] (9)

पृष्ठ 9, —

पंक्ति 32 के बाद,—

"(दो-ख) लाइसेंसधारी द्वारा जारी किये गये किन्हीं ऋण पत्रों की राशि" जोड़ दिया जाये । (10)

["(ii-b) the amount of any debentures issued by the licensee".] (10)

पृष्ठ 9, पंक्ति 36,--

"जमा किये गये" के बाद "रोक" जोड़ा जाये । (11)

[after "deposited" insert "in cash".] (11)

पृष्ठ 10, पंक्ति, 10,--

"निम्नलिखित उप-खंड" के बाद "निम्नलिखित उप-खंडों" पढ़िये । (12)

[for "following sub-clause", substitute "following sub-clauses".] (12)

पृष्ठ 10,—

पंक्ति 14 के बाद—

"(चार-ख) लाइसेंसधारी द्वारा जारी किये गये ऋण:पत्रों पर ब्याज" जोड़ दिया जाये । (13)

["(iv-b) interest on debentures issued by the licensee".] (13)

पृष्ठ 10,—

पंक्ति 17 से 19 के स्थान पर—

"(बारह) तत्समय प्रवत्त किसी निधि के अन्तर्गत निर्धारित अथवा राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किसी योजना भविष्य निधि, कर्मचारियों के लिए निवृत्त वेतन तथा ग्रेच्युटी के लिए अंशदान" रखा जाये । (14)

["(xii) contributions to provident fund, staff pension and gratuity computed under any law for the time being in force of any such scheme as is approved by the State Government."] (14)

पृष्ठ 10, पंक्ति 23,--

"निम्नलिखित खंड" के स्थान पर "निम्नलिखित खंडों" रखिये । (15)

[for "following clause", substitute "following clauses".] (15)

पृष्ठ 10,--

पंक्ति 27 के बाद,—

"(क-2) ऋणपत्र जारी करने से प्राप्त राशि के प्रतिशत के समान राशि ।" (16)

["(c-2) an amount equal to one-half of one per centum on the amounts realised by the issue of debentures".] (16)

श्री नारायण दाण्डेकर : मैं संशोधन संख्या 24 से 29 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री विभूति मिश्र : मैं संशोधन संख्या 35 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नारायण दांडेकर : संशोधन संख्या 29 का उद्देश्य पंक्तियां 20 से 22 हटाना है । इस खंड का उद्देश्य यह है कि मूल शब्द "नकद तथा बैंक जमा" के स्थान पर "नकद तथा बैंक जमा (चाहे जमा अथवा नामे)" शब्द रखे जायें । यह शब्द जोड़ना निरर्थक है ।

विकास रिजर्व के लिए पृथक रखी गई राशि हिसाब-किताब के वर्ष के आरम्भ में, न कि उसके अन्त में, उस लेखे में जमा राशि होनी चाहिये क्योंकि वर्ष के अन्त में वह राशि अज्ञात राशि होती है । विधेयक का यह प्रस्ताव समझ में नहीं आता कि वह राशि वर्ष के अन्त की राशि होगी ।

विद्युत समवायों को लाभ के लिए दी जाने वाली राशि का समूचा ढांचा ही अवास्तविक है, उसे समाप्त किया जाना चाहिये । जितना कम लाभ दिया जा रहा है, उसे देखते हुए कोई समवाय अपनी निजी संस्था में भी, जिसमें कि जोखिम की बात हो, रुपया नहीं लगायेगा बल्कि वह राशि यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया के यूनिटों में लगाई जायेगी । उस पर 7 प्रतिशत आय ली जा सकती है और उसमें से 1,000 रुपये प्रति वर्ष की आय कुल आय में से निकाल दी जायेगी चाहे कुल आय कुछ ही हो । इससे देश में विद्युत के उत्पादन में और उद्योग के आधुनिकीकरण के कार्यक्रम में, और जहां कहीं आवश्यकता हो, नये संयंत्र और मशीनें लगाने के कार्य में बाधा पड़ेगी । लाभ की जो दर दी जा रही है,वह पूंजी बाजार की वर्तमान स्थिति को देखते हुए बिलकुल असंगत है ।

Shri Bibhuti Mishra : In our state Tatas have a hold in Jamshedpur and Tatanagar. If the State Government and private licenceholders hold talks regarding the reduction of the rates of electricity. I do not think , it will benefit the consumers, particularly in agricultural sector. The Central Government should, therefore, have a control over private licenseholders. If the average rate in such that puts private licenseholders to a loss, they should be subsidised.

I have been emphasizing since a long time that gandak Scheme should be brought under central pool but the Minister hesitated, but now Shri Fakhruddin has said that eight or nine big projects including Gandak Project will be brought under central pool. This amendment should be accepted in the interest of agriculturists.

डा० कु० ल० राव : "रोक तथा बैंक जमा" के बारे में संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है । उसे पूरा पढ़ा जाना चाहिये न कि टुकड़ों टुकड़ों में । अधिनियम में "रोक तथा बैंक जमा" शब्द नहीं थें बल्कि नकद तथा बैंक जमा की राशि का 1/12वां भाग" शब्द थे । बहुत से मामलों में लाइसेंसधारियों के उन बैंकों में कई खाते हैं जिसमें से कुछ में उनकी राशि जमा खाते में है और कुछ में नाम खाते में और कभी कभी नाम खाते बहुत अधिक भी हैं ।

मूलधन के आधार की गणना करने के लिए हमें उनकी जमा का 1/12वां भाग लेना पड़ेगा । वे चाहते हैं कि केवल जमा खाते को ही लिया जाये परन्तु हमें जमा और नामे दोनों ही की शेष राशियों को लेना चाहिये और जो कुछ शुद्ध बाकी हो, उसमें गणना की जाये ।

हम खंड 21 में उचित संशोधन करेंगे ताकि विकास रिजर्व वह राशि हो जो वर्ष के अन्त में होती है ।

श्री विभूति मिश्र कृषकों के हित का मामला उठा रहें हैं । उस अधिनियम का उससे कोई सम्बन्ध नहीं है निजी लाइसेंसधारी कृषि क्षेत्र में व्यापक रूप से कार्य नहीं कर रहें हैं । मैं श्री विभूति मिश्र से निवेदन करता हूं कि वह अपना संशोधन वापिस लें ।

श्री नारायण दांडेकर : मैं अपने संशोधन संख्या 24 तथा 25 पर आग्रह नहीं करता हूं ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिये गये ।

The amendments were, by leave, withdrawn.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं संशोधन संख्या 26, 27 तथा 28 मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The amendments were put and negatived.

श्री विभूति मिश्र : मैं संशोधन संख्या 35 वापिस लेता हूं

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

The amendment was, by leave, withdrawn.

डा० कु० ल० राव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 10,—

पंक्ति 8 के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाये—

"(छः) उप-खंड (6) में (जिसमें कुछ राशियों की कटौती का उपबन्ध है) "आगे ले जाया गया" शब्दों के बाद लेखा वर्ष के आरम्भ में "शब्द जोड़ें जायेंगे," (38)

["(vi) in sub-clause (vi) (which provides for deduction of certain amounts), after the words "carried forward" the words "at the beginning of the year of account" shall be inserted."] (38)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 8,

पंक्ति 33 से 38 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये:—

"परन्तु जहां उपक्रम बोर्ड अथवा राज्य सरकार ने खरीदा हो, उपलिखित रूप में निर्धारित रक्षित राशि, तत्समय लागू किसी विधि के अन्तर्गत ऐसे लाइसेंसधारी के, जिसके लाइसेंस की अवधि समाप्त हो रही हो, कर्मचारियों को देय, यदि कोई हो तो, प्रतिकर की राशि को अग्रेतर कटौती करने के बाद, यथास्थिति बोर्ड अथवा राज्य सरकार को दी जायेगी।" (7)

["Provided that where the undertaking is purchased by the Board or the State Government, the amount of the Reserve computed as above shall, after further deduction of the amount of compensation, if any, payable to the employees of the outgoing licensee under any law for the time being in force, be handed over to the Board or the State Government, as the case may be."] (7)

पृष्ठ 9, पंक्ति 25—

"(चार—क) "के बाद (चार—ख) जीड़ा जाये।" (8)

[after "(iv-a)" insert "(iv-b)"] (8)

पृष्ठ 9, पंक्ति 28,—

"उप-खंड" के स्थान पर "उप-खंडों" पढ़िये (9)

[*for* "sub-clause" *substitute* "sub-clauses"] (9)

पृष्ठ 9,—

पंक्ति 32 के बाद,—

"(दी–ख) लाइसेंसधारी द्वारा जारी किये गये किन्ही ऋण पत्रों की राशि" जोड़ दिया जाये। (10)

["(ii-b) the amount of any debentures issued by the licensee."] (10)

पृष्ठ 9, पंक्ति 36,—

"जमा किये गये" के बाद "रोक" जोड़ा जाये (11)

[*after* "deposited" *insert* "in cash".] (11)

पृष्ठ 10, पंक्ति 10,—

"निम्नलिखित उप-खंड" के बाद "निम्नलिखित उप-खंडों" पढ़िये। (12)

[*for* "following sub-clause", *substitute* "following sub-clauses.] (12)

पृष्ठ 10,—

पंक्ति 14 के बाद—

(चार–ख) लाइसेंसधारी द्वारा जारी किये गये ऋण-पत्रों पर व्याज जोड़ दिया जाये (13)

पृष्ठ 105 पंक्ति 17 से 19 के स्थान पर—

["(iv-b) interest on debentures issued by the licensee."] (13)

पृष्ठ 10—

पंक्ति से 17 से 19 के स्थान पर—

"(बारह) तत्समय प्रवृत किसी निधि के अन्तर्गत निर्धारित अथवा राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किसी योजना भविष्य निधि, कर्मचारियों के लिए निवृत्ति वेतन तथा ग्रेंच्युटी के लिए अंशदान" रखा जाये।

"[xii) contributions to provident fund, staff pension and gratuity computed under any law for the time being in force or any such scheme as is approved by the State Government."]

पृष्ठ 10, पंक्ति 23,—

"निम्नलिखित खंड" के स्थान पर "निम्नलिखित खंडों" रखिये। (15)

for "following clause", *substitute* "following clauses".) (15)]

"(क—2) ऋणपत्र जारी करने से प्राप्त राशि के प्रतिशत के समान राशि।" (16)

["(c-2) an amount equal to one-half of one *per centum* on the amounts realised by the issue of debentures".] (16)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि खंड 21, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने,"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 21, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause *21*, as amended, was added to the Bill.

खंड 22, 23 तथा 24 विधेयक में जोड़ दिये गये ।
Clauses *22*, *23* and *24* were added to the Bill.

खंड 1

डा० क० ल० राव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"पृष्ठ 1, पंक्ति 4,

"1965" के स्थान पर "1966" पढ़िये (6)

पृष्ठ 1, पंक्ति 6,—

"1965" के स्थान पर "1966" पढ़िये (17)

[*for* "1965" *substitute* "1966"]
[*for* "1965" *substitute* "1966"] (6)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ।

पृष्ठ 1, पंक्ति 4,

"1965" के स्थान पर "1966" पढ़िये (6)

पृष्ठ 1, पंक्ति 6,—

"1965" के स्थान पर "1966" पढ़िये (17)

[*for* "1965" *substitute* "1966"]
[*for* "1965" *substitute* "1966"] (6)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause *1*, as amended, was added to the Bill.

अधिनियमन सूत्र

डा० क० ल० राव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,—

"सोलहवें" के स्थान पर "सत्रहवें" पढ़िये (5)

[Page 1, line 1,—
for "Sixteen" *substitute* "Seventeenth."]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,—

"सोलहवें" के स्थान पर "सत्रहवें" पढ़िए (5)

[Page 1, Line 1,—
for "Sixteen" *substitute* "Seventeenth".]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

The Enacting formula, as amended, was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

The Title was added to the Bill.

डा० कु० ल० राव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

श्री रंगा चित्तूर: उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर सरकार तथा मंत्री महोदय का ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों तथा सूखे के शिकार क्षेत्रों की ओर दिलाता हूं । सूखे वाले क्षेत्रों का विकास वहां पर विद्युत का विकास करके किया जा सकता है । उन क्षेत्रों में कृषि और पीने के पानी के लिए तालाबों या दूसरे सिंचाई के साधनों की बजाय केवल भूमिगत जल के सम्भरण पर अधिक निर्भर किया जा सकता है । पानी के अभाव वाले क्षेत्रों में लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदम तब तक संतोषजनक नहीं हो सकते जब तक कि भूमिगत संसाधनों का लाभ उठाने के लिए विद्युत् शक्ति के सम्भरण के प्रश्न को प्राथमिकता न दी जाये । सरकार को कमी वाले क्षेत्रों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देनी चाहिये । ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं को उसके बाद प्राथमिकता देनी चाहिये । आशा है कि लोगों को इस सुविधा के लिए लम्बे समय तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी ।

श्री के० द० मालवीय (बस्ती): सरकार को नगरीय क्षेत्र के सभी निजी बिजलीघरों को अपने हाथ में ले लेना चाहिये । वह अनुचित लाभ कमाने में लगे हुए हैं । कम से कम यह कार्य आरम्भ कर दिया जाना चाहिये ।

विशाल नदियों से लाभ उठाया जा सकता है । पर्याप्त मात्रा में विद्युत पैदा की जानी चाहिये । उत्तरी भारत में तृतीय अधोभूमि स्तर पर पहुंच कर 18,000 से 20,000 मीटर की गहराई से जल निकाला जाना चाहिये । एक समय अन्तर्राष्ट्रीय भूविज्ञानियों ने यह सुझाव दिया था कि हो सकता है, बिहार, उत्तरप्रदेश तथा राजस्थान में तेल न हो परन्तु उसमें सन्देह नहीं कि हिमालय से आने वाला जल वहां जमा है और उसका प्रयोग किया जा सकता है ।

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : मैं मंत्री महोदय को विधेयक प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं । इसमें संदेह नहीं है कि यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है और यह उचित समय पर

प्रस्तुत किया गया है । जब तक हमारे पास बिजली की शक्ती नहीं होगी, हम जल संसाधनों का लाभ नहीं उठा सकते और इस प्रकार कुछ भी नहीं हो सकता । सरकार को उस काम के लिए पर्याप्त विद्युत शक्ति उपलब्ध करानी चाहिये, सरकार को चाहिये कि स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार दे दे ताकि स्थानिय सरकारें उचित गहराई के नलकुप लगवा सकें। इन शब्दों के साथ, मैं संशोधित रूप में विधेयक का समर्थन करता हूं ।

Shri Bibhuti Mishra : I thank the Hon. Minister for having accepted the spirit of my amendment. At least 50 per cent electricity should be supplied for agricultural purposes.

The rates of electricity should be uniform throughout the country until a single grid formed throughout India, the Government should give subsidy where the rates of electricity is more. If the rates of electricity remain uneconomical, it will harm the agriculturists.

डा० कु० ल० राव : मैं श्री रंगा तथा अन्य सदस्यों के साथ सहमत हूं कि हमें भूमि गत जल का बड़े पैमाने पर उपयोग करना चाहिये भुमिगत क्षेत्रों में हमारे पास जल बहुत है और हम अवश्य ही उसका अधिक वैज्ञानिक तथा व्यापक तरीके से प्रयोग करेंगे । सूखे के क्षेत्रों में यह समस्या अधिक महत्व रखती है हमें और अधिक प्रयत्न करने चाहिये तथा इस बहुमूल्य प्राकृतिक खजाने को उपपोग में लाने के लिए हमें और अधिक कदम उठाने चाहियें ।

बड़े गैर-सरकारी लाइसेंसधारियों में से कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं । परन्तु ऐसे भी बहुत से गैर-सरकारी लाइसेंस धारी ठीक काम नहीं कर रहे हैं । हम उन्हें इस कारण अपने हाथ में नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में धन नहीं है । हमें यह कार्य तेजी के साथ अपने हाथ में लेना चाहिये और हमारा प्रयत्न यह होगा कि जो गैर-सरकारी लाइसेंसधारी बिजली बोर्डों से अधिक दर प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें शीघ्र अपने हाथ में ले लिया जाये ।

समूचे देश में ग्रामीण समस्याओं और कृषि समस्याओं को हल करने के लिये एक पृथक संस्था बनाने के लिये ज़ोरदार तर्क है । इस महीने के अन्त में दो विदेशी विशेषज्ञ आ रहे हैं । वह ग्राम विद्युतीकरण सहकारी संस्था बनाने में हमें कुछ कुछ सहायता देंगे । संसार के सभी देशों में बिजली का सामान्य काम ग्रामों में बिजली देने के काम से भिन्न है । अमरीका बहुत धनी देश है । वहां ग्राम विद्युतीकरण सरकार द्वारा दी गई सहायता से किया गया और उस पर बहुत कम ब्याज लिया गया । हमें भी यहां इसी प्रकार का कुछ काम करना होगा । आशा है कि जब इस बारे में विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा तो सरकार आवश्यक सहायता करेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि विधेयक
COAL MINES LABOUR WELFARE FUND BILL

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री शाहनवाज खां): मैं प्रस्ताव रखता हूं :

"कि कोयला खनन उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों के कल्याण में अभिवृद्धि करने के उपायों के लिये धन उपलब्ध करने सम्बन्धी विधि को संशोधित और समेकित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

14 जून, 1947 को लागू होने वाले कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि, अधिनियम, 1947 के अधीन कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि नामक एक निधि स्थापित की गई थी । अधिनियम का उद्देश्य यह था कि कोयला खान उद्योग में कार्य करने वाले श्रमिकों के कल्याण के लिये एक वित्त पोषक व्यवस्था की जाये । इस कोष का उपयोग इस उद्योग में कार्य करने वाले कर्मचारियों के कल्याण के लिये ही किया जाता है । उस निधि के लिये धनराशि खान से बाहर जाने वाले कोयले और कोक पर अधिक से अधिक आठ आने प्रति टन अथवा सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दर में उत्पादन शुल्क लगा कर इकट्टी की जाती है ।

निधि के आवास शीर्ष के अधीन धनराशि पर एक त्रिपक्षीय आवास बोर्ड का नियंत्रण है । अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत एक कोयला श्रमिक आवास बोर्ड की स्थापना का उपबंध है जो एक स्थायी तथा सामूहिक संस्था है जबकि सामान्य कल्याण शीर्ष के अन्तर्गत धनराशि को त्रिपक्षीय सलाहकार समिति के परामर्श से केन्द्रीय सरकार उपयोग में लाती है । सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध सभी सुविधायें उस निधि के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध हैं ।

यह अनुभव किया जा रहा है कि कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि संस्था को विधि के अन्तर्गत एक निगमित निकाय बनाने के प्रत्यक्ष लाभ हैं । यदि इसे दिन प्रति दिन के सरकारी प्रतिबन्धात्मक नियंत्रण से मुक्त रखा गया तो सम्भव है कि कार्य अधिक अच्छी तरह से चले । यह सरकार की स्वायत्त संस्थाओं को अधिकाधिक शक्ति देने की नीति के अनुसार भी होगी । ऐसी संस्थाओं को सरकार की ओर से केवल सामान्य निर्देश मिलते हैं । उसके अनुसार यह प्रस्ताव किया गया कि कोयला खान श्रमिक निधि संस्था को विधि के अन्तर्गत एक निगमित निकाय बनाया जाये । उस उद्देश्य के लिये कोयला खान श्रमिक निधि व्यास बनाया जायेगा । वह एक निगमित निकाय होगा । वहां पर न्यासियों का बोर्ड तथा एक स्थायी समिति होगी और वे दोनों त्रिपक्षीय होंगी, यह बोर्ड तथा स्थायी समिति वर्तमान कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि सलाहकार समिति और कोयला खान श्रमिक बोर्ड का स्थान लेगी ।

बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कोयला खान श्रमिक कल्याण आयुक्त होगा । उसकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जायेगी, बोर्ड के नियंत्रण और सामान्य अधिक्षण के अन्तर्गत स्थायी समिति न्यास के काम करेगी । बोर्ड, स्थायी समिति और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की वित्तीय शक्तियों के सम्बन्ध में उन विनियमों में उल्लेख किया जायेगा जो शीघ्र ही इस सम्बन्ध में बनाये जायेंगे । जब केन्द्रीय सरकार एक बार बोर्ड द्वारा बनाये गये आयव्ययक की मंजूरी दे देगी तो बोर्ड सरकार से पूछे बिना विनियमों के अनुसार व्यय करने में सक्षम होगा । केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के पश्चात् बोर्ड कर्मचारीवर्ग की भर्ती, वेतन और भत्ते और सेवा की शर्तों के संबंध में ऐसे विनियम बनायेगा जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के भांति होंगे ।

रेल द्वारा ढोये जाने वाले कोयले पर रेलवे विभाग भाड़े के साथ साथ उपकर भी लेता रहेगा । रेल के अतिरिक्त अन्य साधनों द्वारा ढोये जाने वाले कोयले पर लगाये जाने वाले उपकर को बोर्ड पहले की भाँति ही इकट्ठा करता रहेगा ।

धारा 2 (5) के अन्तर्गत यह उपबन्ध है कि खानों के उन मालकों को जो निर्धारित स्तर को औषधालय सम्बन्धी सेवाओं का प्रबन्ध करते हैं, निधि के सामान्य कल्याण शीर्ष से इतनी सहायतानुदान दी जाये जो 4 पैसे प्रति टन की दर से लगाये गये शुल्क से अधिक न हो । कुछ कोयला खानों में निर्धारित स्तर से ऊंचे दर्जे के औषधालय हैं, इस प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिये यह प्रस्ताव किया गया है कि ऐसे खान मालिकों को 2 पैसा प्रति टन का सहायतानुदान और दिया जाये अर्थात उन्हें कुल मिला कर 6 पैसे प्रति टन का सहायतानुदान दिया जाये ।

इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये यह सुझाव दिया गया था कि वर्तमान विधेयक को उस नये विधान द्वारा बदल दिया जाये । ऊपर लिखे गये कुछ सुधारों को छोड़ कर प्रस्तुत विधेयक वर्तमान अधिनियम के आधार पर ही तैयार किया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कोयला खनन उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों के कल्याण में अभिवृद्धि करने के उपायों के लिये धन उपलब्ध करने संबंधी विधि को संशोधित और समेकित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

चर्चा कल होगी ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

नब्बेवां प्रतिवेदन

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS
NINETEENTH REPORT

श्री अ० शं० आल्वा (मंगलौर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 90वें प्रतिवेदन से जो 27 जुलाई, 1966 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

संविधान (संशोधन) विधेयक
(अनुच्छेद 37, 45 तथा 47 का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL
(Amendment of articles 37, 45 and 47)

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I beg to move :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

Shri Madhu Limaye : I introduce the Bill.

दंड प्रक्रिया संहिता (सशोधन) विधेयक
(धारा 107 तथा 109 का हटाया जाना)

CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL
(Omission of Sections 107 and 109).

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I beg to move :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Code of Criminal Procedure 1898."

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:-स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

Shri Madhu Limaye : I introduce the Bill.

दंड विधि संशोधन (निरसन) विधेयक

CRIMINAL LAW AMENDMENT (REPEAL) BILL

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I beg to move :

"That leave be granted to introduce a Bill to repeal the criminal law Amendment Act, 1932."

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दंड़ विधि संशोधन अधिनियम, 1932 का निरसन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अ ुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

Shri Madhu Limaye : I introduce the Bill.

कार्मिक संघ मान्यता विधेयक

RECOGNITION OF TRADE UNIONS BILL

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I beg to move :

"That leave be granted to introduce a Bill to encourage trade unionism among the employees and to provide for collective bargaining between the employers and representative trade unions of employees."

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कर्मचारियों में कार्मिक संघवाद को प्रोत्साहन देने और कर्मचारियों के प्रतिनिधि कार्मिक संघों तथा नियोजकों के बीच सामूहिक सौदाकारी का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was dopted.

Shri Madhu Limaye : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधयक—(अनुच्छेद 1 और 393 का संशोधन)—जारी

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL—(*Amendment of articles* 1 *and* 393)—*contd.*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कृष्ण देव त्रिपाठी द्वारा 13 मई, 1966 को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित विधेयक पर आगे चर्चा होगी :—

"कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

डा० रानेन सेन (कलकत्ता-मध्य) : यह संविधान (संशोधन) विधेयक स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये। हमे अपने देश को सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न राज्य नहीं कह सकते। क्योंकि किसी हद तक अमरीका द्वारा हमारी प्रभुसत्ता का उल्लंघन किया जा रहा है, इस लिए यह कहना बिल्कुल कठिन है कि हमारी प्रभुसत्ता शत तिशत है। भारत में लोक तंत्र की हत्या की जा रही है। देश में समाजवाद की कोई बात नहीं है। भारत में बड़े बड़े एकाधिकार पैदा हो गये हैं।

आज भारत में एकाधिकारी दल अधिकाधिक छा रहा है। किसी हद तक विदेशी साम्राज्यवादियों की सहायता से और अधिकतर विदेशी पूंजी की सहायता से सरकार देश मे पूंजीवाद का विकास कर रही है।

प्रस्तुत विधेयक में सुझाव दिया गया है कि संविधान को 'सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतन्त्रीय, समाजवादी गणतन्त्र' के नाम से पुकारा जाये। इस संशोधन का प्रस्ताव कर के वर्तमान परिस्थिति का मजाक उड़ाया गया है। ऐसे वाक्य से यह गलत धारणा उत्पन्न होती है कि हमारा देश लोकतन्त्रीय समाजवाद की ओर बढ़ रहा है। जो कि सत्य नहीं है। यह सत्य है कि भविष्य में भारत में लोकतंत्रीय समाजवाद का विकास होगा। भारत के लोग इस दिशा में प्रयत्नशील हैं किन्तु आज की वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। मैं इन शब्दों के साथ संशोधन का विरोध करता हूं।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Mr. Deputy Speaker, I do not oppose the bill moved by Shri Krishna Deo Tripathi as the spirit behind the Bill was commendable. If the Bill before us is accepted, the words 'the sovereign, democratic, Socialist Republic of'

will be added to the Constitution. This amendment does not indicate the state of affairs in the country. The ruling party was taking the country towards capitalism, feudalism and bureaucracy and not towards socialism.

How could we call our country sovereign when 2/5th of Jammu and Kashmir State which we claimed as an integral part of India was given to Pakistan under ceasefire agreement ?

Our Government had surrendered to Pakistan the areas like Haji Pir, Uri Poonch and Tithwal which were ours and had been liberated by our forces. The Government had even surrendered certain undisputed area in Jammu-Sialkot sector to Pakistan. Besides, China was occupying a large tract of our territory. The Government could call our country sovereign only if they took steps to recover our lost territory. The Government should also see that our economic and foreign policies are based on this.

The Government was killing democracy in the country. Kerala was an example where Government had throttled democracy. The happenings in Banda was another instance. Law and order does not prevail in the country. Law is being violated in the country and it certainly goes against democracy. Defence of India Rule is not used for the defence of the country and it is wrongfully used to against farmers and Labour classes to arrest them. When such was the attitude of the Government how could we call our country democratic.

We could not call our country a Socialist Republic. Had the Government taken steps to implement the policy of Socialism ? The disparities in income had not been removed. The problem of unemployment had not been solved. Capitalism, profiteering and bureaucracy are having their day. The Congress party is playing in the hands of I.C.S. officers and these officers have been delegated the powers.

The proposed amendment was unjustified in the Government chalked out proper programmes to establish sovereignty, democracy and Socialism.

Shri Bade (Khargone): There was difference in what the Government said and what it did. Merely calling our Republic, sovereign, democratic and socialistic, would not give us any benefit, when the actions of the Government were undemocratic and unsocialistic.

Although the Government professed to usher in socialism they followed the policy of mixed economy. How were the two things compatible ? It is therefore in the fitness of things that instead of changing the name, the ruling party should change its policies.

श्री प्रिय गुप्त (कटिहार) : पिछले 18 वर्षों में सरकार अपनी नीतियों में असफल रही है । सरकार समाजवाद लाने के अपने आश्वासनों को पूरा नहीं कर सकी । इस समय आवश्यकता इस बात की है कि सरकार अपने विचार बदले । आज हमें जन-जीवन में आन्दोलन, हड़ताल आदि करने से रोका जाता है और यदि ऐसा किया जाता है तो हमें सख्त दंड दिया जाता है । क्या यही लोकतंत्र है ?

हमारे गांवों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें वर्ष में दो-तीन महीने केवल शाक-भाजियों पर गुजारा करना पड़ता है । बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश आदि के सूखाग्रस्त क्षेत्रों की हालत तो और भी खराब है किन्तु उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता । खाद्य समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया । आखिर इस समस्या का कारण क्या है ? केन्द्रीय और राज्यों के सरकारी कर्मचारियों की दशा और भी विचारणीय है । सरकार न तो

महंगाई भत्ता बढ़ा रही है और न ही जीवन की आवश्यकताओं की चीजों को कम मूल्य पर उपलब्ध कराने में समर्थ हो पाई है । रोजगार की समस्या बढ़ रही है और शिक्षा को सुधारने के लिए कोई उपाय नहीं किया गया है ।

अपने गणतन्त्र का नाम बदलने की बजाय शासक दल को अपना रवैया ही बदलना चाहिये । सरकार को चाहिये कि वह समाजवाद स्थापित करने का प्रयास करे, केवल नाम का प्रचार करने में कुछ नहीं रखा ।

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): सदस्यों के भाषणों से मालूम होता है कि समाजवाद को समझने का प्रयत्न नहीं किया गया । इस देश में समाजवादी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरकार ने क्या कुछ किया है और क्या कर रही है । सदस्यों को इस बात का ज्ञान नहीं है । संविधान में संशोधन करने से पहले यह जानना आवश्यक है कि वर्तमान संविधान में क्या व्यवस्था है । प्रत्येक व्यक्ति जिसे संविधान पढ़ने का अवसर मिला है । उसने पूरे संविधान में व्याप्त समाजवादी तत्व को अवश्य देखा होगा । पूरा संविधान समाजवादी विचारों से ओत-प्रोत है । किसी वाक्यांश के जोड़ देने से विषय में कुछ भी फर्क नहीं आयेगा ।

संविधान ऐसे राष्ट्र ने बनाया है जो समाजवाद में विश्वास करता है और संविधान का पूरा ढांचा समाजवादी व्यवस्था पर आधारित है । राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्तों में यह दिया हुआ है जोकि देश की सरकार को करना चाहिए । यह ठीक है कि काफी सामाजिक परिवर्तन नहीं किये गये और अभी बहुत कुछ करना शेष है । परन्तु पिछले 18 वर्षों में सरकार की नीति के मौलिक सिद्धांतों को देखा जाये तो यह कोई नहीं कह सकता कि सरकार की बुनियादी नीतियां समाजवाद से भिन्न हैं । बुनियादी तौर से सरकार की नीतियां समाजवादी ही हैं चाहे उनको कार्यान्वित करने में कुछ कमियां हों अथवा उनमें सुधार की आवश्यकता हो ।

सरकार की नीति पर जो दल आलोचना करते हैं उनका देश की राजनीति में कुछ प्रभाव नहीं है । और आगे आगे उनका प्रभाव और भी कम हो जायेगा ।

बान्दा आन्दोलन, दबाव के अधीन अवमूल्यन, आदि के बारे में बहुत सी बातें कही गई हैं और उनका यहां पर खंडन भी किया गया है इसलिये इस विषय पर मुझे कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं है । मैं तो केवल यह कहना चाहता हूं कि संविधान के वर्तमान उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावक को अपना यह विधेयक वापस ले लेना चाहिये ।

Shri Krishna Deo Tripathi (Unnao) : There is not much force in the argument that the name of the country should be small. There are many countries in the World who have got long names such as U.S.S.R., Peoples Republic of China, and soon. The name of the country should be such as it could reflect its socio-economic structure. I do not understand why are should not call our country a Socialist Republic. We should call our country a Socialist Republic and take steps towards ushering socialism in the country.

We are following a policy of non-alignment and it is an independent policy. It would, therefore, be in the fitness of things to call our country sovereign.

We have adopted the path of socialism. But I am not prepared to accept that socialism can be brought about by this constitution alone. It is a matter of great distress that although we want to usher in socialism in the country yet there is no mention of socialism in the constitution, which is the supreme law of the land. The addition of the word 'socialist' in the name of the country would make a policy of socialism sacred. We might have committed mistakes, but we are definitely moving in that direction.

A comprehensive like incorporating the spirit behind the present Bill and also enshrining socialism in the constitution should be brought forward.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि माननीय सदस्य को अपना विधेयक वापस लेने की अनुमति दी जाये ।"

विधेयक सभा की अनुमति से वापिस लिया गया ।

The Bill was by leave withdrawn.

अखिल भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा परिषद विधेयक,

ALL INDIA AYURVEDIC MEDICAL COUNCIL BILL

श्री अ० त्रि० शर्मा (छतरपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक की राय जानने के लिये परिचालित किया जाये । सरकार ने देश में स्वास्थ्य की स्थिति जानने के लिये और समिति नियुक्त की थी जिस में एलोपैथिक चिकित्सक थे । इस समिति ने पश्चिमी औषधियों के ही सुधार के लिये कुछ सिफारिशें की हैं । उन्होंने अपने प्रतिवेदन में स्वदेशी चिकित्सा पद्धति पर कोई प्रकाश नहीं डाला है । परन्तु फिर भी अन्त में देश में स्वदेशी चिकित्सा पद्धति का महत्व जानने के लिये एक उप-समिति नियुक्त करने की सिफारिश की है । इसके फलस्वरूप 1948 में चोपड़ा समिति नियुक्त की गई थी । चोपड़ा समिति ने स्थिति का अध्ययन करने के पश्चात् यह कहा था कि देश की लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या स्वदेशी चिकित्सा पद्धति पर निर्भर है । मैं अब भी दावे से यह कह सकता हूं कि अभी कांश लोग स्वदेशी चिकित्सा पर निर्भर करते हैं ।

देव समिति ने इसी प्रकार की सिफारिश की थी । 1955 में डा० उडुप्पा की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी । इस समिति ने भी यही सिफारिशें की थीं । उन्होंने यह भी कहा था कि सरकार के स्वास्थ्य प्राधिकारियों के वक्तव्यों के बावजूद हम यह विश्वास नहीं कर सकते कि भारत के ग्रामों में रहने वाले लोग वैद्यों की तुलना में आधुनिक चिकित्सा प्रणाली तथा आधुनिक डाक्टरों को प्राथमिकता देते हैं । मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि आज भी वही स्थिति है । आरम्भ से आज तक सरकार ने स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली के सुधार के लिये कुछ नहीं किया है । 1835 में सरकार ने स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली की सहायता बन्द कर दी थी । आज भी सरकार सारी सहायता चिकित्सा की आधुनिक प्रणाली के विकास के लिये देती है । इसके फलस्वरूप केवल 20 प्रतिशत जनसंख्या ही सरकार द्वारा व्यय की जाने वाली राशि से लाभ उठा रही है । देश में अधिकांश लोग यह चाहते हैं कि आयुर्वेदिक प्रणाली को प्रोत्साहन दिया जाये ।

केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् में यह निश्चय किया गया था कि भारतीय चिकित्सा के लिये सांविधिक केन्द्रीय परिषद् स्थापित करने की योजना पर विचार किया जाये। यद्यपि केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् ने यह निर्णय 1962 में दे दिया था तथापि उस पर आज़ तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसलिये मैं ने यह विधेयक प्रस्तुत किया है ।

देश में एलोपैथिक शिक्षा तथा उपचार के नियंत्रण के लिये भारतीय चिकित्सा परिषद् है, परन्तु आयुर्वेदिक शिक्षा तथा उपचार के लिये ऐसी कोई परिषद् नहीं है । स्वास्थ्य मंत्रालय अपनी मनमानी करता है । इस में सन्देह नहीं है कि स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली के लिये एक सलाहकार है परन्तु कभी कभी वह बहुत गलत परामर्श दे देता है ? स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली के बारे में यह परिषद् स्वास्थ्य मंत्रालय को अधिक सक्रियरूप से परामर्श दे सकती है ।

ऐसी परिषद् न होने के कारण देश में आयुर्वेदिक तथा अन्य स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों में कोई मूलभूत चिकित्सा नहीं है। प्रत्येक राज्य तथा कालेज में अलग अलग पाठ्यक्रम है। एकीकृत तथा गैर-एकीकृत दो पाठ्यक्रम हैं। एकीकृत पाठ्यक्रम में भी कोई निश्चित स्तर नहीं है। यद्यपि इस पाठ्यक्रम को सरकार ने स्वीकार किया है और पिछले 36 वर्षों से यह चल रहा है तथापि इसका कोई निश्चित स्तर नहीं है । इस पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालयों ने स्वीकार किया है परन्तु इन विश्वविद्यालयों में कोई भी चीज समान नहीं है ।

सरकार इन संस्थाओं में मिश्रित पाठ्यक्रम को प्रोत्साहन दे रही है । डा० सम्पूर्णानन्द जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री तथा आयुर्वेदिक आयोग के अध्यक्ष थे, ने कहा था कि इसके परिणाम बहुत खतरनाक सिद्ध हो रहे हैं। क्योंकि इस पाठ्यक्रम का अध्ययन करने वाले छात्र न तो एलोपैथी और न आयुर्वेदिक चिकित्सा में ही दक्ष होते हैं। इसके बावजूद भी सरकार इस पाठ्यक्रम को प्रोत्साहन दे रही है ।

सरकार सदा यह कहती रही है कि भारत में आयुर्वेदिक पद्धति को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार भरसक प्रयत्न कर रही है, अनुसंधान केन्द्र स्थापित कर दिये गये हैं, स्नातकोत्तर अध्ययन की व्यवस्था कर दी गई है और औषध-कोष (फार्माकोपिया) बनाने के लिये पूरे प्रयत्न किये जा रहे हैं। परन्तु यह कुछ तथाकथित आयुर्वेदाचार्यों द्वारा किया जा रहा है । विद्वानों का मत है कि एकीकृत पाठ्यक्रम के विरुद्ध है ।

अनुसन्धान कार्य सक्षम विद्वानों द्वारा ही किया जाना चाहिये। इस समय जो लोग अनुसन्धान का कार्य कर रहे हैं वे बिल्कुल भी सक्षम नहीं हैं। उनको आयुर्वेदिक का अर्थ भी मालूम नहीं है।

अनुसन्धान के लिये चोपड़ा समिति ने छः वर्गों की सिफारिश की थी । परन्तु सरकार ने जो अनुसन्धान स्वीकार किया है वह इन छः वर्गों में से किसी भी वर्ग में नहीं आता है । आयुर्वेदिक औषधियों का असर कभी भी समाप्त नहीं होता है वह सदा ठीक रहती हैं। इस के विपरीत आधुनिक औषधियां की प्रभाविकता दस वर्षों में समाप्त हो जाती है । आयुर्वेदिक औषधियों को और अधिक परखने की आवश्यकता नहीं है । इसके अनुसंधान के लिये जो धनराशि खर्च की जा रही है वह पूर्णतया व्यर्थ ही जा रही है। सरकार ने जो अनुसंधान परिषद् स्थापित की है उस में 13 सदस्य हैं। उन में से 7 सदस्य न तो एलोपैथी के और न ही आयुर्वेदिक चिकित्सा के विशेषज्ञ हैं। पता नहीं वे अनुसन्धान कार्य किस प्रकार करते हैं ?

सरकार ने तथाकथित आयुर्वेदाचार्यों पर आधारित एक औषध-कोष समिति नियुक्त की है । इस समिति ने एक पुस्तिका प्रकाशित की है जो कि आयुर्वेदिक संस्थाओं में परिचालित की गई है । इस पुस्तिका में बहुत सी अशुद्धियां हैं।

आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को अन्य चिकित्सा पद्धतियों के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिये। इसके लिए एक पृथक् परिषद् होनी चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

Shri Sarjoo Pandey (Rasra) : I welcome the Bill. If we want to promote Ayurveda in the country, establishment of such a council is very necessary. In the prevailing conditions are when doctors are few and mismanaged, the only way to help the poor people is to encourage the ayurvedic system. Ayurvedic medicines are effective, cheaper and popular among the people living in our villages.

श्री श्यामलाल सर्राफ पीठासीन हुए

Shri Sham Lal Saraf in the Chair.

Although the popularity of the Ayurvedic medicines has not diminished yet this science is dying out in a country. Government has no plan for the promotion of Ayurvedic system.

I would also like to say that some Unani medicines have also proved very much effective in our country. Therefore, I will suggest that a council for the Unani system of medicines should also be set up.

श्री गोकुलानन्द महन्ती (बालसोर): मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं । अनेक समितियों ने इस बात की सिफारिश की है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा और शिक्षा के नियंत्रण के लिये परिषद् स्थापित की जानी चाहिये। प्रस्तावक भी यही चाहता है । इस समय प्रस्तावक केवल यही चाहता है कि लोक राय जानने के लिये इस विधेयक को परिचालित किया जाये ।

Shri Ram Sewak Yadav (Bara-Banki) : The Ministry of Health is responsible for the neglect of ayurveda in our country. In fact whatever and whenever the Government talk about encouraging ayurveda, it is only for the sake of propaganda; it is not sincere at all in carrying out what it says.

No attention is being paid to education in ayurveda conditions in the ayurvedic colleges at Lucknow and Begusarai in Bihar are most unsatisfactory and nothing has been done to improve the prevailing state of affairs.

If Government is really interested in encouraging ayurvedia it should take immediate steps to see that distinction is made between medical men belonging to ayurvedic and allopathic systems. Both should enjoy equal status and salary.

डा० मैलकोटे (हैदराबाद) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । आयुर्वेद में ऐसी बहुत सी औषधियां हैं और चिकित्सा के तरीके हैं जो अन्य पद्धतियों के मुकाबले में बहुत अच्छे हैं। इस चिकित्सा पद्धति का प्रयोग बहुत अच्छा हो सकता है यदि संस्कृत के ग्रंथों का अंग्रेजी तथा हिन्दी में अनुवाद उपलब्ध हों ।

कई विषयों में आयुर्वेद आत्म निर्भर हो सकता है । मेरे विचार में यह पद्धति सबसे उपयुक्त पद्धति है । इसका विकास हमारे देश में हुआ था । अतः यह हमारी सरकार का कर्तव्य हो जाता है कि

इस हर प्रकार का प्रोत्साहन दे । बहुत से आयुर्वेदक स्कूलों को विश्वविद्यालयों के अधीन कालेजों में परिवर्तित किया जा रहा है । परन्तु अध्यापकों को पूरा ज्ञान नहीं होता । वे लोग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनकर बिना योग्यता के ही वेतन प्राप्त करना चाहते हैं । आयुर्वेद के बारे में अध्यापक कार्य तथा उस सम्बन्ध में चिकित्सा आदि के कार्य करने वालों को आयुर्वेद के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिये । उन लोगों को पूरे उत्साह से कार्य करना चाहिये । जो व्यक्ति इस समय स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में कार्य कर रहे हैं उन्हें आयुर्वेद के बारे में कोई ज्ञान नहीं है । जब भी सरकार मितव्ययता के बारे में सोचती है तो आयुर्वेद पद्धति पर होने वाले व्यय में कमी कर देती है । इस से आयुर्वेदिक चिकित्सा सम्बन्धी हो रहे कार्य को बहुत हानि होती है । सरकार को यह नहीं करना चाहिये ।

प्राचीन काल में हमारे देश में इस पद्धति को बहुत प्रोत्साहन मिलता था । अन्य देशों में भी इस का प्रचार हुआ । श्रीलंका में इस समय भी इसे मान्यता मिली हुई है । सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये और एक अखिल भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा परिषद बनानी चाहिये ।

Shri Bade (Khargaon) : Sir, I support this Bill. An all India Ayurvedic Medica Council should be formed. It is my impression that people have developed a sense of pride for allopathy and a sense of prejudice against Ayurvedic system. In Ceylon this system is being given all types encouragement. Many colleges have been opened for its study. It is strange that it is being neglected in India. The place of its origin. In Ayurvedic colleges persons who have no hnowledge of Sanskrit and who know very little of ayurveda are appointed as teachers. This kind of thing must stop.

The ayurvedic system of medicines should be made popular in rural areas. The Vaids and Hakins should be given all type of encouragement.

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा (आनन्द): श्रीमान मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं । मैंने इसका कुछ अध्ययन किया है । यह पद्धति चिकित्सा की बहुत पुरानी पद्धति है । इसपर हमारे देश को गर्व होना चाहिये । आयुर्वेद को भारत के जनजीवन के अनुसार बनाया गया है । हमें इस पद्धति को प्रोत्साहन देने के लिये एक परिषद् बनाया जाना बहुत आवश्यक है । विदेशी दवाइयां से एक बीमारी तो ठीक हो जाती है परन्तु उनसे अन्य कई रोग लग जाते हैं । आयुर्वेद और एलोपैथी को मिश्रित नहीं किया जा सकता । यह दोनों भिन्न प्रकार की है । मुझे आशा है कि समूचे देश के लोग इस विधेयक का स्वागत करेंगे ।

Shri Gauri Shankar Kakhar (Fatehpur) : Sir, I support this Bill of Shri Sharma. It is a very simple Bill. It seeks to implement the recommendations made by committees on indigneous systems of medicine. More than 80 per cent of our people used to make use of ayurvedic system of medicine, because it was very cheap and effective. Government should take steps to promote it. This system of medicine should be given recognition by Government. This Bill of Shri Sharma should be accepted by Government.

The practitioners of ayurvedic system should be treated at par with those practising modern medicine. A council for Ayurvedic system of medicine should be formed.

Shri Radhelal Vyas (Ujjain) : It is good that this Bill has been brought forward by Shri Sharma. The contribution of Ayurveda in the field of medicine has been very great.

It is regrettable that our Government has paid very little attention to the development and promotion of this system.

[Shri Radhelal Vyas]

I know about many Vaids who have cured such patients, who were declared as hopeless by allopathic practitioners. Government should itself bring forward a comprehensive Bill in this respect. The ayurvedic medicines were not only efficiacious cheaper in cost also. If the system is properly encouraged, it would benefit a vast majority of our people.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर): श्रीमान जी मैं इस विधेयक को जनता की राय के लिये परिचालित किये जाने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। यह ठीक है कि आयुर्वेद की उन्नति के लिये एक परिषद् की स्थापना की जानी चाहिये।

स्वास्थ्य मंत्रालय को पर्याप्त राशि मिलनी चाहिये ताकि चिकित्सा व्यवस्था के लिये ठीक प्रकार से कार्य हो सके।

आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसने संसार को यह दिखा दिया है कि यह मानव बुद्धि और प्रयत्न की बहुत बड़ी सफलताओं में से एक है। इस समय इस पद्धति को प्रोत्साहन और समर्थन देने की आवश्यकता है। खेद की बात है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के लिये बहुत थोड़े बजट की व्यवस्था की गयी है और उसके लिये आयुर्वेद की सहायता करना संभव नहीं होगा। सरकार को इस पद्धति को हर प्रकार का प्रोत्साहन देना चाहिये।

मैं चाहता हूं कि सरकार या तो इस प्रस्ताव को स्वीकार करे या इस बात का आश्वासन दे कि शीघ्र ही आयुर्वेद को लोकप्रिय बनाने और इसे पुनः उच्च स्थान दिलाने के लिये कार्यवाही की जायेगी।

श्री राम चन्द्र मलिक (जाजपुर) : मैं श्री शर्मा को इस विधेयक के लाने के लिये बधाई देता हूं। इसका सभी दलों के सदस्यों ने स्वागत किया है। सरकार को इस पर सहानुभूति विचार करना चाहिये। भारत एक देहातों का देश है। वहां पर डाक्टर बहुत कम होते हैं। वहां पर वैद तथा कविराज ही सहायक सिद्ध होते हैं। सरकार को इन लोगों की सहायता करनी चाहिये। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : I support this Bill and congratulate the mover of the Bill. Government has been neglecting Ayurveda all these years. It is not good. We should encourage the system of medicine of our country. Mahatma Gandhi had been saying this. The effect of Ayurvedic system of medicine are for better than the effects of all other systems. The step motherly treatment now being given this system of medicine should be stopped at once.

It is a pity that Government is ignoring our culture. We should not become slaves of western culture. I request the hon. Minister that this Bill should be accepted by Government.

Shri Mohan Nayak (Bhanjanagar) : Sir, I welcome this Bill. This Bill has been supported by all parties. I plead with the Government to accept this Bill. The poor people do not get good response at the hands of allopathic doctor in hospitals. They have to depend on Vaids and Hakims. I think no body would oppose this Bill. If we open one Ayurvedic Dispensary in each Panchayat area, it would be very useful.

सभापति महोदय : फिर किसी दिन इस पर चर्चा होगी और जो माननीय सदस्य आज नहीं बोल सके उन्हें तब अवसर दिया जायेगा।

आधे घण्टे की चर्चा

HALF AN HOUR DISCUSSION

श्री लंका में राष्ट्रीयताहीन श्रमिकों की मतदाता सूचियां

Electoral Rolls of Stateless Workers in Ceylon

श्री उमानाथ (पूद्दुकोट्टे): मैं आज सभा के समक्ष एक महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं। इसका सम्बन्ध भारतीय मूल के उन लोगों से है जो श्रीलंका में रह रहे हैं और उन्हें राष्ट्रीयता विहीन लोग माना जा रहा है। उन्हें मतदाता सूचियों में नहीं रखा जा रहा। इस बारे में मैं श्रीलंका और भारत में हुए एक करार का उल्लेख करना चाहता हूं। यह करार स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री और श्रीलंका की प्रधान मंत्री श्रीमती भंडारनायक के बीच हुआ था। इस करार के अन्तर्गत यह तय पाया था कि 5,25,000 राष्ट्रीयता विहीन लोगों को 15 वर्षों में भारत में वापिस ले लिया जायेगा। यह भी तय हुआ था कि श्रीलंका सरकार वहां 3 लाख भारतीयों को अपनी नागरिकता प्रदान करेगी। जिन लोगों को भारत 15 वर्षों में भेजा जाना है उन्हें भी जबरदस्ती ऐसा करने को नहीं कहा जायेगा। उन्हें स्वयं ही ऐसा करने को कहा जायेगा और वे लोग अपने पदों और नौकरियों पर बने रहेंगे। और जब तक उन्हें पूरी तरह भारत नहीं भेज दिया जाता उन्हें किसी प्रकार से भी कष्ट नहीं दिया जायेगा।

परन्तु यह खेद की बात है कि श्रीलंका में भारत मूलक राष्ट्रिकताहीन व्यक्तियों के सम्बन्ध में समझौते पर हस्ताक्षर होने के कुछ ही समय बाद, श्रीलंका के तत्कालीन प्रधान मंत्री ने यह घोषित किया कि जिन व्यक्तियों को नागरिकता दी जायेगी उन्हें न कि उस देश के सामान्य मतदाता सूचियों में बल्कि अलग मतदान सूची में रखा जायगा। अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर चर्चा जो कि नवम्बर, 1964 में हुई का उत्तर देते हुए विदेश कार्य मंत्री ने कहा था कि श्रीलंका के तत्कालीन प्रधान मंत्री की घोषणा उस समझौते के भाव के विरुद्ध थी और हमारी सरकार ने इस प्रश्न के बारे में श्रीलंका की सरकार को चिन्ता प्रकट कर दी है। उसके पश्चात पता नहीं चला कि उस मामले का क्या बना।

सरकार को चाहिए कि हमें बताये कि क्या श्रीलंका की सरकार ने उन व्यक्तियों को जिन्हें नागरिकता प्रदान की जायेगी, उस देश के सामान्य मतदाता सूची में रखेगी। हम यह जानना चाहेंगे कि क्या वह निर्णय हमारी सरकार को पहुंचा दिया है यदि हां, तो कैसे और कब यह संसूचित किया गया? हम यह भी जानना चाहेंगे कि क्या श्रीलंका की सरकार उन सब व्यक्तियों को जिन्हें नागरिकता प्रदान की जायेगी, उन्हें सामान्य सूची में लाने के लिये कोई कानून पास करेगी। यदि श्रीलंका की सरकार उस ओर कोई कदम नहीं उठा रही तो हमारी सरकार उनसे अपनी बात मनवाने के बारे में क्या कदम उठा रही है।

हमारी सरकार ने तो इस सारे प्रश्न को इस दृष्टि से देखा कि सूचना प्राप्त करें और उसे सदस्यों के पास पहुंचा दे। यह प्रश्न केवल उस समझौते के उल्लंघन का ही नहीं है अपितु श्रीलंका की सरकार द्वारा उन लोगों को दूसरे दर्जे के नागरिक मानने का है जिन्हें नागरिकता प्रदान की जाने वाली थी। सरकार इस मामले की श्रीलंका की सरकार के साथ सक्रियता से अनुकरण करे जब तक वहां की सरकार अलग मतदाताओं की सूची के सुझाव को छोड़ न दें। तथा जब तक सामान्य रजिस्टर के बारे में कानून बने।

[श्री उमानाथ]

सभा को बताया जाय कि क्या सरकार ने इस मामले का अनुसरण किया है, यदि हां तो क्या परिणाम निकला। यदि उन्होंने अब तक अनुसरण नहीं किया तो वह अब क्या करना चाहते हैं। समझौते पर हस्ताक्षर अक्तूबर, 1964 में हुए थे। इन दो वर्षों में कितने लोगों को नागरिकता के अधिकार दिये गये और क्या उन्हें सामान्य मतदाताओं की सूची पर रखा। यदि श्रीलंका की सरकार ने अभी तक किसी राष्ट्रिकताहीन व्यक्ति को नागरिकता के अधिकार नहीं दिये तो क्या कार्यवाही की गई।

सम्प्रदायों में कार्य करने वाले सैकड़ों भारत मूलक मजदूरों को काम से हटाया जा रहा है ताकि वे भूखे मरने लगे और श्रीलंका से भाग जायं। यह समझौते का, जिसमें यह उल्लेख था कि स्वदेश वापिस लौटने तक उन्हें रोजगार में रखा जायेगा, और आगे उल्लंघन ही नहीं है बल्कि यह श्रीलंका सरकार का एक अमानुषिक अत्याचारपूर्ण और भयंकर कार्य है। सरकार ने इन गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है। हमारी सरकार इस समझौते के बारे में तत्पर नहीं है और हम समझौते को कार्यान्वित करने के लिये अनुवर्ती कार्यवाही गंभीरतापूर्वक नहीं कर रहे हैं। यदि सरकार ने अनुवर्ती कार्यवाही ठीक प्रकार की होती तो दशा कुछ भिन्न ही होती।

मैं माननीय मंत्री से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर देते समय सारे मामलों पर विस्तार से प्रकाश डाले, क्योंकि मैं बड़े ठीस आधार पर मामले को प्रस्तुत किया है।

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): मैं इस संदर्भ में यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारे में माननीय सदस्यों ने जो शंकायें प्रस्तुत की हैं, उससे मैं पूरी तरह सहमत हूं। भारतीय मूल के लोगों के बारे में हमारी चिन्ता होना स्वाभाविक ही है। और इसी चिन्ता के कारण ही हम इस मामले को श्रीलंका की सरकार के समक्ष रख रहे हैं। और समय समय पर उन्हें यह याद दिलाते रहे हैं कि उनहों ने अक्तूबर 1964 को एक करार किया। इस बारे में मैं एक बात और भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बहुत से भारतीय देश से बाहर जाकर विभिन्न देशों में बसे हुए हैं। और जहां भी वे बसे हैं, उसे उन्होंने अपना घर ही समझा है। और आज वे सब उन्हीं देशों के नागरिक हैं जहां पर कि वे बसे हुए हैं। इसी तरह लोग भारत से गये हैं और वहां की धरती को ही अपना घर समझ कर वे वहां बस गये। वे वहां काफी काल से रह रहे हैं। इस मामले को कानूनी दृष्टि से न भी देखा जाय तो भी नैतिक दृष्टि से हमारा कर्त्तव्य है कि हम उनके हितों की रक्षा करें। वहां कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भारत आना चाहते हैं। उनका भारतीय नागरिकता पर हक है, अतः उनके साथ उचित व्यवहार होना ही चाहिए।

जैसा सभा को मालूम है कि समझौते के अनुसार श्रीलंका सरकार स्वभाविक वृद्धि सहित 3 लाख लोगों को नागरिकता प्रदान करेगी और भारत स्वभाविक वृद्धि सहित अधिक से अधिक 5 लाख 25 हजार लोगों को वापिस लेगा। इस प्रकार वहां लगभग 10 लाख लोग ऐसे रहेंगे जिन के बारे में निर्णय बाद में होगा। यह बिलकुल सत्य है कि श्रीलंका के साथ समझौता करते हुए यह स्पष्ट कर दिया गया था कि जिन लोगों को श्रीलंका को नागरिकता मिल जायेगी उनके प्रति किसी भी प्रकार का विभेद, जो अब वैध अथवा अवैध रूप से किया जा रहा है, करना स्वभावतः ही छोड़ दिया जायेगा और यदि ऐसा न हुआ तो वह समझौते की भावना के प्रतिकूल होगा।

यह भी सच है कि श्रीलंका के प्रधान मंत्री जब भारत से स्वदेश लौटे तो उन्होंने कहा था कि भारत के जिन लोगों को श्रीलंका की नागरिकता प्रदान की जायेगी, उनका नाम एक पृथक् रजिस्टर पर दर्ज किया जायेगा। वह हमारे अनुसार समझौते की भावना के प्रतिकूल था। हमारे प्रधान मंत्री ने फरवरी, 1965 में श्रीलंका के प्रधान मंत्री को इस सम्बन्ध में अपनी चिन्ता व्यक्त करते हुए लिखा था। यह प्रसन्नता की बात है कि अब वहां कोई भेद-भाव नहीं है। सत्तारूढ़ सरकार ने आज इस बात की घोषणा कर दी है। श्रीलंका की संसद् में वहां के राज्य मंत्री ने यह कहा है। इस समय पृथक् निर्वाचन रजिस्टर रखने का कोई प्रश्न नहीं है यदि नया निर्वाचक रजिस्टर रखना आवश्यक होगा तो उस पर विचार किया जायेगा।" इससे सरकार के वर्तमान विचारों के बारे में संकेत मिलता है कि सरकार पृथक् रजिस्टर रखा जाना आवश्यक नहीं समझती।

लंका सरकार के साथ चर्चा के दौरान भी, हमें यह पता चला था कि वह पृथक रजिस्टर रखने का आयोजन नहीं कर रही है। यह सत्य है कि यह बिल्कुल संतोषजनक स्थिति नहीं है और हमें लंका सरकार से यह स्पष्ट गारंटी लेनी चाहिये कि भेद-भाव नहीं किया जायेगा अतः हमने अपने प्रयत्नों को अभी समाप्त नहीं किया है। अभी प्रधान मंत्री के पत्र का भी उत्तर नहीं आया है। हम मामले पर हमेशा सरकार के साथ बातचीत करते हैं। जैसा कि सभा को पता है, एक संयुक्त समिति है जो समय समय पर बैठती है और हमने उस समिति में इस बात पर जोर दिया है कि कोई भेद-भाव न किया जाय। वास्तविक परख तो तब होगी जब नागरिकता सम्बन्धी कानून बनाया जाएगा।

इस समय कोई नागरिकता कानून नहीं है जिस से यह लोग लंका के नागरिक बन जायें। वास्तव में यह नागरिकता कानून बनाया जाना है। अतः 1964 के समझौते के अन्तर्गत किसी को भी नागरिकता नहीं दी गई है। हमें आशा है कि लंका सरकार इस समझौते को पूर्णतया मानेगी और बिना किसी भेद-भाव के इन लोगों को नागरिकता दे देगी। मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे प्रयत्न तब तक जारी रहेंगें जब तक हमें वह आश्वासन नहीं मिल जाता अथवा जब तक इस सम्बन्ध में कानून नहीं बन जाता।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, प्रथम अगस्त 1966/श्रावण, 10, 1888 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Monday the 1st August, 1966/Sravana 10, 1888 (Saka).

GMGIPND—L S III—1169 (al) LS— 16-1-68—600.